न्याय तक पहुँच में बाधाएँ

भारत के उत्तर प्रदेश में अपने बलात्कार के मामलों से जूझती 14 संघर्षशील महिलाओं के अनुभव

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

AALI

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अक्करा, घाना में हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1987 से इस संगठन ने राष्ट्र मंडल देशों में मानवाधिकार के मुद्दों के इर्दगिर्द वकालत की, जुड़ाव बनाए रखा और संगठित किया। न्याय तक पहुंच ; (ATJ) और सूचना तक पहुंच ; (ATI) के क्षेत्रों में इसकी विशेषज्ञता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम पुलिस और कारागार सुधार पर केंद्रित है ताकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मनमानी में कमी आए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। सीएचआरआई नीतिगत हस्तक्षेपों पर निगाह रखता है जिसमें विधिक उपचार, नागरिक समाज के गठबंधन का निर्माण और हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। सूचना तक पहुंच कार्यक्रम सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता के कानून को सर्वत्र भौगोलिक दृष्टि से देखता है, विशिष्ट परामर्श उपलब्ध कराता है, चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, पारदर्शिता कानूनों के व्यापक प्रयोग की प्रक्रिया और क्षमता को बढ़ाता है। हम मीडिया और मीडिया के अधिकारों पर दबावों की समीक्षा करते है जबकि छोटे राज्यों के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रमंडल सचिवालय पर दबाव बनाने के लिए नागरिक समाज की आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करता है। एसडीजी 8.7 एक नया कार्यक्षेत्र है जिसका समर्थन, अन्वेषण ण और लामबंदी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में दासता के समकालीन स्वरूप से निपटने के लिए बनाई गई है।

सीएचआरआई को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रमंडल परिषद से प्रमाणित है। अपनी विशेषज्ञता के लिए सरकारों, प्रबंध निकायों और नागरिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सीएचआरआई भारत में सोसाइटी, लंदन में चैरिटी और घाना में गैर सरकारी संगठन के तौर पर पंजीकृत है।

हालांकि, 53 देशों के संघ राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को साझा कानून का आधार प्रदान किया लेकिन सदस्य देशों में मानवाधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान कम ही दिया गया। इसलिए 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनों ने सीएचआरआई की स्थापना की।

सीएचआरआई अपने अनुसंधान, प्रतिबद्धता, लामबंदी,रिपोर्टों और सामयिक पड़तालों के माध्यम से अधिकार के मुद्दों पर प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत चर्चा, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और सूचना एवं न्याय तक पहुंच बनाने के मुद्दों पर नेटवर्किंग के लिए काम करता है और सहयोग देता है।

सीएचआरआई मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांतों और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य प्रपत्रों के साथ-साथ मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के अनुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

अंतरराष्ट्रीय परामर्श आयोग : एलिसन डक्सबरी,अध्यक्ष। सदस्य : वजाहत हबीबुल्लाह, जोअन्ना ईवर्ट-जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडज़िटो और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (भारत) : वजाहत हबीबुल्ला, अध्यक्ष। सदस्य : किशोर भार्गव, बी. के. चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीत राय, ए. पी. शाह और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (घाना) : सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्य : अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी क्वॉशिगह, जूलियट टुआकली और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (यू0 के0) : जोआना एवर्ट-जेम्स, अध्यक्ष। सदस्य : रिचर्ड बोर्ने, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, निवेले लिंटन, सुज़ाना लैम्बर्ट और संजॉय हज़ारिका

अंतरराष्ट्रीय निदेशक : संजॉय हज़ारिका

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा माला,
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110017
भारत
टेलीफोन : +91 11 4318 0200,
फैक्स : +91 91-11-43180217
ई-मेल : info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई लंदन
रूम न0 219
स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU
यूनाइटेड किंगडम
ई-मेल : london@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
हाउस न0 9, समोरा मैकल स्ट्रीट, असाइलम डाउन,
बीवरली हिल्स होटल के सामने ट्रस्ट टावर के पास,
अक्करा, घाना
टेली0/फैक्स : +233 302 971170
ई-मेल : chriafrica@humanrightsinitiative.org

©कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव 2020 स्रोत को विधिवत स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।
ISBN 978-93-81241-64-6

असोसिएशन फ़ॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव

असोसिएशन फ़ॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव (आली) महिलाओं के नेतृत्व वाली और महिलाओं द्वारा संचालित मानवाधिकार संगठन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और वकालत के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और अन्य हाशिए के समुदायों के मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में सीधे क्षेत्र में मौजूदगी के साथ, आली भारत भर के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और समूहों को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है।

1998 में स्थापित, आली का वैचारिक ढांचा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों के उन्मूलन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में निहित (सीईडीएडबल्यू), कल्पना करता है "एक समतावादी व्यवस्था जो महिलाओं को समान मानव के रूप में पहचानती है और भारत के संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में गारंटीकृत उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है।"

नारीवादी दृष्टिकोण और मानवाधिकार दृष्टिकोण के आधार पर, आली का मानना है कि कानून में बदलाव के लिए स्थान है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, इसलिए यह एक बहु-आयामी रणनीतिक ढांचे के साथ काम करता है, वकालत, न्याय तक पहुंच और क्षमता निर्माण।

407, डॉ बैजनाथ रोड,
न्यू हैदराबाद कॉलोनी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश –226007
Ph: 0522-2782060 ,फैक्स: 0522-2782066
ई-मेल: aali@aalilegal.org

कवर छवि, संघर्षशील महिलाओं द्वारा पुलिस से संपर्क करने के दौरान आई बाधाओं को प्रतिबिंबित करने और चित्रांकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह किसी विशेष पुलिस विभाग, पद, यूनिट और / या कर्मियों पर इंगित नहीं है। इस रिपोर्ट में सभी दृश्य वर्णन मामलों से जीवित अनुभवों के प्रतीक हैं।

न्याय तक पहुँच में बाधाएँ

भारत के उत्तर प्रदेश में अपने बलात्कार के मामलों से जूझती 14 संघर्षशील महिलाओं के अनुभव

शोध और क्षेत्र में कार्य
अंकुर ओटो
प्रतीक्षा प्रियदर्शिनी

लेखन
अंकुर ओटो,
देविका प्रसाद,
प्रतीक्षा प्रियदर्शिनी
शुभांगी सिंह

संपादित
संजॉय हज़ारिका

अनुवाद
शिवानी सिंह

डिज़ाइन
सागरिका भाटिया

आभार

यह शोध और रिपोर्ट कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स (आली) के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। हम उन सभी संघर्षशील महिलाओं, आली के केसवर्करों और नेटवर्क वकीलों की भागीदारी को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं जिन्होंने हमसे बात की और अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को खुले तौर पर साझा किया। ये योगदान वो आधार हैं, जिन पर यह शोध और रिपोर्ट संभव हुई।

सीएचआरआई साक्षात्कार की सुविधा, अमूल्य परिप्रेक्ष्य देने और इस शोध के सृजन और संचालन संभव बनाने के लिए आली को विशेष धन्यवाद देता है।

सीएचआरआई और आली, सुश्री अर्चना सिंह, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, लखनऊ की केंद्र व्यवस्थापक को संघर्षशील महिलाओं के साथ साक्षात्कार की सुविधा देने और उनके परिप्रेक्ष्य और ज्ञान को साझा करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद करता है। साथ ही लखनऊ के वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।

हम आदित्य शर्मा को उनकी व्यापक समीक्षा और सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं।

हम शिवानी सिंह को हिंदी में रिपोर्ट के उत्कृष्ट अनुवाद के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रूफ रीडिंग के लिए शुभी चंचल, ज्योति सिंह और शुभी जैन को विशेष धन्यवाद।

हम हन्स साइडल फाउंडेशन के समर्थन, जिसके माध्यम से यह रिपोर्ट की जा सकी, के लिए आभारी हैं।

विषय-सूची

	कार्यकारी सारांश	1
अध्याय 1	भूमिका	3
अध्याय 2	कार्यप्रणाली	25
अध्याय 3	संघर्षशील महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा	29
अध्याय 4	केस की संक्षिप्त जानकारी	31
अध्याय 5	निष्कर्ष	71
अध्याय 6	निष्कर्ष और सिफारिशें	95
	ऐनेक्स्चर 1	108
	ऐनेक्स्चर 2	109
	ऐनेक्स्चर 3	113

कार्यकारी सारांश

इस रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न से जूझती महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करने से पुलिस के इनकार और विफलता के 14 मामलों का अध्ययन किया गया है।यह कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स द्वारा वर्ष 2019-2020 में किए गए एक शोध का परिणाम है।

ये 14 शोध के मामले, उत्तर प्रदेश के सात जिलों अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झाँसी, जौनपुर, और मुज़फ़्फ़रनगर की संघर्षशील महिलाएं और केसवर्करों द्वारा पुलिसको यौन उत्पीड़न कीशिकायत दर्ज कराने का प्रत्यक्ष विवरण है। छांटे गए 14 मामलों में से 11 बलात्कार की शिकायतें थीं और 3 सामूहिक बलात्कार की शिकायतें थीं।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि संघर्षशील महिलाओं ने, पुलिस में शिकायतें दर्ज कराने और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण कराने में देरी, उपद्रव, दबाव और गंभीर उत्पीड़न का सामना किया है। संघर्षशील महिलाओं के अनुभवों से पता चला कि उन्हें लिंग और जाति के आधार पर पुलिस द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो कानूनी प्रणाली के शुरुआत में ही न्याय तक उनकी पहुंच को बाधित करता है।इन अनुभवों ने संघर्षशील महिलाओं के आघात को बढ़ाया और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाला।

प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. पुलिस की तरफ से देरी और / या यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से इनकार

14 मामलों में से, केवल 11 मामलों में बलात्कार की ही एफआईआर दर्ज की गई थी।इन 11 मामलों में, पुलिस द्वारा अंततः एफआईआर दर्ज करने के लिए लिया गया समय 2 से 228 दिनों का था।छह मामलों में, शिकायतों को वरिष्ठ पुलिसअधिकारियों तक ले जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, और शेष मामलों में अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

2. महिला पुलिस अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न के अपराध की पहली जानकारी दर्ज नहीं की

14 मामलों में से 12 में, संघर्षशील महिला को एक महिला के बजाय एक पुरुष पुलिस अधिकारी को यौन उत्पीड़न के विवरण का वर्णन करना पड़ा, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है।इन महिलाओं में से कोई भी नहीं जानतीथीं कि कानून यह बताता है कि जब वो खुद पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाती है तो केवल एक महिला पुलिस अधिकारी को ही यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना है।

3. पुलिस यौन उत्पीड़न से संघर्षशील महिलाओं के खिलाफ अविश्वास और भेदभाव करती है

संघर्षशील महिलाओं ने खुलासा किया कि पुलिस ने उनपर शुरुआत से अविश्वास किया और अक्सर उनपर महिला विरोधी ताने कसे।उन्होंने यह भी महसूस किया कि पुलिस मानती है कि वे कानून का अनुचित लाभ उठा रही हैं और पुरुषों को फंसाने के लिए झूठे दावे कर रही हैं।

4. यौन हिंसा से संघर्षशील दलित महिलायें लैंगिक आधार के साथ साथ जाति आधारित भेदभाव का सामना भी करती हैं

दलित महिलाओं ने लिंग और जाति दोनों पर आधारित भेदभाव के "दोहरे बोझ" को झेला। दलित महिलाओं और केसवर्करों के विवरण दर्शाते हैं कि जाति आधारित इस भेदभाव के चलते महिलाओं की न्याय तक पहुँच और भी बाधित हुई है।

5. पुलिस, नियमित रूप से, आरोपियों के साथ मामले को निपटाने या समझौता करने के लिए शिकायतकर्ताओं पर दबाव डालती है

महिलाओं और केसवर्करों ने रेखांकित किया कि पुलिस ने दबाव बनाया और उन्हें डराया ताकि वे कानूनी प्रणाली के बाहर समाधान तलाशें। पुलिस, संघर्षशील महिला को उसके परिवार के सदस्यों को फंसाने की धमकी देकर, मामला निपटाने या समझौता करने के लिए अलग-अलग बलपूर्ण युक्तियाँ लगाने की कोशिश करती है या कथित अपराधी के साथ शादी के लिए मजबूर करती है; और / या संघर्षशील महिला को उनकी लिखित शिकायतों में अपराध की संगीनता को हल्का करने के लिए मजबूर करती है।

6. पुलिस के एफआईआर दर्ज न करने को चुनौती देने के लिए तत्काल उपायों के बारे में संघर्षशील महिलाओं को पता नहीं था, जिससे उनकी राहत तक पहुंच में देरी हुई

जबकि सभी 14 संघर्षशील महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में इनकार किये जाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक को (सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत) शिकायत करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, इसमें उन्हें बाहरी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी थी जिसके कारण राहत तक पहुंच में देरी हुई। 14 में से 11 महिलाओं को इस अधिकार के बारे में केसवर्कर या वकील द्वारा सलाह दिए जाने के बाद ही पता चला। सभी 14 संघर्षशील महिलाओं का पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज करने का समय और पहली बार थाने में मना किए जाने के समय के बीच लगभग 1 से 111 दिन का था। 14 में से 5 संघर्षशील महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के समय से लेकरन्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करने का समय 3 से 74 दिन तक का था, और पहले पुलिस थाने पर पहुंचने के समय से लगभग 4 से 146 दिन का था।

7. महिलायें और केसवर्कर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 166ए(सी) के प्रावधानों के बारे में नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए यह लागू किया जा सकता था।

महिलाओं और केसवर्करों ने साझा किया कि उन्हें नहीं पता था कि आईपीसी की धारा 166ए(सी) के तहत यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस जानकारी पर, उन्होंने आशंका व्यक्त की कि पुलिस के खिलाफ शिकायत करने से उनपर उलटा असर पड़ेगा और ये यौन हिंसा के मामले में पंजीकरण और जांच को खतरे में डाल सकता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर प्रक्रिया शुरू भी हो जाए तो पुलिस पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी।

8. एफआईआर का दर्ज न होना, उत्पीड़न और अविश्वास की तरफ़ जाता है;संघर्षशील महिलाओं में पीड़ा और आघात उत्पन्न करता है

सभी संघर्षशील महिलाओं ने साझा किया कि एफआईआर के पंजीकरण में देरी की वजह से उन्होंने फिर से खुद को पीड़ित महसूस किया। पहली बार में एफआईआरदर्ज करने में पुलिस की विफलता नेपीड़ा, असहायता और भ्रम पैदा किया;जिसका उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

भूमिका

1

अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 को केवल तभी संरक्षित किया जा सकता है जब, वे जो यौन अपराध के खतरे का सामना करते हैं, उन्हें लगे कि वे सुरक्षा के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या जो किसी यौन अपराध का शिकार हुए हैं, वे अपने नज़दीकी पुलिस थाने / ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और वे महसूस करें कि उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति के बावजूद; बिना देरी, धमकी, उत्पीड़नया पक्षपात के और उनकी शिकायत की सही तरीके से जांच होगी

- आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति (2013)[1]

1.1 उद्देश्य और लक्ष्य

यह लिखित रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश (यूपी) के सात जिलों में संघर्षशील महिलाओं द्वारा पहली बार संपर्क किए जाने पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने में पुलिस के इनकार और असफलता का अध्ययन करती है।मामले के अध्ययन और निष्कर्षों में संघर्षशील महिलाओं के शिकायत दर्ज करने के अनुभवों, पुलिस के इनकार का सामना करना, और बाद में जिन चुनौतियों का सामना करते हुए इसके लिए उठाए गए कदमों का वर्णन है, जिसका नतीजा पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के रूप में मिलता है। यह शोध संघर्षशील महिला पर, पहली ही बारी में पुलिस केएफआईआर दर्ज करने में देरी / इनकार के प्रभाव को रेखांकित करती है; विशेष रूप से, संघर्षशील महिला द्वारा अनुभव की गई, कानूनी उपचार तक पहुँचने में आई कठिनाइयों को। सबसे छोटी मदद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 166ए(सी) में निहित उपाय पर यह विशेष रूप से प्रकाश डालता है।इस उपाय को लागू करने में आती बाधाओं की धारणा पुलिस की जवाबदेही में विश्वास की गंभीर कमी की ओर इशारा करती है।

1.2 विषय क्षेत्र

यह आख्या एक अध्ययन का नतीजा है, जो 2019 में कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स (आली)[2] द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये 14 शोध के मामले, उत्तर प्रदेश के सात जिलों अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झाँसी, जौनपुर, और मुज़फ़्फ़रनगर की संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों द्वारा पुलिस को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने का प्रत्यक्ष विवरण है।छांटे गए 14 मामलों में से 11 बलात्कार[3] की शिकायतें थीं और 3 सामूहिक बलात्कार की शिकायतें थीं।

संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों तक आली के माध्यम से पहुंचे थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में महिलाओं को नि:शुल्क सामाजिक-कानूनी सहायता प्रदान करता है। आली के केसवर्कर मानवाधिकार रक्षक हैं जो राज्य भर में फैले हुए हैं| जो सीधे हस्तक्षेप करते हैं और महिलाओं का आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग करने के लिए समर्थन करते हैं, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के साथ।

1.3 पृष्ठभूमि

महिलाओं पर यौन हिंसा समाज की पितृसत्तात्मक सत्ता की संरचनाओं में जड़ें बनाए हुए है। जो एक ऐसे समाज में प्रचलित है जो लिंग और उससे जुड़ी कई संरचनाओं की तर्ज पर विभाजित है।[4] हालांकि यौन हिंसा मात्र एक घटना तक सीमित हो सकती है, पर इसको झेलनेवाली महिलाओं के लिएवास्तविकता में यह कृत्य एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। इसके दुष्परिणाम के रूप में, इससे जुड़ा कलंक और बार-बार पीड़ित सा अनुभव करा कर हिंसा का

अनुभव सभी संस्थानों में बार-बार जारी ही रहता है। यौन हिंसा, हालांकि शारीरिक हिंसा है पर इसके परिणाम स्पष्ट रूप से शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं हैं। इस हिंसा को कभी भी किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता के अधिकार के उल्लंघन के तौर पर नहीं समझा जाता;इसे हमेशा ही से परिवार और समुदाय के 'सम्मान' के साथ जोड़ा हुआ है, और इसी लिए लंबे समय से कलंक की तरह देखा जाता है।[5]

यौन हिंसा को मानवाधिकार से अलग करें तो इस मुद्दे को ठीक से संबोधित करने के लिए, ये न्याय की औपचारिक प्रणालियों के दायरे को बेमानी करता है। महिलाओं को सक्रिय रूप से, आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुँचने से हतोत्साहित किया जाता है, दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने को तथाकथित 'सम्मान' का एक और समझौता माना जाता है। यौन हिंसा को अधिकारों से अलग और उसके दायरे से बाहर करने के कारण भी महिलाओं के बारे में कई हानिकारक रूढ़ियाँ सामने आती हैं। महिलाओं पर अविश्वास करना आम बात है, खासकर के जब वे, पीड़ित की आम परिभाषा की छवि के जैसी नहीं हैं तब और भी।

विडम्बना तो ये है कि, संघर्षशील महिलाओं की कही बातों पर संदेह किया जाता है, ख़ास तौर पे यदि वे ऐसा कोई भी संकेत देती हैं जैसे कि, औपचारिक साधनों के ज़रिये से न्याय पाने की इच्छा। परिणामस्वरूप, चुप्पी की यह संस्कृति शायद एक प्रमुख कारण हो सकती है कि यौन हिंसा के मामले आमतौर पर सूचित नहीं किए जाते हैं।[6]

उन संघर्षशील महिलाओं के लिए जो इन सामाजिक संरचनाओं से जूझते अपना रास्ता बनाती हैं और पुलिस तक पहुँचती हैं, उनके लिए संघर्ष ख़तम नहीं होता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और हानिकारक रूढ़िवादिता, राज्य प्रणालियों से भी तो रिसता है। जब वो अपने हक़ के उपाय तक पहुँचने की कोशिश करती हैं तब भी संघर्षशील महिलाओं को अक्सर पुलिस के साथ भी वैसी ही आज़माइश से गुज़ारना होता है। सीधे हस्तक्षेप के अनुभव बताते हैं कि महिलाओं को कई कारणों से यौन हिंसा के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस का, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को कम प्राथमिकता देना, हिंसा कैसी भी हो उसके बावजूद, और कानून के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, हिंसा को 'निजी मामलों' के रूप में खारिज करते देखा गया है।

1.4 राज्य के दायित्व

पुरानी मिसालें इस तथ्य पर चिंता आकर्षित करती हैं कि यौन हिंसा की रोकथाम और निवारण का कर्तव्य राज्य का है, जिसे इसके संस्थानों और कार्यकर्ताओं के ज़रिये संचालित किया जाना है। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि महिलाओं की समान पहुंच बने और वे अपने सभी अधिकारों का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। तथा उल्लंघन के मामलों में, कानूनी तंत्र के ज़रिये न्याय तलाशें और पा भी सकें। इस तरह के उल्लंघन के मामले में, राज्य से एक मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को न्याय प्रणालियों के माध्यम से मध्यस्थता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध हैं, जिन तक सरल पहुँच है, अच्छी गुणवत्ता की हैं और जवाबदेह हैं।

हालाँकि, जब यौन हिंसा की बात आती है, तो न्याय प्रणाली स्वयं इसे एक अधिकार के मुद्दे के रूप में व्याख्या करने में असफल रहती है और परिणामस्वरूप, इस हिंसा का जवाब उस तरीके से नहीं देती है जो उपर्युक्त मापदंडों को योग्य बनाती है। वास्तव में, यह उसी उत्पीड़क संरचनाओं में सहअपराधी हो जाता है जो महिलाओं के शरीर का उल्लंघन करते हैं।[7]

इन बाधाओं को समझते हुए, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि *(CEDAW)* की समिति ने अपने 33वें सामान्य प्रस्ताव में दर्शाया, *"न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता और लिंग आधारित पूर्व धारणाएं महिलाओं के लिए अपने मानवाधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने में दूरगामी परिणाम रखता है। वे कानून के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की न्याय तक पहुँच में रूकावट बनते हैं, और विशेष रूप से महिला पीड़ितों और हिंसा से संघर्षशील महिलाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। रूढ़िवादिता धारणाओं को विकृत करती है और इसी का नतीजा है कि फैसले प्रासंगिक तथ्यों के बजाय पूर्व धारणाओं और मिथकों पर आधारित होते हैं।"*[8] यह आगे दर्शाता है, *"न्याय प्रणाली में न्यायाधीश, जनपदाधिकारी और सहायक न्यायाधीश ही एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं, जो रूढ़ियों को लागू, सुदृढ़ और स्थायी करते हैं। अभियोक्ता, कानून लागू करने वाले अधिकारी और इस से जुड़े अन्य व्यक्ति अक्सर जांच और परीक्षण को रूढ़िवादिता से प्रभावित होने देते हैं, विशेष रूप से लिंग आधारित हिंसा के मामलों में; रूढ़िवादिता के कारण पीड़ित / संघर्षशील महिलाओं के दावों को कम करते हैं और साथ ही कथित अपराधी द्वारा दिए गए बचाव का समर्थन करते हैं। इसलिए, रूढ़िवादिता जांच और परीक्षण दोनों चरणों में भरी हुई है और अंतत: निर्णय को भी प्रभावित करती है।"*[9] यह समिति राज्य के पक्षों से आग्रह करती है, *"कानून लागू करने वालों और न्यायिक अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान दोहरे उत्पीड़न से बचाने*

के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करें।"[10] साथ ही साथ, *"सहायतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए उचित उपाय करें जो महिलाओं को उनके अधिकारों का दावा करने, उनके खिलाफ किए गए अपराधों की शिकायत दर्ज करने और सक्रिय रूप से आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें;और इंसाफ तलाशती महिलाओं के खिलाफ प्रतिशोध को रोकने के उपाय करें।"*[11]

महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना भी राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी को कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और जन्म स्थान केआधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।ये अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी डालते हैं कि महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा सहित हर दिखाई देते और छिपे हुए भेदभावों से बचाया जाए, और यह कि कानून के ज़रिये कष्ट निवारण तक उनकी पहुंच को बढ़ावा दिया जाए और सुविधा प्रदान की जाए।

सिद्धांतिक रूप से समानता और भेदभाव न करना, कानून के न केवल अमूल्य तत्व हैं, बल्कि इसके लागूकरण में भी बदलाव के लिए खुला नहीं हैं। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तर्क है कि केवल कानून के प्रावधान बनाना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून तक पहुंच सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, यही न्याय की एक सच्ची परीक्षा है, जिसे 'सुनिश्चित किया जाना चाहिए'। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान दोनों में राज्य के लिए इस तरह की गारंटी और स्पष्ट दायित्वों के मौजूद होने के बावजूद, यह देखा गया है कि महिलाओं को पहले चरण से आपराधिक न्याय प्रणाली से बाहर रखा जाना जारी है, यहां तक कि यौन हिंसा के मामलों में अपनी शिकायत दर्ज करने में वे असमर्थ हैं।

1.5 यौन हिंसा की शिकायतों के पंजीकरण के लिए वैधानिक प्रावधान

पुलिस न्याय दिलाने के तंत्र का पहला कदम/ चरण है।पुलिस यौन हिंसा के मामलों में लिखित संज्ञान लेने और जांच शुरू करने के लिए जिम्मेदार है।प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आपराधिक कानून विधियों में निर्धारित की गई है।एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया के अलावा, जब पुलिस अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहती है, तब इन विधियों में कानूनी उपाय भी होते हैं।

कानून स्पष्ट है कि सूचना (या शिकायत) मिलने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि संज्ञेय अपराध किया गया होगा।यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की भाषा में निहित है, जो यह बताता है कि एक संज्ञेय अपराध के संबंध में, थाने के प्रभारी अधिकारी को हर सूचना, चाहे वह मौखिक रूप से मिले या लिखित में, दर्ज करना अनिवार्य है।

1.6

पुलिस यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य है

अपराध की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया को चालू करने के लिए पहला कदम है। एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब वे एक संज्ञेय अपराध के कथित आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह उस सूचना की रिपोर्ट है जो पहले किसी अपराध या अपराधों की घटना के बारे में पुलिस तक पहुंचती है, और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध कहने के बाद दायर की जाती है। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस घटना की जांच शुरू कर सकती है।

संज्ञेय अपराध गंभीर जुर्म हैं जिनके लिए पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकते हैं। 'संज्ञेय अपराध' और 'संज्ञेय मामलों' को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची या किसी अन्य मिलते-जुलते कानून के अनुसार है। धारा 2(एल) में परिभाषित गैर-संज्ञेय अपराध और मामले, कम गंभीर हैं। भारतीय दंड संहिता में लिखित सभी अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में एक सुलभ प्रारूप में संज्ञेय या गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कानून स्पष्ट है कि सूचना (या शिकायत) मिलने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि संज्ञेय अपराध किया गया होगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की भाषा में निहित है, जो यह बताता है कि एक संज्ञेय अपराध के संबंध में, थाने के प्रभारी अधिकारी को हर सूचना, चाहे वह मौखिक रूप से मिले या लिखित में, दर्ज करना अनिवार्य है। हाँलाकि धारा 154 एक कानूनी प्रावधान है जो एफआईआर के पंजीकरण से संबंधित है, विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता में "एफआईआर" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

धारा 154 कहता है, शब्दशः : "संज्ञेय मामलों में जानकारी। (1) एक संज्ञेय अपराध के होने से जुड़ी हर जानकारी, अगर किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लिखित किया जाएगा, और सूचना देने वाले को पढ़ के सुनाया जाएगा;और इस तरह की हर जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखी गई हो, जैसा के ऊपर कहा गया, वो जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और इसको किसी पुस्तक में

किस तरह के अधिकारी द्वारा रखा जाए, वो वही हो जैसा राज्य सरकार इस संबंध में निर्देशित करती है।"

कानूनी व्याख्या में अंतर के कारण, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ द्वारा 2014[12] में दिए गए एक फैसले ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया।न्यायालय ने कहा कि यदि किसी शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।न्यायालय ने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए मात्र 'सूचना' की आवश्यकता और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधार के लिए बड़ी आवश्यकता के तौर पर एक 'उचित शिकायत' और / या 'विश्वसनीय जानकारी' में एक अंतर बताया।[13]

इसके कारण न्यायालय ने यह तय किया कि धारा 154 में सूचना' शब्द की गैर-योग्यता का मतलब है, कि सूचना की विश्वसनीयता या तर्कशीलता पर पुलिस द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है,और जब तक पुलिस को दी गई जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, पुलिस इस जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है।

इस सवाल पर कि क्या पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज करने से पहले 'प्रारंभिक जांच'[14] करने का अधिकार है, और कर्तव्य से अनिवार्य रूप से सूचना के आधार पर एक संज्ञेय अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए, अदालत ने माना कि पुलिस के पास ये जांच करने का अधिकार नहीं है कि जानकारी विश्वसनीय और वास्तविक है या नहीं। पुलिस को कानूनी रूप से मामला दर्ज करने और जांच करने की आवश्यकता होती है।यदि पुलिस मामला दर्ज करने से इनकार करती है, तो वे अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं।जबकि अदालत ने कहा कि एफआईआर न दर्ज करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनको दोषी ठहराने के लिए कार्रवाई "अवश्य" की जानी चाहिए, यह संकेत नहीं दिया कि कार्रवाई विभागीय / प्रशासनिक, या कानूनी / दंडात्मक, या दोनों होनी चाहिए।

भारतीय दंड संहिता में सभी यौन अपराधों या जिसे लिंग आधारित अपराध भी कहा जाता है, संज्ञेय अपराध हैं।इसलिए यौन अपराधों की शिकायतों को तुरंत एफआईआर की तरह दर्ज करने का पुलिस का कर्तव्य स्पष्ट और कानूनन अनिवार्य है।

1.7 एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया

सीआरपीसी की धारा 154, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करती है।सूचना या शिकायत लिखित या मौखिक रूप से पुलिस को दी जा सकती है।एक बार पुलिस को सूचना मिलने के बाद, निम्नलिखित कदम इसे एक एफआईआर में दर्ज करने की प्रक्रिया बनाते हैं:

यदि जानकारी मौखिक रूप से दी गई है, तो पुलिस अधिकारी को

I. शिकायतकर्ता से यह कहना होगा कि शिकायतकर्ता उसे सादे और सरल भाषा में बयान करे ताकि वो जितना संभव हो सके, शिकायतकर्ता के खुद के शब्दों में उसे लिख सके।

II. शिकायतकर्ता पुलिस द्वारा दर्ज की गई जानकारी को उनसे वापस पढ़ने के लिए कह सकता है।

III. एक बार एफआईआर अपने आधिकारिक प्रारूप में तैयार हो जाने के बाद, उसे सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित करना होता है।

IV. जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते हैं उन्हें, संतुष्ट होने के बाद कि यह एक सही आलेख है, अपने बाएं अंगूठे के निशान को एफआईआर पर लगाना चाहिए।

V. तुरंत और मुफ्त में एफआईआर की एक प्रति पाने का शिकायतकर्ता का कानूनी अधिकार है।

VI. पुलिस को एफआईआर की तारीख और लिखित शिकायत को पुलिस थाने की डायरी में ज़रूर दर्ज करना होगा।

1.8 एफआईआर दर्ज न होने पर उपाय

जिला पुलिस अधीक्षक और न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत

अगर पुलिस शिकायत को एफआईआर की तरह दर्ज करने से इनकार करती है तो शिकायतकर्ताओं के लिए कानूनी उपाय दो स्तरों पर उपलब्ध हैं ।एक पीड़ित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत भेज सकता है।जिला पुलिस अधीक्षक यदि संतुष्ट हो कि सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, तो वह पुलिस थाने के अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने और उसमें जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है।[16] अन्य उपाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)[17], के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है ताकि अदालत द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया जा सके।
इन उपायों के महत्व को पहचानते हुए, वास्तविकता यह भी है कि किसी भी

यौन अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण की विशेष प्रक्रिया

यौन अपराधों के एफआईआर के रूप में पंजीकरण के लिए कानून[15], विशेष प्रक्रियाओं के पालन का आदेश देता है।यदि संघर्षशील महिला स्वयं अपराध की सूचना पुलिस को देती है, तो सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जानी चाहिए।यदि सूचना देने के समय संघर्षशील महिला अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पुलिस अधिकारी को एक दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में, संघर्षशील महिला के निवास स्थान पर या उसकी पसंद की सुविधाजनक जगह पर सूचना दर्ज करनी होगी।

सूचना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता के लिए इन उपायों तक पहुंचने में उसे अतिरिक्त चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।हालांकि, इन उपायों को यह निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है कि एफआईआर दर्ज की जाए, ये अपने आप में उन पुलिस अधिकारी (अधिकारियों), जोएफआईआर दर्ज ना करके अपने कानूनी कर्तव्य में विफल रहे हैं, के खिलाफ कार्यवाई शुरू नहीं करते हैं ।यह हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट, जो जवाबदेही को प्राथमिकता देते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दे दें, लेकिन यहउनके व्यक्तिगत विवेक पर होगा।व्यवहार में,ये उपाय पुलिस की नियमित रूप से जवाबदेही का आश्वासन नहीं देते हैं।

दंडात्मक कार्यवाही

महिलाओं द्वारा करी गई लिंग आधारित हिंसा की शिकायतों को पुलिस द्वारा एफआईआर में दर्ज ना करने की समस्या को लंबे समय से आधिकारिक समितियों द्वारा मान्यता दी गई है, और विधायी सुधार के सुझाव दिये गये हैं।वास्तव में, इनकार करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के लिए पहली बार अप्रैल 1980 में भारत के विधि आयोग द्वारा न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित की अध्यक्षता में सिफारिश की गई थी।

बलात्कार और संबद्ध अपराधों पर अपनी 84वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने विचार किया कि "सिद्धांत रूप में, कानून में इस तरह के मामलों को दर्ज करने से इनकार (या पर्याप्त कारण के बिना विफलता) से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।[18] "बलात्कार के अपराध से चिंतित, आयोग ने दोहराया "बलात्कार का अपराध एक संज्ञेय अपराध है और अगर पुलिस इसे दर्ज करने में विफल रहती है, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।[19]

इसने दंडात्मक मंजूरी की आवश्यकता की ओर इशारा किया और निष्कर्ष निकाला कि "जैसा कि हमनें हमारे मौखिक चर्चा के दौरान समझा है कि प्रशासनिक कार्यवाही बहुत प्रभावी साबित नहीं होती है,प्रत्यक्षत: एक उपयुक्त दंड की आवश्यकता है।"[20] आयोग ने सिफारिश की कि दंड संहिता में एक विशिष्ट दंड प्रावधान जोड़ा जाता है जो इसे, न केवल बलात्कार बल्कि किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी दर्ज करने से इनकार करने पर थाने के अधिकारी-प्रभारी के लिए दंडनीय अपराध (कारावास या जुर्माना के साथ) बनाता है।यह आयोग द्वारा समर्थित शब्द है:
"जो कोई भी, एक थाने का प्रभारी अधिकारी होने के नाते और कानून द्वारा

अपेक्षित किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित किसी भी सूचना को दर्ज करने से मना करता है या बिना उचित कारण के ऐसी सूचना के दर्ज करने में विफल रहता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों हीदी जाएगी।"[21]

यह सिफारिश सालों तक ठंडे बस्ते में रही।दो दशकों से अधिक समय को आगे बढ़ाते हुए कानून, आपराधिक कानून में संशोधन के लिए ऐतिहासिक समिति (जिसे आपराधिक कानून में संशोधन पर न्यायाधीश वर्मा समिति के रूप में भी जाना जाता है) का गठन दिसंबर 2012 में किया गया था। जो नतीजा थी, दिल्ली में महिला का क्रूर सामूहिक-बलात्कार और हत्या के बाद औरमहिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तत्काल प्रणालीगत बदलावों की व्यापक सार्वजनिक मांग, ख़ास तौर पे यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए न्याय तक मजबूत पहुंच बनाने के लिए।अंतत: आपराधिक कानून में बड़ी संख्या में संशोधनों की पहचान करने के लिए, समिति ने 84 वें विधि आयोग को संदर्भित किया और अफसोस जताया कि संसद ने एफआईआर न दर्ज करने के लिए जवाबदेह एक पुलिस थाने के प्रभारी को पकड़ने के लिए दंडात्मक प्रावधान जोड़ने की अपनी सिफारिश को लंबे समय तक नजरअंदाज किया है।[22]

समिति ने भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 166एको डालने की सिफारिश कर के, इसे सार्वजनिक सेवक के लिए, जांच के संचालन से संबंधित "कानून के किसी भी दिशानिर्देश की जानबूझ के अवज्ञा करना", पर दंडनीय बना दिया।इस नयी धारा में एक उपधारा (सी) शामिल की है जिसने यौन अपराधों की जानकारी, जोकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के तहत दर्ज किया जाना था, उसको दर्ज ना करने पर एक सार्वजनिक सेवक को 5 साल के कारावास और जुर्माने का हक़दार बनाया।[23] कमेटी ने लॉ कमीशन की एक साल की कैद या जुर्माने की सिफारिश को काफी बढ़ा कर उसे 5 साल तक की अनिवार्य कैद की सजा;और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों का पंजीकरण न करने के लिए दंडात्मक मंजूरी को भी लागू किया।व्यवहार में, यहाँ संदर्भित लोक सेवक केवल एक पुलिस अधिकारी होगा क्योंकि पुलिस के पास ही संज्ञेय अपराधों की शिकायतों की सूचना लिखने और उनकी एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है।

अंत में, अप्रैल 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के पारित होने से एक उपधारा (सी) के समावेश के साथ एक नई धारा 166ए के माध्यम से एक दंड प्रावधान को संहिताबद्ध किया गया जो इसे सार्वजनिक सेवक को एक निश्चित यौन हिंसा की सूचना दर्ज करने में विफल रहने पर कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय बनाता है। धारा 166ए(सी) का पूरा सारांश नीचे दिया गया है।

166 ए:
कानून के तहत मिले दिशानिर्देश की लोक सेवक द्वारा अवज्ञा -
जो कोई भी, लोक सेवक हो,

(सी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को दर्ज करने में विफल रहता है, 1973 (1974 का 2), धाराओं के तहत संज्ञेय अपराध के संबंध में:

326ए:	एसिड के इस्तेमाल से स्वेच्छा से दर्दनाक चोट पहुँचाना।
326बी:	स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास
354:	महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल
354बी:	महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल
370:	मानव तस्करी
370ए:	तस्करी से लाये व्यक्ति का शोषण
376:	बलात्कार
376ए:	मौत का कारण बनना या हमेशा के लिए शिथिल अवस्था में चले जाने का कारण होना
376बी:	अलगाव के दौरान एक पति द्वारा अपनी पत्नी से संभोग
376सी:	अधिकार के पद पर व्यक्ति द्वारा संभोग
376 डी:	सामूहिक बलात्कार
376ई:	बार-बार अपराध करने वाले (धारा 376, 376 ए, 376 डी के तहत।)
509:	महिला के शील को अपमानित करने वाले शब्द, इशारे, कृत्य

कठोर कारावास से दंडित किया जाए, जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

वर्तमान में यह कानून है।धारा 166ए(सी) किसी भी अपराध की किसी भी शिकायत की एफआईआर दर्ज करने में विफल होने पर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है।ऐसा लगता है कि संसद ने विधि आयोग और 2013 की समिति की सिफारिशों के बीच सजा की मात्रा में समझौता कर लिया है, इसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और जुर्माने का हक़दार भी हो, ऐसा कर के।विशेष रूप से, 2013 के संशोधनों ने यौन अपराधों के दोषी एक जन सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को भी हटा दिया है।[24]

गृह मंत्रालय की सलाहें

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार 1995 से लेकर अब तक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रिया के साथ-साथ निवारक रणनीतियों की राष्ट्रीय सलाह जारी की है।2009 से जारी किए गए पांच विशिष्ट परामर्श गृह मंत्रालय की वेबसाइट[25] पर उपलब्ध हैं। इन परामर्शों में से कुछ, महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने से लेकर पुलिस थानों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए विशिष्ट जांच इकाइयों तक कई उपायों को अपनाने का आह्वान हैं ।

इसी के साथ, गृह मंत्रालय ने लगभग पांच परामर्श भी जारी किए हैं जो संज्ञेय अपराधों के मामलों में बिना देरी के एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के कर्तव्य को दोहराते हैं। ये उन उपायों को निर्धारित करते है जो अनिवार्य पंजीकरण का आश्वासन देते हैं यदि लागू किया जाए तब।उदाहरण के तौर पर, शिकायत दर्ज करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, जब पुलिस को एक अन्य पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराधों की शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे में 2013 के गृह मंत्रालय की सलाह का निर्देश है कि भले ही शिकायत / सूचना किसी अन्य क्षेत्राधिकार में एक कथित अपराध से संबंधित हो,पुलिस को"जीरो" एफआईआर जारी करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि एफआईआर को उसी अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया जाए।[26]

2013 में जारी की गई तीन सलाह में, धारा 166ए(सी) के बाद, भारतीय दंड संहिता को कानून बनाया गया था, गृह मंत्रालय ने अनुभाग को बार-बार संदर्भित किया और पुलिस विभागों से सभी नए पुलिस कर्मियों को इस नए दंडात्मक प्रावधान से अवगत कराने के लिए निर्देश दिए और लक्षित प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आग्रह किया।[27] एक उत्साहजनक रुप में, पुलिस की जवाबदेही के संदर्भ में यह खंड अनुभाग को संदर्भित करता है।मई 2019 में जारी एक नवीनतम सलाहकार द्वारा इन्हें बंद कर दिया गया है, जो अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता का पालन करने में पुलिस की विफलता की और इशारा करता है,धारा 166ए(सी) के दंडात्मक प्रावधान को रेखांकित करता है, और जोर देता है कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस को "एफआईआर दर्ज करने के संबंध में कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश देने चाहिए।"[28]

राष्ट्रीय सलाह के माध्यम से गृह मंत्रालय ने कानून के पालन पर बार-बार जोर देने में, और एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की दिशा में ठोस

उपाय निर्धारित करने, और धारा 166ए(सी) के लागूकरण में, एक मजबूत भूमिका निभाई है। यह पुलिस विभागों द्वारा ठोस उपाय अपनाने के लिए है, और विभागीय परिपत्र / सूचना जारी कर सूचना दर्ज करने की विफलता को बिलकुल ना स्वीकारने के साथ साथ भारतीय दंड संहिता में दंडित किए गए अपराधों को सख्ती से पुनः अवलोकन के लिए कहता है।

यूपी पुलिस परिपत्र/ सर्कुलर: अगस्त 2019

अगस्त 2019 में, यूपी पुलिस के महानिदेशक ने एक परिपत्र[29] जारी किया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कुछ जिलों में पुलिस द्वारा ठीक से दर्ज नहीं किया गया, से संबंधित चिंताओं को इंगित किया, यह बताते हुए कि यह "अप्रत्याशित और अस्वीकार्य" है। परिपत्र स्पष्ट करता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के त्वरित पंजीकरण का पालन किया जाना है, और ऐसा करने में विफल रहने से न केवल विभागीय कार्रवाई को किया जाएगा, बल्कि दंडात्मक उपाय भी किए जाएंगे। यहां तक कि संख्या में इंगित न कर पाने के बावजूद, परिपत्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज न करने की समस्या की गहराई को पहचानता है।

1.9 संघर्षशील महिलाओं द्वारा पहली बार में इनकार का सामना करना जारी है

कानून में दंडात्मक प्रावधान आ जाने के साथ भी, संघर्षशील महिलाओं के लिए यौन हिंसा की शिकायत दर्ज होने में आसानी नहीं हुई है। महिलाओं को नियमित रूप से उत्पीड़न और सीधे इनकार का सामना करना पड़ता है,जब वे पहली बार शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क करती हैं। इसकी न केवल महिलाओं के अधिकार संगठनों और वकीलों, जो प्रभावित महिलाओं के साथ सीधे काम करते हैं, द्वारा पुष्टि की जाती है बल्कि संस्थानों द्वारा भी।

सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2014 के अपने फैसले में कहा कि पुलिस द्वारा अपराधों का दर्ज ना करना या उन्हें दबा देना पीड़ितों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

हालाँकि, कानून में दंडात्मक प्रावधान को सम्मिलित करने के बाद, अनुभाग को लागू करने के न्यायपालिका के अपने स्वयं के, बहुत कम सबूत हैं, हालांकि ऐसे मामले हैं जिनमें अदालतों द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।[30] अक्टूबर 2016 में, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था "नॉन-रजिस्ट्रेशन ऑफ़ क्राइम – प्रॉब्लम्स एंड सॉल्युशन"।[31] यह दो साल से

महिलाओं को नियमित रूप से उत्पीड़न और सीधे इनकार का सामना करना पड़ता है,जब वे पहली बार शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क करती हैं।

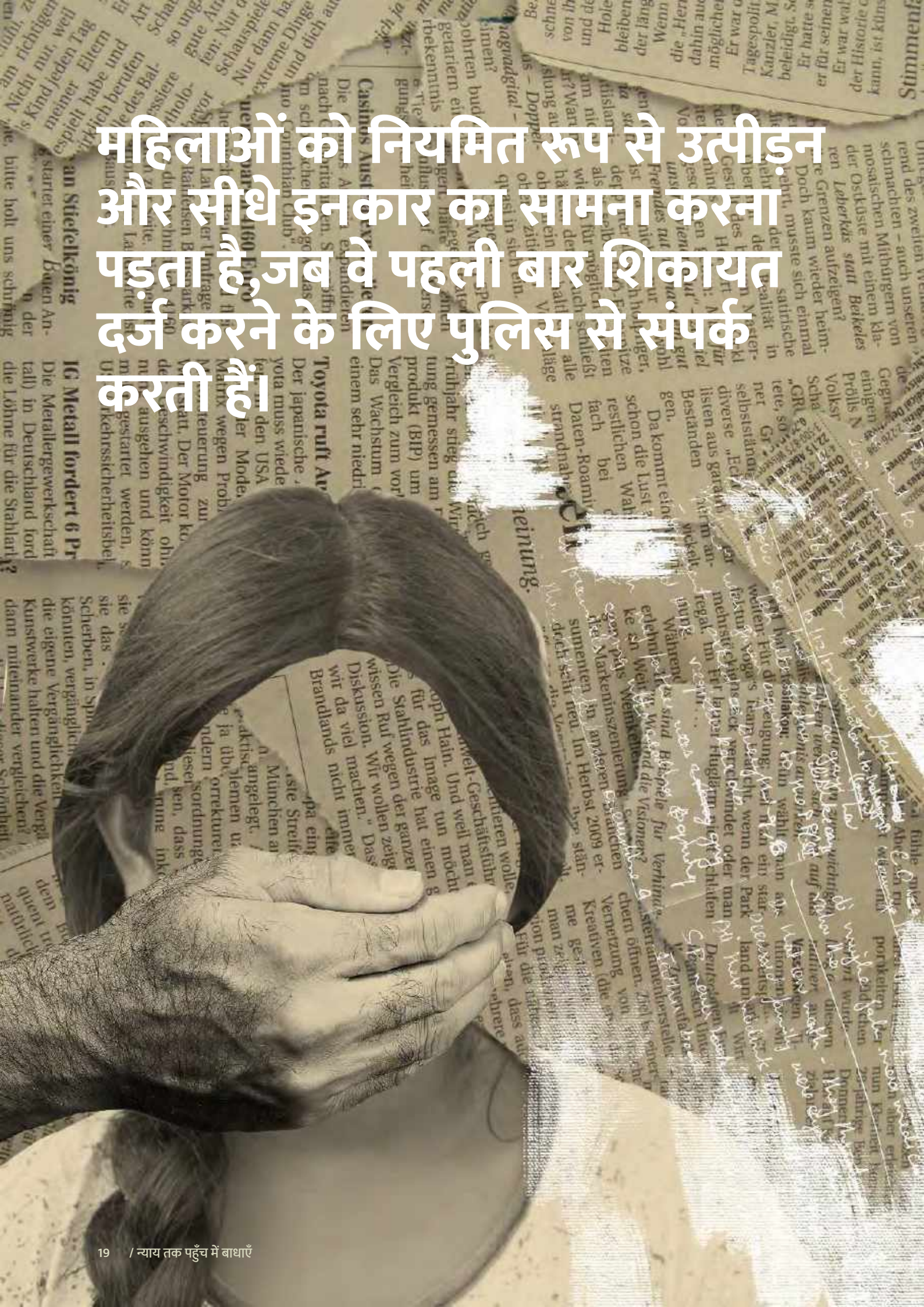

अधिक के बाद था कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पुलिस को संज्ञेय अपराधों की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और धारा 166ए(सी) के पारित होने के तीन साल से अधिक के बाद। यह अध्ययन न केवल गैर-पंजीकरण की निरंतरता को स्वीकार करता है, बल्कि इसके कारणों की पहचान भी करता है।"पुलिस जवाबदेही की कमी" को एक योगदान कारक बताया गया है।[32] अध्ययन सूचना दर्ज करने के इनकार के प्रभाव को बताता है:
"कुल मिलाकर, अपराधों का दर्ज ना होना गंभीर रूप से हाशिए पर और कमजोर वर्गों के लोगों और गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच को बाधित करता है।कुल मिलाकर, यह पुलिस प्रणाली की योग्यता और प्रभावशीलता को मिटाता है और कानून के शासन की भावना को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है |"[33]

यह स्वीकार करते हुए कि पुलिस द्वारा अपराध के दर्ज न होने की स्थिति से "पीड़ित" मुख्य रूप से समाज के गरीब या हाशिए के लोग हैं, अध्ययन में कहा गया है कि "उनमें से ज्यादातर महिलाएं, युवा और गरीब किसान हैं।"राज्यों में महिला समूहों के साथ केन्द्रित समूह चर्चायें आयोजित करने के बाद, अध्ययन ने "महिला पीड़ितों के प्रति पुलिस की उदासीनता"की ओर इशारा किया।[34] यह साझा किया गया कि महिलाओं को अकेले शिकायत दर्ज कराने जाने से डर लगता है; पुलिस ने बार-बार थानेतक आने पर ज़ोर दिया; पुलिस द्वारा पूछे गए डराने और शर्मिंदा करने वाले सवालों से महिलाएं परेशान होती हैं;और यदि वे वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो वे और अक्सर उनके परिवार के सदस्य पुलिस की फटकार झेलते हैं।[35]

1.10 एफआईआर दर्ज न करने पर आंकड़ों की अनुपस्थिति

पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किए गए मामलों की सही संख्या कोई नहीं जानता है, और शायद आधिकारिक आंकड़ों के माध्यम से कभी भी ये जान पाना असंभव है। कुछ देशों में, सरकार एक वार्षिक सार्वजनिक अपराध उत्पीड़न सर्वेक्षण का संचालन करती है जो न केवल लोगों द्वारा अनुभव किए गए सभी प्रकार के अपराधों को दर्ज करता है, बल्कि उन अपराधों को भी बताता है जो पुलिस ने दर्ज नहीं किए होंगे।भारतीय संदर्भ में, यदि इस प्रकार का सार्वजनिक अपराध सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसमें उन मामलों की संख्या इकट्ठी की जा सकती है जिनमें कोई व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए गया था लेकिन उसे मना कर दिया गया था।

शिकायत दर्ज होने के आंकड़ों की कमी के साथ ही,सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर क्या कार्रवाई हुई, यदि कोई कार्यवाही हुई तो। सबसे ख़ास बात ये है कि,

“आवेदन सार्वजनिक हित में नहीं था”

“जानकारी बहुत बड़ी है”

- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए सूचना के अधिकार के आवेदन को खारिज कर दिया।

वार्षिक अपराध आंकड़ों में, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 166ए(सी) के तहत दर्ज मामलों की रिपोर्टिंग नहीं है।हमेशा से चला आ रहा अनियंत्रित खराब तरीका और एक प्रणालीगत खराबी ना मान कर पुलिस विभाग का ये ढीला ढाला वातावरण इन शिकायतों को कभी-कभार होने वाली, व्यक्तिगत बुरा व्यवहार कह कर आसानी से किनारे कर देता है।

भारत की वार्षिक अपराध सांख्यिकी रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया, पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या (मौखिक और लिखित) और दर्ज किये गए मामलों पर आंकड़े प्रकाशित करती है।हालांकि यह सब मिलाकर, और राज्य-वार शिकायतों की कुल संख्या के आंकड़े प्रदान करता है, चाहे वो एफआईआर के रूप में दर्ज हुए हों या नहीं; 2016 के बाद से, शिकायतें किस प्रकार की हैं इस पर आंकड़े नहीं दिए गए हैं।साथ ही 2014 और 2018 के चार साल की अवधि के बीच में, प्रत्येक वर्ष में इस शीर्षक के तहत जो प्रकाशित किया गया है उसमें बहुत असंगतियां हैं।

2018 में, सीएचआरआई ने धारा 166ए(सी) के उपयोग पर आंकड़े इकट्ठा करने और उनकी तुलना करने के प्रयास में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना के अधिकार की अर्ज़ी दायर की।[36] जानकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित पर मांगी गई थी: 1) एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की संख्या, और2) एफआईआरके विवरण के साथ, दर्ज की गई एफआईआर रिपोर्टों की

संख्या। आठ राज्यों - राजस्थान, गुजरात, असम, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना - और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में से 25 पुलिस जिला कार्यालयों / पुलिस इकाइयों ने अपूर्ण, न्यूनतम जानकारी के साथ जवाब दिया जो ये समझने के लिए अपर्याप्त था कि धारा 166ए(सी) के तहत पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही थी या नहीं। बाकी सभी जवाबों में ये था के या तो ऐसा कोई मामला कभी दर्ज ही नहीं हुआ था, या उस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

चार राज्यों - राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना- में सात पुलिस जिला कार्यालयों / पुलिस इकाइयों ने एफआईआररिपोर्टों की संख्या प्रदान की। इतने पर भी, तकनीकी बाधाओं के कारण राज्य पुलिस की वेबसाइटों से एफआईआर की प्रतियां नहीं ली जा सकीं।[37] आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न कारणों, जैसे "आवेदन सार्वजनिक हित में नहीं था", "जानकारी बहुत बड़ी है" और "मांगी गई जानकारी को निष्कर्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है", का हवाला देते हुए सूचना के अधिकार के आवेदन को खारिज कर दिया। मणिपुर और तमिलनाडु ने सूचना के अधिकार के आवेदन का जवाब ही नहीं दिया।

इससे पता चला कि 166ए(सी) के तहत दर्ज की गई शिकायतों की संख्या के आंकड़े को समान रूप से रखा नहीं जा रहा है और इसलिए प्रावधान उपलब्ध होने के 7 साल से अधिक समय बाद भी उपलब्ध नहीं है।

1.11 निष्कर्ष में

इस रिपोर्ट का उद्देश्य संघर्षशील महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने में देरी,या पहली बार में शिकायत दर्ज करने से इनकार की पुलिस की गंभीर समस्याओं पर दबाव और उन पर तत्काल ध्यान देना है, और इस कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना है, 14 मामलों के दस्तावेज़ बनाने के माध्यम से। महिलाओं के लिए उपलब्ध उपायों तक पहुँचने में कठिनाइयों, साथ ही इस विश्वस की कमी है कि उपचार वास्तव में उनके पक्ष में काम करेंगे, यह भी पता चला है। आखिरकार यह रिपोर्ट पुलिस की जवाबदेही का आह्वान करती है। हमें उम्मीद है कि इसे कानून के पालन और उसके उल्लंघन के परिणामों को उभारने के लिए देखा जाएगा, न केवल पुलिस को संवेदनशील और यौन हमले से संघर्षशील महिलाओं के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, बल्कि पुलिस द्वारा अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के करीब लाने के लिए भी।

संदर्भ

[1] (जस्टिस वर्मा) कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ, *रिपोर्ट ऑफ़ द कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ* (2013), अध्याय बारह – पुलिस रिफॉर्म्स, पृष्ट 320

[2] सीएचआरआई एक गैर-सरकारी संगठन है जिसने दो दशकों से अधिक समय तक पुलिसिंग और पुलिस सुधार से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। आली एक महिला के नेतृत्व वाली और महिलाओं द्वारा चलाई जा रही मानवाधिकार संगठन है जो महिलाओं, बच्चों और अन्य हाशिए के समुदायों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और उन्नति के लिए काम करती है।

[3] इस रिपोर्ट में, अपराधों की समझ धारा 376 और 376 डी, और भारतीय दंड संहिता के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों में स्थापित दंडनीय अपराधों पर आधारित है।

[4] बासु रॉय, एस., व घोष दस्तीदार, एस. (2018), व्हाई डू मेन रेप? अंडरस्टैंडिंग द डीटरमिनंट्स ऑफ़ रेप्स इन इंडिया, थर्ल्ड वर्ल्ड क्वाटरली, 39(8), पेज 1435 – 1457; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2018.1460200 और डे, ए. और ओरटन, बी. (2016), जेंडर एंड कास्ट इंटरसेक्शनालिटी इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ़ द निर्भया केस, 16 दिसम्बर 2012;https://eprints.soas.ac.uk/29884/3/DEY%20Gender%20and%20Caste%20Intersectionality%20in%20India.pdf

[5] लोधिया, एस. (2015), *फ्रॉम "लिविंग कॉर्प्स" टू इंडियाज़ डॉटर: एक्सप्लोरिंग द सोशल, पोलिटिकल एंड लीगल लैंडस्केप ऑफ़ द 2012 डेल्ही गैंग रेप,* इन विमेंस स्टडीज़ इंटरनेशनल फोरम (वालूम 50, पेज: 89 -101); https://www.scu.edu/media/ethics-center/business-ethics/Lodhia-From-Living-Corpse-to-India's-Daughter-Women's-Studies-International-Forum.pdf

[6] गुप्ता, ए. (2014), रिपोर्टिंग एंड इन्सिडेन्स ऑफ़ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, राइस इंस्टिट्यूट: http://porterfolio.net/uploads/article/file/7125/gupta-2014-Reporting-and-incidence-of-violence-against-women-in-India-__1_.pdf

[7] लोधिया, एस. (2015), *फ्रॉम "लिविंग कॉर्प्स" टू इंडियाज़ डॉटर: एक्सप्लोरिंग द सोशल, पोलिटिकल एंड लीगल लैंडस्केप ऑफ़ द 2012 डेल्ही गैंग रेप,* इन विमेंस स्टडीज़ इंटरनेशनल फोरम (वॉल्यूम 50, पृष्ट : 89 -101); https://www.scu.edu/media/ethics-center/business-ethics/Lodhia-From-Living-Corpse-to-India's-Daughter-Women's-Studies-International-Forum.pdf और बाजपाई, जी. एस., व मेंदीरत्ता, आर. (2019), जेंडर नोशन इन जजमेंट ऑफ़ रेप केसेस फेसिंग द डिस्टर्बिंग रियलिटी; http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/47598/1/019_Gender%20Notions%20In%20Judgments%20of%20Rape%20Cases%20Facing%20The%20Disturbing%20Reality%20%28298-311%29.pdf

[8] कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ़ आल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन (सिक्सटी फर्स्ट सेशन, 2015); कमिटी जनरल रिकमेन्डेशन संख्या 33 – विमेंस एक्सेस टू जस्टिस, अनुच्छेद 26: https://bit.ly/3gttgL3

[9] पूर्वोक्त, अनुच्छेद 27

[10] पूर्वोक्त, अनुच्छेद 51(सी)

[11] पूर्वोक्त, अनुच्छेद 51(डी)

[12] ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य AIR 2014 SC 187

[13] दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (बी), (बीए) और (जी), 1973 का संदर्भ लें।

[14] न्यायालय ने अपराधों की 5 सामान्य श्रेणियां रखीं, जिसमें प्रारंभिक जाँच की अनुमति है, लेकिन 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यौन अपराध इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं।

[15] दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 154 के प्रावधान में कहा गया है, (शब्दशः): बशर्ते कि यदि जानकारी देने वाली महिला जिसके ख़िलाफ़ कथित रूप से अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354सी, 354डी, 354डी, 376ए, 376बी, 376बी, 376सी, 376डी, 376इया धारा 509 के तहत हुआ है या अपराध का प्रयास किया गया है, तो इस तरह की जानकारी एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी:
बशर्ते कि आगे:
(ए) उस स्थिति में जब कि व्यक्ति जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376बी, 376बी, 376सी, 376डी, 376इ या धारा 509 के तहत कथित रूप से अपराध किया गया है, या अपराध करने का प्रयास किया गया है वह अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी जानकारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी, जानकारी दर्ज कराने वाले व्यक्ति के घर पर या उसकी सुविधा के स्थान जो उसके द्वारा चुना गया हो, दुभाषिया की उपस्थिति में या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो;
(बी) ऐसी जानकारी दर्ज होने की वीडियो ग्राफी की जाएगी;

[16] धारा 154 (3) में कहा गया है: "कोई भी व्यक्ति जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर सूचना को दर्ज करने से इनकार से परेशान है, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है कि वह जानकारी को लिखित और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो अगर संतुष्ट हो कि इस तरह की जांच एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, या तो मामले की स्वयं जांच करे या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को करी जाने वाली जांच का निर्देश दे; इस संहिता द्वारा प्रदान किये गये तरीके द्वारा, और ऐसे अधिकारी के पास, उस अपराध के संबंध में, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के सभी अधिकार होंगें।"

[17] धारा 156(3) में कहा गया है: "धारा 190 के तहत अधिकृत कोई भी मजिस्ट्रेट, ऊपर वर्णित की गई जाँच का आदेश दे सकता है।"

[18] भारतीय विधि आयोग (1980), एट्टी-फोर्थ रिपोर्ट ऑनरेप एंड एलाइड ओफेंसस: सम क्वेश्चन्स ऑफ़ सबस्टंटीव लॉ, प्रोसीजरएंड एविडेंस,अध्याय 3: अरेस्ट एंड इन्वेस्टीगेशन, भाग X, पृष्ठ 19 : http://lawcommissionofindia.nic.in/51-100/Report84.pdf

[19] पूर्वोक्त, पृष्ठ 19

[20] पूर्वोक्त, पृष्ठ 20

[21] पूर्वोक्त, पृष्ठ 20

[22] (जस्टिस वर्मा) कमिटी ऑन अमेंडमेंटस तो क्रिमिनल लॉ, रिपोर्ट ऑफ़ द कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ (2013), अध्याय तीन –रेप एंड सेक्शुअल असॉल्ट, पृष्ठ 104

[23] पूर्वोक्त, कॉनक्लूज़न एंड रिकमेन्डेशन्स, पृष्ठ 435

[24] दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में जोड़े गये स्पष्टीकरण, में कहा गया है: "संदेह के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए, धारा 166बी, धारा 354, धारा 354ए, धारा 354बी, धारा 354सी, धारा 354डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376ए, धारा 376सी, धारा 376डी या धारा 509 के तहत किए गए किसी भी अपराध के आरोपित किसी लोक सेवक के मामले में कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।"

[25] गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय सलाह यहां देखी जा सकती है:https://www.mha.gov.in/documents/national-advisories?page=1

[26] गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सलाह (2013), एफआईआर को दर्ज करना न्यायिक क्षेत्रीय अधिकार और जीरो एफआईआर के बावजूद, 10 मई, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvisoryFIR-290513.pdf

[27] उपरोक्त 2013 की सलाह के अलावा, 2014 और 2015 में सलाह भी जारी की गई: गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सलाह (2014), *जब सूचना एक संज्ञेय अपराध की है तो एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत,* 5 फरवरी, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvisoryFIR_060214.pdf; और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सलाह (2015), महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए व्यापक दृष्टिकोण (2015), 12 मई,https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvisoryCompAppCrimeAgainstWomen_130515_0.pdf

[28] गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सलाह (2019), भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के तहत सूचना रिकॉर्ड करने में विफलता, 16 मई;https://www.mha.gov.in/sites/default/files/WSdiv_CrimeAgainstWomen_advisory_17052019.pdf

[29] पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश, परिपत्र संख्या 36/19, 19 अगस्त 2019; अनुलग्न 1 देखें

[30] राम किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 SCC Online All 13077; उर्मिला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 SCC Online All 4568

[31] *ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ए स्टडी ऑन नॉन-रजिस्ट्रेशन ऑफ़ क्राइम प्रोब्लेम्स एंड सलूशनस* (2016),https://bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/201612200235022990797Report-Non-RegistrationofCrimesProblems&Solutions.pdf

[32] पूर्वोक्त, पृष्ठ 38

[33] पूर्वोक्त, पृष्ठ 38

[34] पूर्वोक्त, पृष्ठ 98

[35] पूर्वोक्त, पृष्ठ 98

[36] आरटीआई आवेदन अनुलग्न 2 में संलग्न है

[37] *यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ (AIR 2016 SC 4136),* के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक एफआईआर की प्रतियां, उन अपराधों को छोड़ के जो "संवेदनशील" माने जाते हैं, दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइट पर डल जानी चाहिए। तकनीकी अवरोध एफआईआर के ऑनलाइन पहुंच को बाधित करते हैं जिसकी गारंटी दी जानी है। धारा 166ए(सी) के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर अपलोड की जानी चाहिए और इसे संवेदनशील होने के कारण रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह लागू नहीं है।

कार्यप्रणाली

2

यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं द्वारा आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के उनके प्रयासों के दौरान के अनुभवों की गहन समझ हासिल करने के लिए यह शोध किया गया था। फिर बताना चाहेंगे कि उनका पहला संपर्क बिंदु पुलिस है, और एफआईआर को दर्ज कराना पहला चरण है। यह शोध जानबूझकर उन मामलों को देखता है जिनमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसने संघर्षशील महिला का न्याय तक पहुंच के अधिकार को प्रभावित किया और उसे मजबूर किया कि या तो वह अपने प्रयासों को न्याय प्रणाली के माध्यम से बढ़ाए, या पूरी तरह से वापस ले ले। इस अध्ययन के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित किया गया है:

1. पुलिस द्वारा यौन अपराधों के मामलों को दर्ज न किए जाने के कारण संघर्षशील महिलाओं द्वारा झेले गए अनुभवों और चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करना।

2. यह समझने के लिए कि कैसे संघर्षशील महिलायें अपने मामलों को दर्ज करवाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में उलझती हैं।

3. संघर्षशील महिलाओं पर यौन अपराधों के मामलों के दर्ज न होने के प्रभाव को समझने के लिए।

यह अध्ययन काफी हद तक संघर्षशील महिलायें जिन्होंने पुलिस को यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करानी चाही, उनके, आली के केसवर्करों, नेटवर्क के वकीलों, और लखनऊ के आशा ज्योति केंद्र (शहर का वन स्टॉप क्राइसिस

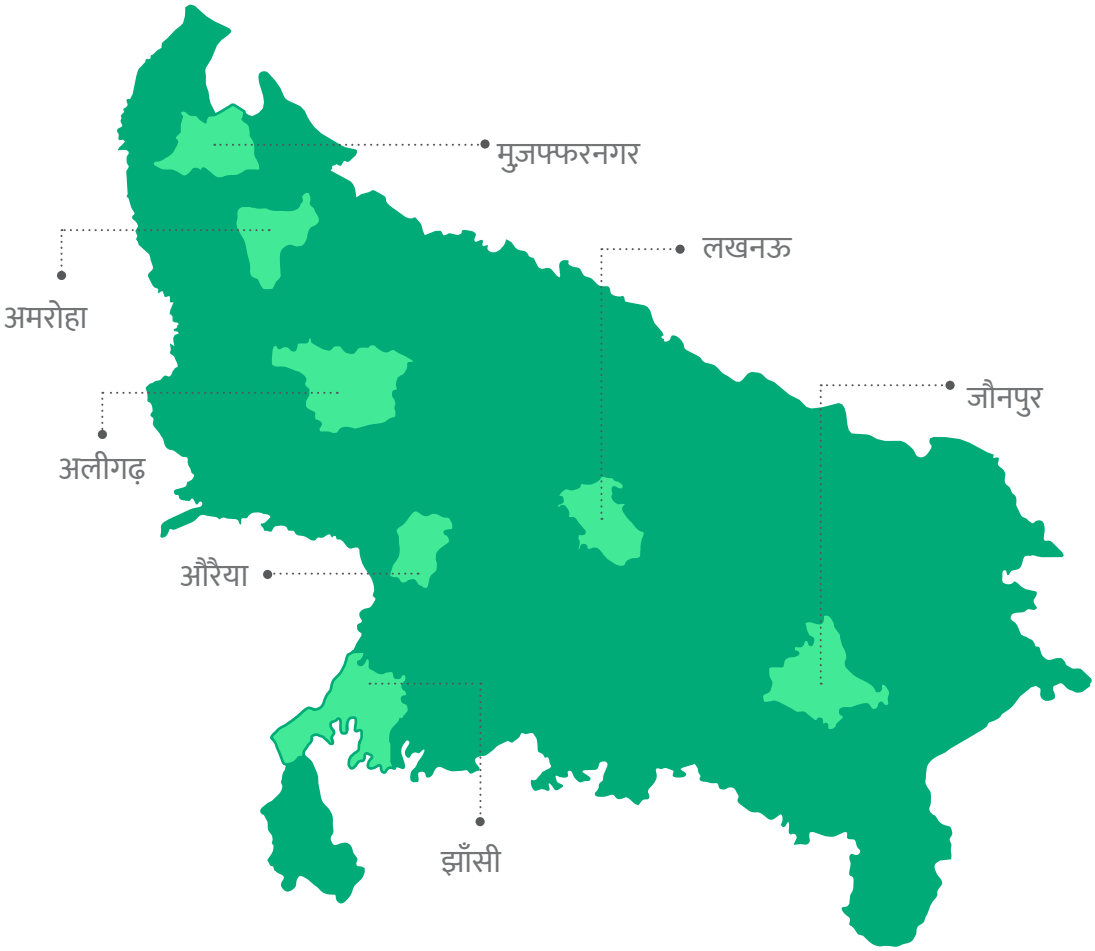

सीएचआरआई और आली ने सात जिलों के 9 केसवर्करों और 14 संघर्षशील महिलाओं का साक्षात्कार लिया।

सेंटर) के चुनिंदा कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार के आधार पर है। संघर्षशील महिलाओं के साथ-साथ केस वर्करों का भी साक्षात्कार लेने से इस अध्ययन को संघर्षशील महिलाओं के अपने और उनके समर्थन में काम करने वालों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिली।

साक्षात्कार सीएचआरआई द्वारा और जितने संभव हो सके, आली के साथ, आयोजित किए गए थे। कुछ संघर्षशील महिलाओं के साक्षात्कारों के लिए, जिन्होंने आशा ज्योति केंद्र से संपर्क किया था, एक आशा ज्योति केंद्र केसवर्कर साक्षात्कार के समय सीएचआरआई तक साथ आया था।

सीएचआरआई और आली ने सात जिलों - अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झाँसी, जौनपुर, और मुज़फ्फरनगर के 9 केसवर्करों और 14 संघर्षशील महिलाओं का साक्षात्कार लिया। मामलों के दस्तावेजों की

शुरुआती समीक्षा और केसवर्करों के साथ चर्चा के बाद, सीएचआरआई और आली ने इन 14 मामलों की पहचान की, जहां, जब संघर्षशील महिला द्वारा पहली बार संपर्क किया गया तब पुलिस एफआईआर दर्ज करने में विफल रही ।इस शोध के एक भाग के रूप में, इनमें से प्रत्येक को ' अध्ययन के एक मामले' के रूप में दर्ज किया गया है।

साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से एक सिलसिलेवार प्रश्नावली, जो शिकायत दर्ज़ कराने के अनुभव पर केंद्रित थी; पुलिस द्वारा इनकार का सामना करना पड़ा, पर पूछी गई और उसके बाद अर्ध-संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके, शिकायत दर्ज कराने के लिए उठाए गए कदम, पर पूछी गई थी।[38] साक्षात्कार के माध्यम से संघर्षशील महिलाओं के जीवन पर इस तरह के अनुभव के प्रभाव को समझने के प्रयास भी किए गए थे।प्रश्नों में भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) में निहित उपाय के बारे में जागरूकता के स्तर को मापने की कोशिश भी शामिल हैऔर इस उपाय को लागू करने में संभावित चुनौतियों की धारणा।

प्रत्येक साक्षात्कार हर उत्तरदाता को गोपनीयता के आश्वासन के बाद और जब उसने सहमति दी तब ही आयोजित किया गया था।सभी 9 केसवर्करों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। 9 संघर्षशील महिलाओं ने सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर किए;और बाकी महिलाओं ने मौखिक रूप से अपनी सहमति दी क्योंकि वे एक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने के बारे में आशंकित थीं।साक्षात्कार आयोजित करते समय, प्रत्येक उत्तरदाता को अध्ययन के औचित्य और उद्देश्यों के बारे में बताया गया।हालांकि संघर्षशील महिलाओं के साथअकेले में साक्षात्कार आयोजित करने के लिए उपाय किए गए थे, पर यह संभव नहीं था क्योंकि परिवार के सदस्य आसपास में ही थे।

संघर्षशील महिलाओं की सहमति से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), शिकायती आवेदन जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (एसएसपी / एसपी) या उच्च पुलिस अधिकारियों को भेजे गए आवेदन और भारतीय दंड संहिता की धारा 156(3) के तहत भेजे गए आवेदन और उसके बाद कोर्ट के आदेशमांगे गए थे, लेकिन सभी मामलों के लिए प्राप्त नहीं किये जा सके थे। इस रिपोर्ट में से, उत्तरदाताओं की पहचान छिपाए रखने के लिए उनके नाम और किसी भी पहचान की जानकारी को हटा दिया गया है।

संदर्भ

[38] अनुलग्न 3 देखें

संघर्षशील महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विवरण

3

यह खंड उन संघर्षशील महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा पर संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जिनसे हमने बात की थी। यह मात्र उनके द्वारा जिये गए हक़ीकत की झलक देने के उद्देश्य से है।

आयु

18-30	30-40	40-50	50-60
9	3	1	1

संघर्षशील महिलाएं मुख्य रूप से 18-30 वर्ष की आयुवर्ग में आती हैं। एफआईआर के दर्ज़ कराने के समय, सबसे कम उम्र की संघर्षशील महिला 19 वर्ष की थी, और सबसे बड़ी उम्र की 55 वर्ष की थी।

जाति और धार्मिक विवरण

हिन्दू			मुसलमान
अनुसूचित जाति	अन्य श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	4
6	3	1	

धर्म के संदर्भ में, 10 संघर्षशील महिलाएं हिंदू और 4 मुस्लिम हैं। जाति में से, 6 महिलाएं अनुसूचित जाति की हैं, एक ओबीसी है, और 3 अन्य श्रेणी की हैं। हम मुस्लिम महिलाओं की जाति से अवगत नहीं हैं।

शिक्षा का विवरण

कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	कक्षा आठ तक	ग्रेजुएट
6	4	4

हमारे द्वारा बात की गई संघर्षशील महिलाओं का शिक्षा का स्तर अलग अलग था। 14 में से 6 को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली हुई थी। 4 ने पूर्व-माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करी हुई थी और 4 कॉलेज ग्रेजुएट थीं।

रोजगार का विवरण

गृहिणी	घरेलू कामगार	अन्य
7	3	4

शायद उच्च शिक्षा तक पहुंच की कमी से जुड़ा हुआ कारण है कि हमारे द्वारा चुने मामलों में से आधी संघर्षशील महिलाओं के पास उचित तनख्वाह के रोज़गार नहीं है। इसका मतलब है कि वे आर्थिक रूप से अपने परिवार और रिश्तेदारों पर निर्भर हो सकती हैं। 14 में से 7 संघर्षशील महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं था और वे गृहिणी हैं। 3 ने घरेलू कामगार के रूप में काम किया। 4 के विभिन्न काम थे जैसे दर्जी, दुकानदार, मजदूर और एक सरकारी नौकर भी।

मामलों का संक्षिप्त विवरण

4

निम्नलिखित 14 मामलों के विवरण प्रत्येक 14 संघर्षशील महिला के अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं,उसकी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास करने, पहली बार में इनकार और / या देरी का सामना करना, उपचार का पीछा करना, और अंतिम परिणाम।

मामलों के विवरण इस बात पर आधारित हैं कि संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों ने हमारे साथ उनके साक्षात्कार में क्या कहा, और जहाँ तक संभव हो सका हमने उनके शब्दों को अपने शोध में वैसा ही प्रस्तुत किया है।

मामलों के संक्षेप, आम तौर पे होने वाले और परेशान करने वाले चलन जैसे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में पुलिस द्वारा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन और पुलिस द्वारा दुराचार, दिखाते हैं। ये सूचीबद्ध हैं,साथ ही साथ पुलिस द्वारा पहले इनकार करने के बाद हर मामले में अंतत: एफआईआर दर्ज होने के लिए लिया गया अनुमानित समय भी।

मामला 1.

आयु: 40-45 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	घरेलू मजदूर	मुसलमान	नहीं पता है	अलीगढ़

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति के दोस्त ने **मई, 2017** को उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया। वह खुद, घटना के ही दिन स्थानीय चौकी (पुलिस चौकी) गई थी।

सूचना देना और इनकार

इस स्थानीय चौकी में, संघर्षशील महिला ने उप-निरीक्षक (एसआई) पद के एक पुरुष चौकी प्रभारी से मुलाकात की। उसने इस घटना को सुनाया और उसे कथित अपराधी का नाम भी बताया। उसने उसे अपनी लिखित शिकायत दी, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं की।
2. एसआई ने महिला की छवि को बदनाम किया।
3. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
4. एसआई ने थाने में बिना किसी कार्यवाही के महिला को घंटों इंतजार कराया।
5. एसआई ने संघर्षशील महिला के बयान को अमान्य कर दिया।
6. संघर्षशील महिला के मामले को केवल एस 376 के बजाय बलात्कार की कोशिश के रूप में दर्ज किया गया (आईपीसी एस 376,आईपीसी 511 के साथ पढ़ा)।
7. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एसएसपी) / पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने एसआई और थाना प्रभारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए (सी) का चालान नहीं किया।

15 दिनों के बाद

उसी अपराधी द्वारा उसे मारा पीटा गया और छेड़छाड़ की गई। वह वापस चौकी गई और प्रभारी अधिकारी को एक लिखित शिकायत सौंपी। हालांकि उन्होंने उसका आवेदन ले लिया, लेकिन उसने महिला की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया। उसने यह कहते हुए एक टिप्पणी की, "तुम इतनी ख़ूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हे कोई परेशान करेगा, तुम कोई लौंडिया भी नहीं हो जो तुम्हें कोई सेक्शुअली असॉल्ट करे।" अगले एक महीने तक, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जून 2017

उसने एक वकील से मदद मांगी। वकील ने उसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एसएसपी) और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायतें भेजने की सलाह दी। अगले 3-4 महीनों की अवधि में, वकील की मदद से, उसने एसएसपी के कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और राज्य महिला आयोग जैसे विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें भेजीं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

16 अक्टूबर 2017

संघर्षशील महिला वकील के ज़रिये एक केसवर्कर से मिली। महिला ने केसवर्कर को अपनी कठिनाई सुनाई। इसके बाद, केसवर्कर ने संघर्षशील महिला को सहारा देने के लिए कदम उठाए।

11 नवंबर 2017

अपराधी ने दूसरी बार उसे पीटा और बलात्कार किया। उसी दिन, महिला खुद थाने गई और उप-निरीक्षक (एसआई) पद के पुरुष पुलिस अधिकारी से मिली। वह लिखित शिकायत लेकर गई थी। अधिकारी ने शिकायत को पढ़ा। उन्होंने उसे बताया कि इंस्पेक्टर पद का थाना प्रभारी (एसएचओ) पुलिस थाने में नहीं है और उसे इंतजार करने के लिए कहा। जब वह इंतजार कर रही थी, केसवर्कर ने एक महिला कांस्टेबल से फोन पर संघर्षशील महिला के मामले के बारे में बात की, और उससे एफआईआर दर्ज करने में सहायता करने का अनुरोध किया। उसने शाम तक इंतजार किया फिर घर लौट गई, मामले में कोई कार्यवाही हुए बिना।

12 नवंबर 2017

सुबह, संघर्षशील महिला केसवर्कर के साथ थाने में वापस गई। शिकायत एसआई पद के पुरुष अधिकारी को दी गई। उन्होंने महिला की कथित बलात्कार की सभी घटनाओं को सुना। केसवर्कर ने देखा कि उसकी बात सुनते हुए एसआई संघर्षशील महिला को मज़ाक बनाते हुए देख रहा था। एसआई ने उससे यह भी पूछा कि यौन घटना सहमति से थी या नहीं, हालाँकि महिला ने उसे बताया था कि अपराधी ने उसके साथ बलात्कार किया था। फिर, अधिकारी ने उन्हें थाना प्रभारी की प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जो शाम 5 बजे ही पहुंचे। महिला और केसवर्कर वापस आ गए, फिर से कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी गई।

13 नवंबर 2017

सूचना दर्ज होना

महिला, केसवर्कर और एक वकील के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एसएसपी) के कार्यालय में गई।उन्होंने वकील की मदद से तैयार करी हुई एक लिखित शिकायत दी।एसएसपी ने शिकायत को पढ़ा और संबंधित थाने को भेज दिया।महिला और केसवर्कर ने पुलिस थाने में जाकर थाना प्रभारी से मुलाकात की।उन्होंने संघर्षशील महिला से बात की और थाने के प्रभारी अधिकारी को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। एफआईआर की प्रतिलिपि उसी दिन महिला को दी गई।

181

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **181 दिन** लग गए।

मामला 2.

आयु: 19 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कक्षा 5 तक	गृहणी	हिन्दू	अनुसूचित जाति	अमरोहा

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति ने **3 मार्च 2017** को उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया। **4 मार्च** को, संघर्षशील महिला अपने पिता के साथ पुलिस थाने गई, अपनी शिकायत की सूचना देने और एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, संघर्षशील महिला और उसके पिता इंस्पेक्टर पद के थाना प्रभारी से मिले और उन्हें एक लिखित शिकायत दी।महिला ने थाना प्रभारी को अपने शब्दों में बताया कि क्या हुआ।उसको सुनने के बाद, थाना प्रभारी ने उनसे कहा, "ये बिरादरी का मामला है, आप लोग शादी कर दो उनसे।मुकदमा करके कोई फायदा नहीं है।"महिला और उसके पिता बिना एफआईआर दर्ज हुए घर लौट आए। इसके बाद, थाना प्रभारी (एसएचओ) ने कथित अपराधी को धमकी दी और उसे महिला से शादी करने के लिए कहा।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. थाना प्रभारी (एसएचओ) ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
3. पुलिस और पंचायत ने महिला को उस अपराधी से विवाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की।
4. थाना प्रभारी (एसएचओ) ने महिला की कही बातों को मानने से मना कर दिया।
5. पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए महिला के पिता से रिश्वत मांगी।
6. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एसएसपी) / पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने थाना प्रभारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं की।

संदर्भ

[39] एफआईआर में अपराधी द्वारा मार्च में बलात्कार और चाचा द्वारा कथित अपराध दोनों शामिल थे।

22 अप्रैल 2017

ग्राम पंचायत और पुलिस के दबाव में, महिला के पिता ने अपनी बेटी की शादी अपराधी से करने के लिए सहमति दे दी।

1 मई 2017

अपराधी और महिला का विवाह हो गया। वह उसे अपने घर नहीं ले गया और उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए मजबूर किया। चाचा ने उससे घर का सारा काम करवाया और उसका यौन उत्पीड़न भी किया।

22 जून 2017

डेढ़ महीने के बाद, चाचा ने उसे एक बस अड्डे पर यह कहकर छोड़ दिया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा लेकिन वह कभी नहीं लौटा। संघर्षशील महिला, उस रात अपने आप वह अपने पैतृक घर पहुंची।

23 जून 2017

सूचना दर्ज होना

महिला और उसके पिता पुलिस अधीक्षक (एसपी) के कार्यालय गए। उसने एसपी को वह सब बताया जो हुआ था, और ये लिखित में भी दिया। महिला को सुनने के बाद, एसपी ने संबंधित थाने के प्रभारी को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।[39] एफआईआर की प्रतिलिपि उसी दिन महिला को दी गई थी।

नोट्स

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। इसके संबंध में, महिला के पिता एक लिखित शिकायत देने के लिए उप महानिरीक्षक (डीआईजी), मुरादाबाद के कार्यालय गए। वह यहां पहली बार केसवर्कर से मिले थे। उन्होंने केसवर्कर को बताया कि स्थानीय पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पैसे मांग रही थी। उसने यह भी बताया कि उसके पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं हैं। मामले को सुलझाने के लिए संघर्षशील महिला के पिता पर दबाव बनाने के लिए, स्थानीय पुलिस ने पिता के खिलाफ ही एक मामला दर्ज कर दिया।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **111 दिन** लग गए।

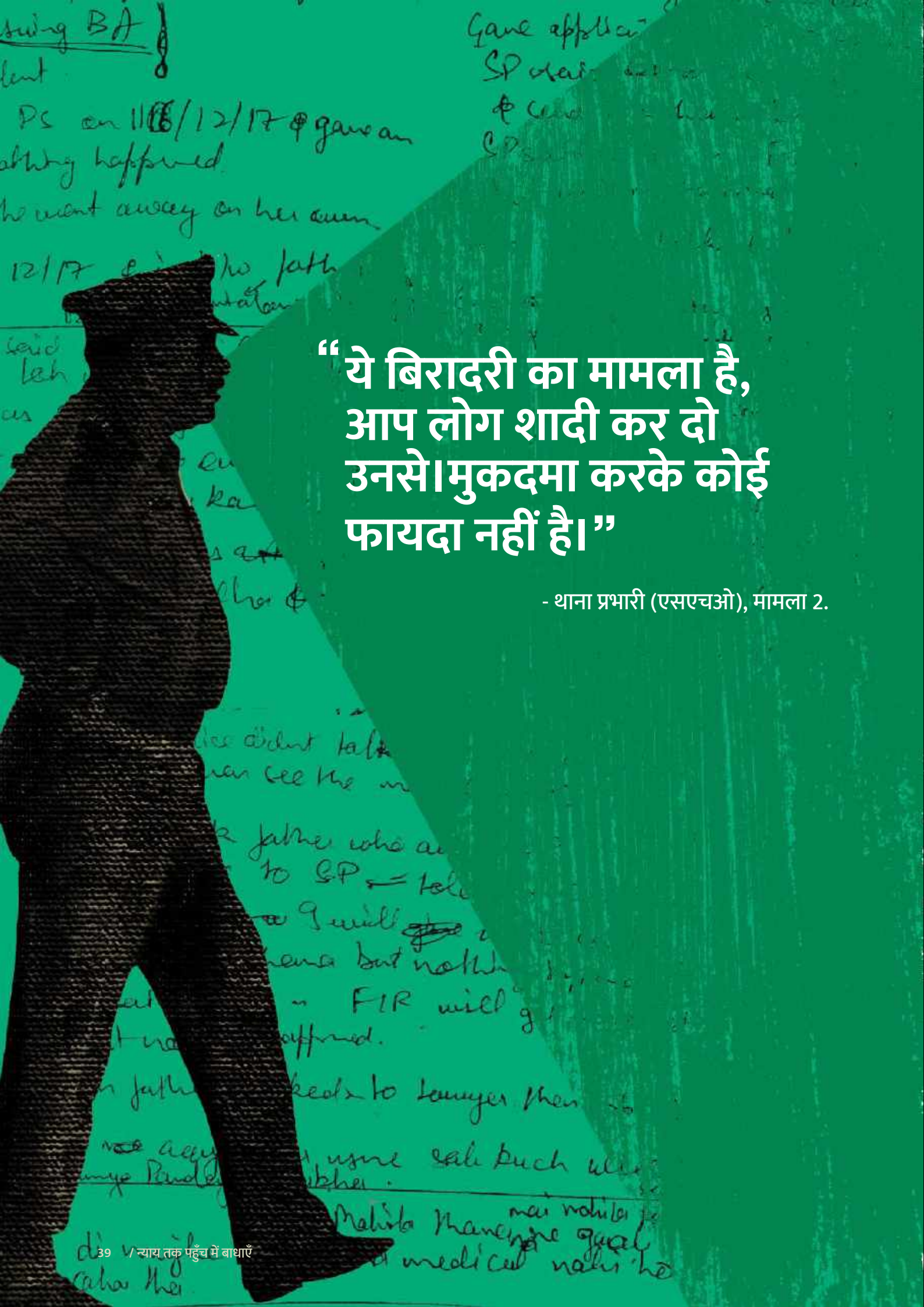

“ये बिरादरी का मामला है, आप लोग शादी कर दो उनसे।मुकदमा करके कोई फायदा नहीं है।”

- थाना प्रभारी (एसएचओ), मामला 2.

मेरे साथ बलात्कार हुआ और मेरी सुनवाई करने मे पुलिस को 111 दिन लग गए।

- संघर्षशील महिला, मामला 2.

मामला 3.

आयु: 21 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कक्षा 8 तक	दर्ज़ी	मुसलमान	पता नहीं	अमरोहा

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति, जिसे वो 4 साल से जानती है, ने **6 जून 2019** को उसके घर के करीब उसका बलात्कार किया। बलात्कार के बाद, महिला आठ दिनों तक पुलिस थाने नहीं गई क्योंकि ग्राम पंचायत उस पर कथित अपराधी से शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। उसके परिवार को मानना पड़ा और आठ दिनों तक इंतजार किया। कथित अपराधी महिला से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। **14 जून 2019** को, एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिला और उसका परिवार पुलिस थाने गए।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला और उसके परिवार ने महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ इंस्पेक्टर पद के थाना प्रभारी (एसएचओ) से मुलाकात की। महिला ने प्रभारी को अपने मामले का विवरण सुनाया। जब वह बोल रही थी, कांस्टेबल ने सूचना को लिखा लेकिन यह पता नहीं है कि जानकारी महिला को पढ़ कर सुनाई गई थी या नहीं। फिर महिला को इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। थाना प्रभारी (एसएचओ) ने महिला को कहा, "निकाह होगा अभी और इंसाफ मिलेगा।" महिला को घर जाने के लिए कहा गया और आश्वासन दिया गया कि तेजी से कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. थाना प्रभारी(एसएचओ) ने संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना को दर्ज़ नहीं किया।
2. प्रभारी (एसएचओ) ने तुरंत एफआईआर की प्रतिलिपि नहीं दी।
3. प्रभारी (एसएचओ) ने महिला और अपराधी को शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की।
4. प्रभारी (एसएचओ) ने एसपी से शिकायत करने पर महिला के परिवार को धमकी दी।
5. संघर्षशील महिला की लिखित शिकायत की प्रति को गुमा दिया।
6. पुलिस ने उसकी शिकायत को कम करने के लिए संघर्षशील महिला पर दबाव डाला।
7. एसपी ने प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) का चालान नहीं किया।

15 जून 2019

महिला और उसके परिवार ने अगले तीन दिनों (15 से 17 जून 2019) तक पुलिस की तरफ से कुछ नहीं सुना।

16 जून 2019

इस बीच, केसवर्कर ने एक स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से मामले के बारे में पढ़ा और बाद में महिला और उसके परिवार से मिला। केसवर्कर ने परिवार को एसपी कार्यालय जाने की सलाह दी क्योंकि पुलिस थाने द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। महिला के परिवार ने केसवर्कर को बताया कि उन्हें लगा कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि अपराधी ने पुलिस को कथित रूप से रिश्वत दी थी।

17 जून 2019

सूचना दर्ज होना

संघर्षशील महिला और उसका परिवार पुलिस अधीक्षक (एसपी) के कार्यालय गए। महिला ने एक लिखित शिकायत दी, और जो कुछ हुआ, उसका वर्णन करने के लिए उनसे मुलाकात की। एसपी ने थाने में बात की और थाना प्रभारी (एसएचओ) को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। महिला और उसके पिता पुलिस थाने गए जहां एसएचओ ने एसपी से शिकायत करने के लिए महिला के पिता को फटकार लगाई। उसने उन्हें पीटने की धमकी दी, ये कहते हुए, "गिराके मारुंगा तुझे तो सारी अकड़ निकल जाएगी।" पुलिस ने महिला को बताया कि उन्होंने उसकी मूल शिकायत खो दी और उसे केवल 4-5 लाइनों में जानकारी फिर से लिखने के लिए कहा गया। इस सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने महिला को तुरंत एफआईआर की प्रतिलिपि नहीं दी। उसने बाद में ग्राम प्रधान के ज़रिये एक प्रति प्राप्त की।

पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में **3 दिन** लग गए।

मामला 4.

आयु: 30 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	घरेलु कामगार	हिन्दू	अनुसूचित जाति	लखनऊ

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के एक व्यक्ति ने **4 जून 2019** को शाम 7 बजे उसके घर के पास एक खेत में उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने 112 हेल्पलाइन को फोन किया, जिसके बाद चार से पांच पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को सुबह पुलिस थाने आने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस थाने पर कोई महिला पुलिस नहीं थी। **5 जून 2019** को, महिला, अकेले सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, संघर्षशील महिला ने एक पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात की और उसे एक लिखित शिकायत दी। उसकी शिकायत एक मुंशी[40] के पास भेज दी गई जो थाने का कार्यवाहक प्रभारी था, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी ईद की तैयारियों के लिए तैनात थे। मुंशी ने महिला को शाम को आने के लिए कहा जब थाना प्रभारी(एसएचओ) मौजूद होंगे। वह शाम को लौटी और इंस्पेक्टर पद के प्रभारी से मिली। एक महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में उसकी शिकायत सुनने के बाद, अधिकारी ने महिला से कहा, "कि तुम गरीब हो, तुम रहने दो, और वैसे भी तुम झूटा केस लिखा रही हो तो केस नहीं लिखा जाएगा।" उसने उसे घर जाने के लिए कहा। महिला ने सुना कि कथित अपराधी ने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और उन्हें रिश्वत दी थी।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. पहली ही बार में संघर्षशील महिला की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
2. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना को दर्ज नहीं किया।
3. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
4 मुंशी ने महिला की लिखित शिकायत की प्रति को खो दिया।
5. एसएचओ ने महिला पर झूठे आरोप लगाए और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी।
6. एसएचओ ने महिला को गलत और भ्रामक जानकारी दी कि सीओ के आदेशों के बिना शिकायत नहीं लिखी जा सकती।
7. एसएचओ ने शिकायत को कमज़ोर करने के लिए महिला पर दबाव डाला।
8. एसपी ने मुंशी और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) नहीं लगाया।

संदर्भ

[40] मुंशी का तात्पर्य थाने के मुख्य, लिखित रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति से है

6 जून 2019

संघर्षशील महिला आशा ज्योति केंद्र (AJK) गई, जहां उसने एक केसवर्कर को अपनी आपबीती सुनाई।केसवर्कर ने उसके लिए एक शिकायत लिखी।उसी दिन केसवर्कर, महिला के साथ पुलिस थाने गई और थाना प्रभारी (एसएचओ) से मुलाकात की।एक महिला पुलिस अधिकारी थाने में मौजूद थी, लेकिन उसके और महिला के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।एसएचओ को सूचित किया गया कि महिला कल बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने थाने आई थी, लेकिन ऐसा करने से रोका गया।एसएचओ ने मुंशी से उसकी शिकायत के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो उनसे गुम हो गई है।जब केसवर्कर ने सूचना दर्ज होने में देरी के बारे में पूछा, तो एसएचओ ने कहा कि "महिला के घर पे दारु का धंधा होता है इसलिए पहले जांच होगी। "केसवर्कर ने, एसएचओ से इस मामले के संबंध में सर्किल ऑफिसर (सीओ) से संपर्क करने को कहा।एसएचओ ने उन्हें बताया कि वह दोपहर में सीओ को परेशान नहीं कर सकता क्योंकि वह आराम कर रहे होंगे। उन्होंने केसवर्कर को यह भी कहा कि वह बिना सीओ की अनुमति के ऐसे मामले दर्ज नहीं कर सकते।

6 जून 2019

सूचना दर्ज होना

केसवर्कर ने पुलिस थाने से एसएसपी कार्यालय को फ़ोन लगाया और पुलिस की कार्यवाही और इनकार करने की शिकायत की।फोन पर, एसपी ने प्रभारी (एसएचओ) को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।केसवर्कर के चले जाने के बाद, एसएचओ ने महिला को कहा कि "तुम राजनीति खेल रही हो, तुमसे राजनीति कराया जा रहा है" एसपी के आदेश के बाद भी, एसएचओ ने महिला पर एक कमज़ोर शिकायत दर्ज करने का दबाव डाला। महिला अपनी बात पर अड़ी रही और केसवर्कर को फोन पर इस बारे में सूचित किया।केसवर्कर ने एसएचओ को फोन किया और उसे उसकी मूल शिकायत में दी गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई।उसी दिन महिला को एफआईआर की एक प्रति दी गई थी।

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में पुलिस को लगभग **2 दिन** लग गए।

मामला 5.

आयु: 36 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	घरेलु कामगार	हिन्दू	अनुसूचित जाति	लखनऊ

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके जीजा ने **दिसंबर 2017** में एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। कुछ दिनों के बाद, महिला अपनी शिकायत दर्ज करने और एक एफआईआर दर्ज कराने अपने पिता के साथ पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, संघर्षशील महिला पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) पद के पुरुष पुलिस अधिकारी से मिली। महिला ने उसे एक लिखित शिकायत दी और अपना मामला उसे बताया जिसके दौरान कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने एक खाली कागज पर संघर्षशील महिला और उसके पिता के हस्ताक्षर लिए और उन्हें घर लौटने के लिए कहा। अगले दिन, महिला उसी पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए पुलिस थाने गई, लेकिन वह उससे नहीं मिले। महिला पूरे दिन थाने में इंतजार करती रही। उसने एसएचओ से भी बात की, लेकिन उसने महिला की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
3. एसआई ने संघर्षशील महिला और उसके पिता से एक खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये।
4. एसआई ने बिना किसी कार्रवाई के घंटों तक पुलिस थाने पर महिला को इंतजार करवाया।
5. एसआई ने उसे इस दावे के साथ ताना मारा कि वह एक झूठा मामला दर्ज कर रही थी।
6. एसएसपी ने एसआई और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) नहीं लागू किया।

संदर्भ

[41] ऑल-वुमन पुलिस थाने में मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच, उन्हें दर्ज करने, और जहां संभव हो, जांच करने के लिए महिला पुलिस तैनात किए जाती हैं।

अगले 3-4 दिन

संघर्षशील महिला बार-बार पुलिस थाने गई, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।एक बार एसआई ने उससे कहा, "तुम पैसे के लिए कर रही हो इसलिए झूठा केस लगा रही हो।" महिला ने कहा कि कथित अपराधी अधिकारी के संपर्क में था और उसने अधिकारी को रिश्वत दी थी।

कुछ दिनों के बाद

महिला, कुछ दिनों के बाद, महिला पुलिस थाने[41] गई।वह उप-निरीक्षक (एसआई) पद के एक अधिकारी से मिली और एक लिखित शिकायत दी।अधिकारी द्वारा महिला को बताया गया कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

8 अप्रैल 2018

सूचना दर्ज़ होना

तीन महीने के बाद, एक वकील के सुझाव पर महिला एसएसपी के कार्यालय में गई।उसने एक लिखित शिकायत दी और अपनी आपबीती बताई।महिला को सुनने के बाद, एसएसपी ने संबंधित पुलिस थाने को फोन किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा।

12 अप्रैल 2018

चार दिन बाद, संबंधित पुलिस थाने ने महिला के मामले में एक एफआईआर दर्ज की।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **117 दिन** लग गए।

मामला 6.

आयु: 55 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
बी ए / ग्रेजुएट	नौकरी(सरकारी सेवा)	हिन्दू	जनरल	झाँसी

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी घरेलू मदद ने वर्ष 2016-19 के बीच उसके घर पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। अपराधी कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसके वीडियो इंटरनेट पर लोगों के साथ साझा करने की धमकी दे रहा था। **19 जनवरी 2019** को, महिला, अपनी शिकायत दर्ज कराने और एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला ने निरीक्षक पद के एक पुरुष प्रभारी एसएचओ से मुलाकात की और उसे एक लिखित शिकायत दी। महिला ने जब अपना मामला सुनाया उस समय कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। महिला को सुनने और उसकी शिकायत पढ़ने के बाद, एसएचओ ने उससे कहा, "तीन साल तक होता रहा और तुम बोली नहीं।" उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। अगले कुछ हफ्ते, **10 फरवरी 2019** तक, महिला थाने में जाती रही। वह हर बार अलग-अलग पुलिस अधिकारियों से मिलती, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। महिला ने कहा कि वह एसएचओ से यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। महिला ने एक रजिस्टर डाक से एसएसपी के कार्यालय को एक लिखित शिकायत भेजी।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसएचओ ने महिला पर अविश्वास किया और उसे बदनाम किया।
2. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना को दर्ज नहीं किया।
3. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन हिंसा के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
4. एसएसपी / एसपी ने एक संज्ञेय अपराध होने की जानकारी प्राप्त करने पर एक जांच आयोजित करने के आदेश दिए।
5. एसएसपी / एसपी ने एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।

संदर्भ

[42] ये प्लेटफ़ॉर्म शिकायतों को दर्ज करने और लोक सेवकों / प्राधिकारियों के विरुद्ध जनता की शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करते हैं।

19 फरवरी 2019

वह एसएसपी से मिली। उसकी सुनवाई के बाद, एसएसपी ने संबंधित पुलिस थाने को मामले में प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए। यहां तक कि उसने अपने आवेदन को एसपी कार्यालय में भेज दिया। महिला ने एसपी से मुलाकात की, और उसे सिर्फ ढीलेढाले और सतही जवाब मिले कि "जांच की जाएगी"। कोई कदम नहीं उठाया गया।

1 मार्च 2019

महिला ने राष्ट्रीय / राज्य महिला आयोग, मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल, और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम)[42] के लिए एक लिखित शिकायत भेजी। आने वाले एक महीने, महिला एसएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय, सीओ कार्यालय और पुलिस थाने में अपने मामले पर आगे होती कार्यवाही के बारे में पूँछती रही।उसी महीने महिला को सीएम के हेल्पलाइन पोर्टल से एक फोन आया और उसके मामले की स्थिति के बारे में पूछा।महिला ने उन्हें बताया कि उसकी शिकायत की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है।

15 अप्रैल 2019

महिला को सीएम पोर्टल पर अपनी पहली जांच रिपोर्ट मिली।रिपोर्ट को एसएसपी और एसपी कार्यालयों को भी चिह्नित किया गया था।महिला ने एसएसपी कार्यालय में अपने मामले में हुई आगे की कार्यवाही की जानकारी ली।एसएसपी कार्यालय ने संबंधित थाने के एसएचओ के साथ आगे की कार्यवाही की जानकारी ली, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मई 2019

महिला ने डीआईजी को एक लिखित शिकायत दी। डीआईजी ने मामले को देखने के लिए सीओ को आदेश दिए और शिकायत को उनके पास भेज दिया।सीओ ने संबंधित पुलिस थाने के एसएचओ से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि महिला फर्जी मामला दर्ज करने की कोशिश कर रही है।

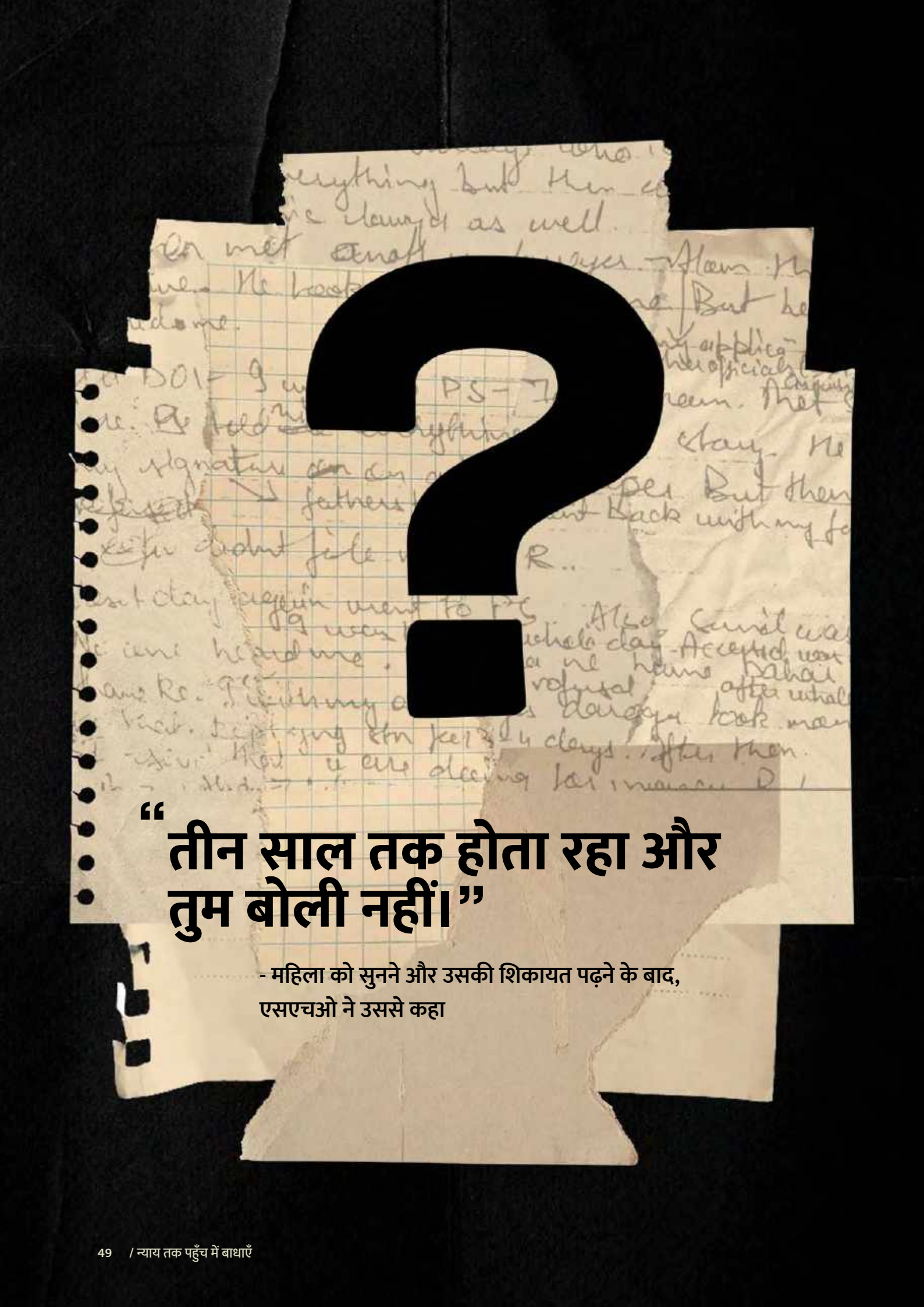

“तीन साल तक होता रहा और तुम बोली नहीं।”

- महिला को सुनने और उसकी शिकायत पढ़ने के बाद, एसएचओ ने उससे कहा

मई और जून 2019

महिला ने विभिन्न अधिकारियों के पास अपने मामले में कार्यवाही की जानकारी लेनी चाही।एसएसपी कार्यालय में मामले पर कार्यवाही की जानकारी लेने के दौरान, महिला एक केसवर्कर से मिली, जो तब महिला के साथ और भी अधिकारियों के कार्यालयों में गई।

13 जुलाई 2019

सूचना दर्ज़ होना

महिला और केसवर्कर एसएसपी के कार्यालय गए।महिला के मामले पर रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार उसके कार्यालय में मौजूद थे।दबाव में, एसएसपी ने संबंधित पुलिस थाने को फ़ोन किया और एसएचओ को तुरंत महिला के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएचओ को फ़ोन किया।संघर्षशील महिला को तुरंत पुलिस थाने बुलाया गया और उसकी शिकायत के आधार पर उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर की एक प्रति उसी दिन महिला को दी गई थी।

पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में लगभग **175 दिन** लगे।

मामला 7.

आयु: 25 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
बी ए / ग्रेजुएट	गृहणी	हिन्दू	जनरल	औरैया

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी स्थानीय बैंक शाखा के परिचितों ने **28 फरवरी 2018** को चलती कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। महिला बलात्कार के बाद लगभग नौ महीने तक रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने नहीं गई, क्योंकि उसे कथित अपराधी(यों) द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। **19 नवंबर 2018** को, वह खुद, अपनी शिकायत दर्ज कराने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला ने एक इंस्पेक्टर पद के थाना प्रभारी (एसएचओ) से मुलाकात की और उन्हें एक लिखित शिकायत दी।उसने यह भी बताया कि क्या हुआ, जिस दौरान कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी।उसके आख्यान को सुनने के बाद, एसएचओ ने कहा, "मैं नहीं लिखूंगा तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम फ़साना चाहती हो, तुम्हारा कुछ वाद-विवाद हुआ होगा, और जिसके खिलाफ़ तुम लिखवा रही हो वो एक सरकारी अफसर हैं, तो हम नहीं लिख सकते।"

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन हिंसा के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
3. एसएचओ ने संघर्षशील महिला की लिखित शिकायत फाड़ दी।
4. एसएचओ ने महिला को यौन हिंसा के लिए बदनाम किया।
5. आईजी ने तुरंत अपराध दर्ज करने के बजाय पूछताछ के लिए शिकायत को आगे बढ़ाया।
6. धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार) के बजाय, धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया।
7. एसपी ने एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) का चालान नहीं किया।
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसपी, सीओ और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।

19 नवंबर 2018

शिकायत दर्ज करने से इंकार करने के अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि "साली हर रोज़ महिला आती हैं, कभी कोई कपड़े फाड़ के आ जाती हैं कभी कोई ऐसे ही।" एसएचओ ने महिला के सामने उसकी शिकायत को फाड़ के फेंक दिया और उसे घर जाने के लिए कहा। महिला ने अन्य पुरुष पुलिस कर्मियों से अपमानजनक टिप्पणियां भी सुनीं, जैसे कि "की हम शकल देख के बता देते हैं।" महिला पुलिस ने संघर्षशील महिला से बातचीत नहीं की।

कुछ दिनों के बाद

एक वकील ने महिला को कानपुर महानिरीक्षक (आईजी) से मिलने के लिए कहा। वकील और महिला, आईजी के कार्यालय में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करने और उसे अपने मामले के बारे में बताने के लिए गए। सबसे पहले, आईजी ने यह दावा करते हुए उसे फटकार लगाई कि वह एक लोक सेवक को "फसाने" की कोशिश कर रही है। आखिरकार उसने महिला से कहा कि वह जांच करने का आदेश देगा और उसकी शिकायत एसपी को भेजेगा। एक सप्ताह के भीतर उसका आवेदन सीओ कार्यालय में पहुंच गया और महिला को वहां बुलाया गया। उसके वकील साथ में गए। सीओ के पाठक ने उसकी शिकायत पर गौर किया लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस थाने को कोई आदेश नहीं दिया गया।

13 दिसंबर 2018

सूचना दर्ज होना

जब पुलिस के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो महिला के वकील ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया। 30 जनवरी 2019 को, मजिस्ट्रेट ने संबंधित पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

1 फरवरी 2019

पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज की। महिला को दो दिन बाद अपने वकील के माध्यम से एफआईआर की प्रति मिल गई।

मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **74 दिन** लग गए।

मामला 8.

आयु: 27 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	दूकान चलाती है	हिन्दू	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	झाँसी

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के एक व्यक्ति ने **2 नवंबर 2018** को उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया।**3 नवंबर 2018** को, वह अपने ससुर के साथ अपने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला एसआई पद के एक पुरुष अधिकारी से मिली और उन्हें एक लिखित शिकायत दी।उसने जब अपने मामले का विवरण दिया उस समय कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी। शिकायत पर एसआई ने कार्रवाई नहीं की।उसने महिला से कहा कि वह बाद में गाँव का दौरा करेगा और उसे घर लौटने के लिए कहा।कुछ घंटों के बाद, एसआई ने गांव का दौरा किया, लेकिन महिला से मिले बिना ही चला गया।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
3. एसएचओ ने अदालत के आदेश के बाद भी संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
4. एसपी ने एसआई और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) का चालान नहीं किया।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसपी, एसएचओ और एसआई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।

दिसंबर 2018

30

कथित अपराधी ने महिला का फिर से यौन उत्पीड़न किया। उसने पुलिस थाने जाकर उसी एसआई को एक लिखित शिकायती आवेदन दिया। एसआई ने उसे आश्वासन दिया कि वह "अपराधी को पकड़ लेगा और उसे सलाखों के पीछे डाल देगा"। इसके साथ, महिला को घर जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद, उसने मामले में हुई आगे की कार्यवाही की जानकारी चाही लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। महिला को यह भी पता चला कि अपराधी ने पुलिस अधिकारी को रिश्वत दी थी।

जनवरी 2019

14

महिला केसवर्कर से मिली, जिसने उसे एसपी से मिलने की सलाह दी। महिला अपने ससुर के साथ एसपी के कार्यालय में गई। उसने एसपी को एक लिखित शिकायत दी और अपनी आपबीती सुनाई। एसपी ने उसे सुना लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में भेज दी। एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उसने एसपी कार्यालय में एक दो बार आगे हुई कार्यवाही के बारे में पूंछा लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

सूचना दर्ज होना

मार्च 2019

29

आली के नेटवर्क के एक वकील की मदद से, उन्होंने न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने से 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, पुलिस ने अदालत को एक रिपोर्ट भेजी, जो महिला के वकील के अनुसार गलत तथ्यों को समाहित करती है और इस बात का खंडन करती है कि यौन हमला हुआ था। वकील ने पुलिस रिपोर्ट के विरोध में मौखिक तर्क दिए।

मई 2019

21

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन को अदालत ने 21 मई 2019 को स्वीकार कर लिया, और पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

जून 2019

19

वकील ने अदालत से कहा कि वह पुलिस को कार्यवाही की रिपोर्ट देने का आदेश दे। एक बार जब अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी, तो पुलिस ने 19 जून, 2019 को एफआईआर दर्ज की। एफआईआर की प्रति उसी दिन महिला को दी गई थी।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **228 दिन** लगे।

मामला 9.

आयु: 23 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
बी ए पढ़ रही है	गृहणी	हिन्दू	अनुसूचित जाति	जौनपुर

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि **10 दिसंबर 2017** को उसके गांव के परिचितों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अपने आरोप में वह कहती है कि वह छह दिनों के बाद बच के निकल आई, और **16 दिसंबर 2017** को घर लौटी। **17 दिसंबर 2017** को, महिला के पिता अपनी बेटी की ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्हें बताया गया कि यह मामला इस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और उन्हें अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने में जाने के लिए कहा गया है। **18 दिसंबर 2017** को, महिला और उसके पिता सुबह क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने गए।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला पहले एक पुलिस कांस्टेबल से मिली और उसे अपने मामले के बारे में बताया। कांस्टेबल ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि थाने में इंस्पेक्टर पद का प्रभारी (एसएचओ) मौजूद नहीं था। वे एक एसआई से मिलने से पहले लगभग तीन घंटे तक इंतजार करते रहे। एसआई ने उन्हें एसएचओ का इंतजार करने के लिए भी कहा। वे शाम 4 बजे तक इंतजार करते रहे फिर घर लौट गए।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. संज्ञेय अपराध की, पहली ही दफा में शिकायत ले कर आने पर अधिकारी द्वारा जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
2. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
3. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
4. एसआई ने बिना किसी कार्यवाही के कई घंटों तक पुलिस थाने पर महिला को इंतजार कराया।
5. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
6. एसएचओ ने अदालत के आदेश के बाद भी संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
7. एसएचओ ने महिला पर नारी विरोधी टिप्पणी की।
8. एसपी ने एसआई और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।
9. सीजेएम ने एसपी, एसएचओ और एसआई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।

19 दिसंबर 2017

महिला और उसके पिता पुलिस थाने वापस गए, लेकिन एसएचओ से मुलाकात नहीं कर सके।यह अगले 2-3 दिनों तक जारी रहा।

22 दिसंबर 2017

महिला और उसके पिता पुलिस थाने गए।वे आखिरकार एसएचओ से मिले और उन्हें एक लिखित शिकायत दी।महिला को सुनने के बाद कि उसके साथ क्या हुआ, जिस समय कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, एसएचओ ने उनसे पूछा, "कहाँ थे आप लोग इतने दिन तक?" संघर्षशील महिला के पिता ने उन्हें बताया कि वे पुलिस थाने आये, लेकिन उनसे केवल प्रतीक्षा करवाया गया। महिला के पिता को लगा कि शायद एसएचओ पैसे की उम्मीद में जानबूझकर देरी कर रहा है।दोनों बिना एफआईआर दर्ज़ हुए ही घर लौट आये।

पुलिस थाने में बिताए गए इस समय में, महिला की किसी भी महिला पुलिस से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

इसके बाद, एक वकील के सुझाव पर, महिला और उसके पिता एसपी कार्यालय गए, और उन्हें एक लिखित शिकायत दी। एसपी ने उन्हें बताया कि वह उनकी शिकायत पुलिस थाने को भेजेंगे, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

5 जनवरी 2018

सूचना दर्ज़ होना

एक वकील की मदद से, महिला और उसके पिता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया। 16 जनवरी 2018 को, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, महिला के पिता कुछ दिन बाद पुलिस थाने गए। उसे वहाँ देखकर, एसएचओ ने उसे यह कहते हुए डाँटा कि " तुम फिर आ गए!" "आप अपनी बेटी से धंधा करा रहे थे पहले, अब यहाँ आ के कंप्लेंट लिखवा रहे हो" जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बीच जब यह स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, तब केसवर्कर को मामले के बारे में पता चला।

25 जनवरी 2018

जब केसवर्कर को पता चला कि अदालत के आदेश के बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तब केसवर्कर महिला और उसके परिवार से मिलने गई।

> "आप अपनी बेटी से धंधा करा रहे थे पहले, अब यहाँ आ के कंप्लेंट लिखवा रहे हो"
>
> - एसएचओ

27 जनवरी 2018

महिला के पिता, केसवर्कर, एक वकील और पत्रकार पुलिस थाने गए।मजिस्ट्रेट के आदेश को एसएचओ को दिखाया गया।एसएचओ ने केसवर्कर से मामले पर उसकी राय पूछी, जिस पर उसने जवाब दिया कि यदि महिला ने कहा है कि उसने यौन उत्पीड़न झेला है, तो यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह मामला दर्ज करे और मामले की सत्यता अदालत को तय करने दें। केसवर्कर ने एसएचओ से यह भी कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज नहीं किया, तो पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। एसएचओ ने उस दिन एफआईआर दर्ज की।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **40 दिन** लग गए।

मामला 10.

आयु: 37 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	मजदूर	हिन्दू	अनुसूचित जाति	लखनऊ

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी ने **17 अक्टूबर 2016** की शाम को उसके घर पर उसके साथ बलात्कार किया। **18 अक्टूबर 2016** को, महिला खुद अपराध दर्ज कराने और एक एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला पहले एक पुलिस कांस्टेबल से मिली और उसे अपने मामले के बारे में बताया। कांस्टेबल ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि थाने में इंस्पेक्टर पद का प्रभारी (एसएचओ) मौजूद नहीं था। वे एक एसआई से मिलने से पहले लगभग तीन घंटे तक इंतजार करती रही। एसआई ने उन्हें एसएचओ का इंतजार करने के लिए भी कहा। वे शाम 4 बजे तक इंतजार करते रही फिर घर लौट गए।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने महिला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
2. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
3. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी दर्ज नहीं की।
4. एसआई ने महिला और यौन उत्पीड़न से संघर्षशील महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।
5. एसएसपी ने संज्ञेय अपराध की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की।
6. एसआई ने अदालत के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में देरी करने / दर्ज न करने की कोशिश की।
7. एफआईआर की प्रति तुरंत नहीं दी गई।
8. एसएचओ ने एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने के लिए पैसे निकलवाने की कोशिश की।
9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएससी, एसएचओ और एसआई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) का चालान नहीं किया।

नोट्स

चूंकि कथित अपराधी महिला को अपशब्द कह के और उसके घर के दरवाज़े को पीट के प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए उसने आशा ज्योति केंद्र (एजेके) में केसवर्कर को फ़ोन किया। केसवर्कर ने महिला को पुलिस हेल्पलाइन, 112 पर कॉल करने के लिए कहा।जवाब में, जब पुलिस उसके घर आई, तो केसवर्कर को बाद में पता चला कि कुछ पुलिस कर्मियों का व्यहार महिला के प्रति बहुत रूखा था; एक ने उसे गाली भी दी।केसवर्कर ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

19 अक्टूबर 2016

महिला लिखित शिकायत के साथ अपने वकील के सुझाव पर एसएसपी के कार्यालय में गई, लेकिन एसएसपी से मिलने में असमर्थ रही।

20 अक्टूबर 2016

वह बार बार गई, लेकिन एसएसपी से नहीं मिल सकी क्योंकि वह कार्यालय में मौजूद नहीं थे।उसने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, उसकी पावती ली, लेकिन एसएसपी कार्यालय से उसे वापस कोई खबर नहीं मिली।

22 अक्टूबर 2016

सूचना दर्ज़ होना

एक वकील की मदद से, उसने स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया।अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

26 दिसंबर 2016

संबंधित पुलिस थाने ने महिला को फ़ोन किया और उसे थाने आने के लिए कहा।एसआई ने, झूठा मामला दर्ज करा रही हो बोल के महिला को ही बुरा बनाते हुए मामला दर्ज़ करने से मना करने की कोशिश की।महिला ने कहा, “कि क्यों कोई महिला इतना भागेगी फर्ज़ी केस के लिये।”आखिरकार, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।महिला को दो सप्ताह के बाद एफआईआर की एक प्रति मिली। एसएचओ ने एफआईआर की प्रति के बदले महिला से पैसे निकालने की कोशिश की।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **69 दिन** लग गए।

“साली हर रोज़ महिला आती हैं, कभी कोई कपड़े फाड़ के आ जाती हैं कभी कोई ऐसे ही।”

एसएचओ ने महिला के सामने उसकी शिकायत को फाड़ के फेंक दिया और उसे घर जाने के लिए कहा।
- मामला 10

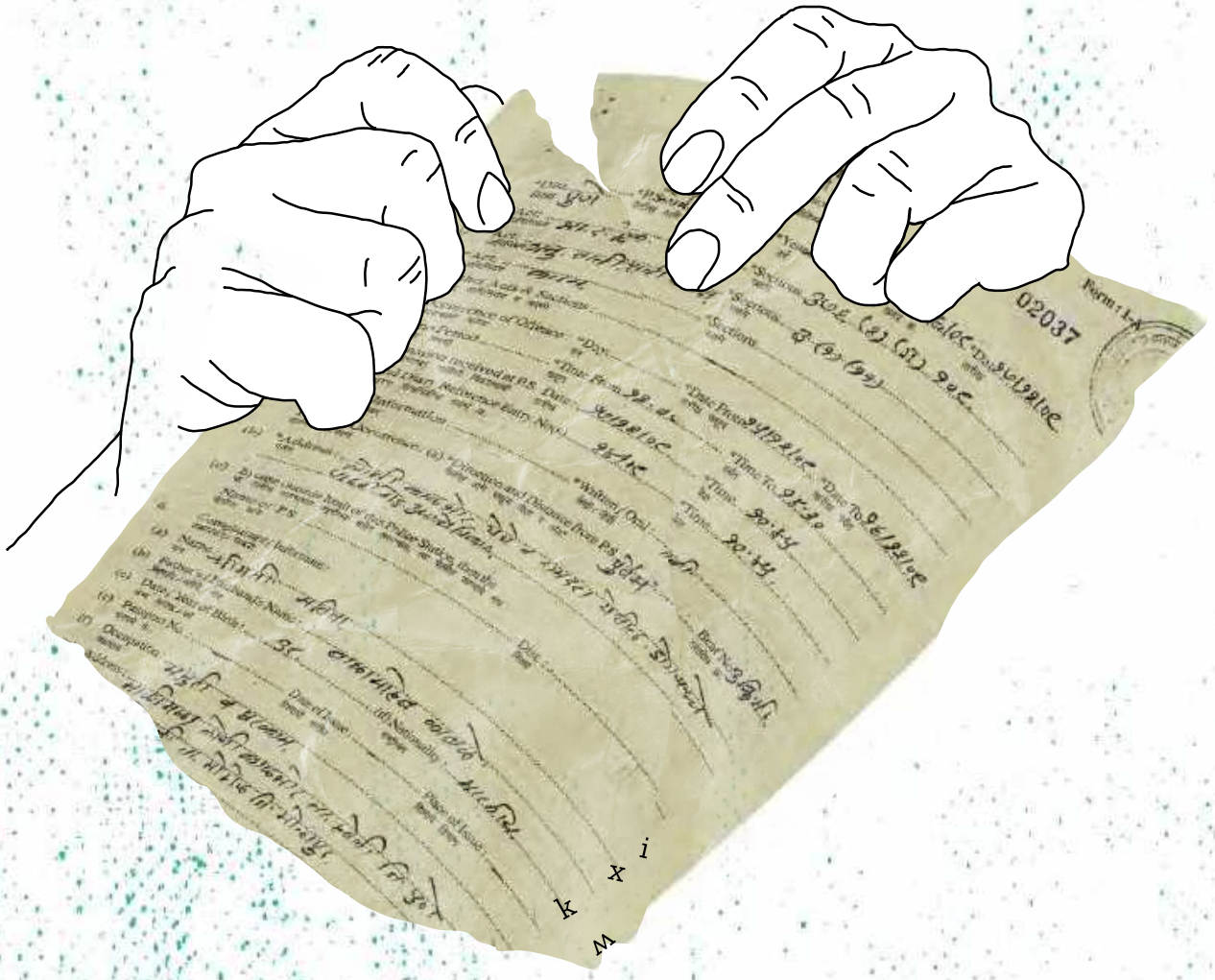
02037

मामला 11.

आयु: 33 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
पीएचडी, बी एड	गृहणी	हिन्दू	जनरल	मुजफ्फरनगर

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके देवर ने **17 जनवरी 2017** को उसके साथ बलात्कार किया। महिला कथित घटना के डेढ़ महीने बाद पुलिस थाने गई, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने पुलिस में नहीं जाने के लिए दबाव डाला था। **8 मार्च 2017** को, महिला एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने पिता और एक वकील के साथ ऑल-वीमेन पुलिस थाने गई।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, वे इंस्पेक्टर के पद के थाना प्रभारी (एसएचओ) से मिले। उन्होंने एसएचओ को एक लिखित शिकायत दी और महिला ने अपने मामले का सारा विवरण सुनाया। महिला को सुनने के बाद, एसएचओ ने उससे कहा, "समस्या यौन हमले की नहीं है, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच की बात है", यह जोड़ते हुए कि "तुम्हारे साथ सेक्सुँल वायलेंस नहीं हुआ है, कुछ ग़लतफ़हमी हुई है।" एसएचओ ने महिला को मध्यस्थता के लिए जाने पर दबाव डाला।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. एसएचओ ने महिला की बात को अमान्य कर दिया।
3. एसएचओ ने महिला पर झूठी शिकायत दर्ज करने का आरोप लगाया।
4. एसएसपी ने संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी मिलने पर कार्यवाही नहीं की।
5. एक पुलिस कर्मी ने महिला को एसएसपी के कार्यालय में शिकायत दर्ज न करने के लिए समझाया।
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएसपी और एसएचओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) का चालान नहीं किया।

मार्च 2017

8

महिला एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने पिता और एक वकील के साथ ऑल-वीमेन पुलिस थाने गई।

नोट्स

बलात्कार का आरोप उसके देवर पर था। लेकिन यह उसके पति, देवर, सास और परिवार के अन्य सदस्यों की क्रूरता के कारण कई गुना ज्यादा तकलीफ़ देह था। उसने इसकी सारी जानकारी पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने इस मामले को केवल एक घरेलू विवाद के रूप में माना और यौन अपराध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह एसएचओ द्वारा महिला पर की गई टिप्पणियों से पता लगता है, जो उसे मध्यस्थता के लिए जाने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसको पारिवारिक विवाद मानते थे।

मई 2017

19

महिला ने पोस्ट के माध्यम से एसएसपी के कार्यालय को एक लिखित शिकायत भेजी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आख़िर एक दिन, एसएसपी कार्यालय से एक अधिकारी उसके घर आया और महिला से कहा कि शिकायतें भेजने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मई 2017

24

सूचना दर्ज होना

संघर्षशील महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया। उसने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 376, आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पैसे लिए। कार्यवाही शुरू होने के दस दिन बाद;मजिस्ट्रेट ने ऑल-वुमन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 18 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई। महिला को उसके वकील के माध्यम से एफआईआर की प्रति मिली।

इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को लगभग **102 दिन** लग गए।

मामला 12.

आयु: 23 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कक्षा 5 तक	गृहणी	हिन्दू	अनुसूचित जाति	अलीगढ़

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया है कि उसके देवर ने **21 अप्रैल 2018** को उसके स्थान पर, जहाँ वह अपने ससुराल वालों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी, उसके साथ बलात्कार किया। महिला **15 दिनों के बाद** पुलिस थाने गई, जब घर पर ससुराल वालों का दबाव उसके लिए असहनीय हो गया। वह अपनी मां और भाई के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने और एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गई थी।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला एसआई पद के पुरुष पुलिस अधिकारी से मिली। जब महिला अपने मामले की जानकारी दे रही थी वहां कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। उसे लगा कि एसआई उसकी आपबीती पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने उसे "यहाँ कुछ नहीं होगा, आप जाओ यहाँ से" कहकर खारिज कर दिया। महिला ने महसूस किया कि कथित अपराधी ने पहले ही एसआई को प्रभावित कर लिया था।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. महिला पुलिस अधिकारी ने यौन हिंसा की जानकारी दर्ज नहीं की।
3. एसआई ने महिला की शिकायत पर हुई आगे की कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं दिया और असंवेदनशील तरीके से बात की।
4. एसएसपी ने संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी मिलने पर कार्यवाही नहीं की।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएसपी, एसएचओ और एसआई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) को लागू नहीं किया।

- जब पुलिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो महिला, अपनी मां और भाई के साथ अपने शहर वापस चले गये।

- **7 मई 2018**

  वे तीनों स्थानीय पुलिस थाने गए, एसआई पद के एक पुरुष अधिकारी से मिले, और उन्हें एक लिखित शिकायत दी। जब उसने अपने मामले का विवरण दिया तो कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। महिला की मां ने एसआई से अपनी बेटी की शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। अधिकारी ने उससे कहा कि "आपकी एप्लीकेशन लिखेंगे बोल दीया है ना, जरुरी नहीं है आपके सामने लिखना।"

- **11/12 मई 2018**

  महिला और उसकी मां अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगाने के लिए पुलिस थाने गए। उसकी मुलाकात उसी पुलिस अधिकारी से हुई। अधिकारी ने उनसे कहा कि "हमने बोला है कि कार्यवाही कर रहे हैं, अब हटो यहाँ से और ज्यादा दिमाग मत खाओ।"

नोट्स

संघर्षशील महिला का उसके देवर द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था। उसे दहेज को लेकर अपने पति, सास और देवर के हाथों क्रूरता और हिंसा का सामना करना पड़ा। उसने इसकी सारी जानकारी पुलिस को दी। जब भी वे अपनी शिकायत पर जानकारी लेने के लिए पुलिस थाने जाते हैं तब पुलिस ने महिला और उसकी मां को परवाह किये बिना नजरअंदाज किया।

महिला और उसकी माँ ने तब एक वकील से मुलाकात की। उसकी सलाह पर, महिला ने एसएसपी के कार्यालय और महिला पुलिस थाने को एक लिखित शिकायत भेजी। लेकिन दोनों से कोई जवाब नहीं आया।

महिला ने अपने वकील की मदद से एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना नहीं की।

इस मामले में कोई एफआईआर **दर्ज नहीं** की गई।

मामला 13.

आयु: 23 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कोई औपचारिक शिक्षा नहीं	गृहणी	मुसलमान	नहीं पता	अमरोहा

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने **14 मई 2018** को उसके साथ बलात्कार किया। महिला और उसके परिवार के सदस्य अपराध को दर्ज कराने के लिए उसी दिन पुलिस थाने गए।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला ने निरीक्षक पद के एक पुरुष थाना प्रभारी (एसएचओ) से मुलाकात की और एक लिखित शिकायत दी। एसएचओ ने महिला के मामले को सुना, उस समय कोई महिला पुलिस कर्मी मौजूद नहीं थी। महिला के भाई ने ऊंची आवाज़ में एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। एसएचओ को गुस्सा आया और उसने भाई द्वारा ऊंची आवाज़ में बोलने के कारण झगड़ा किया। एसएचओ ने महिला की माँ के बारे में यह कहते हुए टिप्पणी की कि "बच्चे कंट्रोल नहीं होते और केस ले कर आ जाते हो।" उसी दिन, बाद में एसएचओ ने बिना महिला और उसके परिवार को बताये एफआईआर दर्ज करी। उसने एफआईआर में लगाई गई धारायों को स्पष्ट नहीं किया। एसएचओ ने एफआईआर में धारा 376 (बलात्कार) के बजाय धारा 354 (यौन उत्पीड़न) डाली थी। महिला और उसके परिवार को 3 से 4 दिन बाद एफआईआर की प्रति मिल गई। महिला के परिवार को यह भी पता चला कि अपराधी ने पुलिस थाने में एक रात बिताई और सुबह एसएचओ को रिश्वत देने के बाद रिहा कर दिया गया था।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध के मामले में सूचना दर्ज नहीं की।
2. यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी महिला पुलिस अधिकारी ने दर्ज नहीं की।
3. एसएचओ ने महिला के भाई की पिटाई की।
4. एसएचओ ने महिला की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की।
5. एसएचओ ने एफआईआर में महिला और उसके परिवार को लिखी धाराओं का विवरण नहीं दिया।
6. एफआईआर की प्रति महिला को प्रदान नहीं की गई थी।
7. सीओ के कार्यालय में कर्मचारी ने महिला से अस्पष्ट दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराये।
8. एफआईआर में धारा 376 शामिल नहीं थी और धारा 354 के कम संगीन अपराध के तहत दर्ज करी गई थी।

15 मई 2018

ग्राम पंचायत और अन्य प्रभावशाली लोगों ने महिला और उसके परिवार से मुलाकात की और उन्हें मामला खत्म करने या समझौता करने के लिए मनाया।

16 मई 2018

इस बीच, एक केसवर्कर को स्थानीय समाचार पत्र से मामले के बारे में पता चला और 16 मई 2018 को वह परिवार से मिलने गया। उन्होंने महिला के परिवार से मिलने आये और समझौता करने के लिए दबाव डालने के लिए मिलने आये लोगों को देखा।

17 मई 2018

केसवर्कर एफआईआर की प्रति के बारे में पूछने के लिए महिला से मिलने गया। एफआईआर देखने के बाद, केसवर्कर को पता चला कि धारा 376 को शामिल नहीं किया गया है, और यह महसूस किया कि महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी या उसके मामले का क्या मतलब है। केसवर्कर की मदद से, महिला ने डीवाईएसपी और एसपी के कार्यालयों को शिकायतें भेजकर सूचित किया कि एफआईआर में सही दंड अनुभाग नहीं लिखा गया है।

22 मई 2018

महिला और उसके परिवार ने एसपी के कार्यालय में जाकर पूरी जानकारी सुनाई। महिला की शिकायत के बारे में एसपी ने एसएचओ से फोन पर बात की। उन्होंने शिकायत को डीवाईएसपी के कार्यालय को भी भेजा। एसएचओ ने महिला और उसके परिवार को थाने में मिलने के लिए बुलाया। एसएचओ ने बताया कि उन्होंने उसका मामला दर्ज कर लिया है और परिवार को एसपी के कार्यालय में फिर से जाने की जरूरत नहीं है।

एसपी से मिलने के **एक हफ्ते के भीतर**, महिला की मां ने ग्राम पंचायत के दबाव में कथित अपराधी के साथ समझौता किया, इस शर्त पर कि अपराधी अगले तीन साल तक गांव में नहीं रहेगा।

उसके अगले हफ्ते, सीओ कार्यालय ने महिला और उसकी मां को बुलाया। यह सुनने के बाद कि वे समझौता कर रहे हैं, पुलिस ने उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जो उन्हें समझाया नहीं गया था। महिला ने हस्ताक्षर किए और वे घर लौट आई।

एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा **376** के बजाय धारा **354** के तहत दर्ज की गई थी।

मामला 14.

आयु: 23 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	धर्म	जाति	स्थान
कक्षा 7 तक	गृहणी	मुसलमान	नहीं पता	मुजफ्फरनगर

मूलभूत जानकारी

संघर्षशील महिला का आरोप है कि **2 मई 2019** को जब वह अपने मायके जा रही थी, उसके पति के परिचितों ने एक खेत में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।**4 मई 2019** को घटना के दो दिन बाद, महिला और उसके माता-पिता अपराध दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गए।ग्राम प्रधान (गाँव के मुखिया) के साथ व्यर्थ चर्चा के कारण अपराध दर्ज कराने में देरी हुई।महिला का परिवार चाहता था कि ग्राम प्रधान उनके साथ पुलिस थाने जाएं, लेकिन ग्राम प्रधान चाहते थे कि वे समझौता करें।

सूचना देना और इनकार

पुलिस थाने में, महिला और उसके परिवार ने उप-निरीक्षक (एसआई) पद के एक पुरुष पुलिस अधिकारी से मुलाकात की और एक लिखित शिकायत दी। महिला ने किसी भी महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में उसे अपना मामला बताया। शिकायत के बाद, एसआई ने उनसे कहा, "आप झूठ बोल रहे हैं और पैसे के लिए यह सब कर रहे हैं।" उसने महिला को कहा कि एसएचओ के छुट्टी पर होने के कारण वह तय करेगा कि उसका मामला दर्ज किया जाएगा या नहीं। महिला और उसका परिवार घर लौट आया। महिला के पिता को बाद में पता चला कि कथित अपराधी ने थाने में प्रभारी अधिकारी को रिश्वत दी थी। **6 मई 2019** को, महिला और उसका परिवार फिर से पुलिस थाने गए और एसआई पद के पुरुष पुलिस अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी।एक महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थी।उसने महिला से शिकायत के बारे में पूछा।संघर्षशील महिला ने सारी जानकारी दी।अधिकारी ने आवेदन रखा और परिवार यह मानकर घर लौट आया कि मामला आखिरकार आगे बढ़ जाएगा।

पुलिस द्वारा उल्लंघन और दुराचार

1. एसआई ने संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को दर्ज नहीं किया।
2. यौन उत्पीड़न के अपराध की जानकारी महिला पुलिस अधिकारी ने दर्ज नहीं की।
3. एसआई ने महिला के बयान को अमान्य कर दिया।
4. एसएसपी ने अपराध दर्ज करने के बजाय, शिकायत को जांच के लिए भेज दिया।
5. एसएचओ ने संज्ञेय अपराध में एफआईआर से पहले "पूछताछ" प्रक्रिया के बारे में महिला को गुमराह किया।
6. पुलिस ने महिला के पिता के खिलाफ गलत और निराधार आरोपों का एक झूठा मामला बनाया।
7. एसएसपी ने एसआई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) लागू नहीं किया।

8 मई 2019

पुलिस थाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, महिला और उसके पिता एसएसपी के कार्यालय में गए। एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

9 मई 2019

वे फिर से एसएसपी कार्यालय गए। महिला ने एसएसपी को लिखित शिकायत दी। लिखित शिकायत पढ़ने के बाद और महिला को सुनने के बाद, एसएसपी ने संबंधित थाने को शिकायत भेजी और जांच के आदेश दिए।

उसी दिन, केसवर्कर को महिला के किसी रिश्तेदार से मामले के बारे में पता चला।

10 मई 2019

केसवर्कर महिला के परिवार से मिला और शिकायत दर्ज करने के लिए उनके साथ पुलिस थाने गया। केसवर्कर और महिला एसएचओ से मिले और उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। केसवर्कर ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में भी बताया जो संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य करता है और एफआईआर दर्ज करने से पहले, और पुलिस को महिला से कोई औचित्य नहीं पूछना चाहिए। एसएचओ ने उन्हें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के तो बहुत सारे आदेश हैं और कहा, "प्रक्रिया होती है, नहीं तो कोई भी आएगा और बोलेगा रेप हुआ उनके साथ; फिर कॉम्प्रोमाईज़ हो जायेगा।"

13 मई 2019

केसवर्कर महिला के परिवार के साथ पुलिस थाने गया और एसएचओ से मुलाकात की। एसएचओ ने उन्हें बताया कि एक जांच चल रही है और यहाँ तक आरोप लगाया कि महिला के पिता इस मामले को अपराधियों से पैसा पाने के लिए गढ़ रहे थे, और वह चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पति को तलाक दे। जब उन्होंने मामला दर्ज किए जाने की मांग की, तो एसएचओ ने कहा "आपको पता नहीं है कितना दबाव होता है हम पर, हर सरकार चाहती है के आंकड़े कम होने चाहिये।" इस बीच, महिला के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हत्या के प्रयास के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर गई (हालाँकि उन पर लगे आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत थे जो स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचने के लिए दंड, यह गैर-संज्ञेय अपराध है)। पिता घबरा गए और पुलिस और अपराधी दोनों के साथ मामला सुलझा लिया।

इस मामले में कोई एफआईआर **दर्ज नहीं** की गई, इसके बजाय महिला के पिता के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया।

जाँच - परिणाम

5

निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकतर पुलिस यौन उत्पीड़न के मामलों में पहली बार में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जबकि कानून के अनुसार पुलिस को ऐसा करना अनिवार्य है।

यौन उत्पीड़न से संघर्षशील महिलाओं ने अपनी शिकायतों की सूचना देने और एफआईआर के दर्ज कराने की मांग करने की प्रक्रिया में पुलिस की तरफ से देरी, जगहंसाई, दबाव और उत्पीड़न का सामना किया।

जैसा कि केसवर्करों द्वारा पुष्टि की गई, संघर्षशील महिलाओं को पुलिस द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये भावना बहुत ज्यादा है कि महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर पुलिस द्वारा परेशान, पीड़ित और लक्षित किया जाता है। संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों को लगता है कि पुलिस ने उन पर शुरू से ही अविश्वास किया है।

यह अविश्वास पूर्वाग्रहों से प्रेरित है जैसे कि महिलाएँ कैसे मामले को बढ़ाती हैं और उनका बचाव करने और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ उपाय प्रदान करने के लिए बने कानूनों का अनुचित लाभ उठा कर पुरुषों को गंभीर आरोपों के तहत फंसाने के आरोप लगाती हैं। लिंग आधारित भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव से मिल कर और बढ़ जाता है। कई उदाहरणों में देखा गया है कि कानूनी प्रणाली के बाहर 'समाधान' की तलाश में पुलिस द्वारा बार-बार जोर दिया जाता है। पुलिस अतिरिक्त न्यायिक और अक्सर अवैध तरीकों के माध्यम से संघर्षशील महिला और कथित अपराधी के बीच सुलह करने पर जोर देती है। शिकायतकर्ताओं को अनिवार्य रूप से उन उपायों का सहारा लेना पड़ता है जो हमेशा कारगर नहीं होते और अधिक कागजी कार्यवाही और अधिक काम की आवश्यकता होती है। कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं की सही या पर्याप्त जानकारी की कमी से, इस तरह के उपायों का उपयोग करने के बारे में चिंता और बढ़ जाती है। पूरी प्रक्रिया के बारे में संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों के कथन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के कई बिंदुओं पर प्रक्रियात्मक खामियों को सामने लाते हैं जोकि व्यवस्थित रूप से देरी और उपचार तक उनकी पहुंच को रोकते हैं। ये सभी यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस की लगातार असफलता के सभी स्तरों पर खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं।

यौन हिंसा से संघर्षशील महिलायें हिंसा से जुड़े कलंक को झेलती हैं और यौन हिंसा के परिणामों से जुड़ी पितृसत्तात्मक बातें, वे खुद के लिए, उनके परिवारों और उनके समुदायों पर झेलती हैं।

जब उन्हें औपचारिक कानूनी प्रणाली से कोई स्वीकृति और समर्थन नहीं मिलता है, और बदले में कलंक का सामना करना पड़ता है, तो यह उनके आघात को बढ़ाता है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ को प्रभावित करता है, और पुलिस पर से उनके विश्वास को कम करता है। वे खुद को आगे के अपराधों, फिर से प्रताड़ित होने और शर्म से बचाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के बाहर समाधान का सहारा लेने के लिए मजबूर करता हैं। यह एक खराब चक्र जैसा आभास देता है; जहां महिलाओं को हिंसा झेलनी पड़ती है और उन्हें कलंकित किया जाता है, वे एक अविश्वास और अनदेखा करने वाली प्रणाली में अपने तरीके से परिस्थिति को पार करती हैं, और इन अनुभवों के कारण आगे भी आघात झेलती हैं। ऐसी अस्वीकृति तब प्रणालीगत हो जाती है। महिलाओं को औपचारिक प्रणालियों के ज़रिये न्याय की तलाश का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है और पितृसत्तात्मक स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

नीचे प्रमुख निष्कर्ष जो उभर कर आये हैं उनका एक सारांश दिया गया है, संघर्षशील महिला और केसवर्कर द्वारा दिए उल्लेख और सुनाए गए अनुभवों द्वारा चित्रित किया गया है।

1. पुलिस ने यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में देरी की और / या इनकार कर दिया।

14 मामलों में से, बलात्कार की एफआईआर केवल 11 में दर्ज की गई थी और वह भी काफी देरी के बाद।दो मामलों में, महिला और उसके परिवार को दबाव में समझौता करना पड़ा और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तीसरे केस में मूल अपराध के तौर पर यौनिक उत्पीड़न के तहत एफआईआर दर्ज हुई, न कि बलात्कार के लिए, यह कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की प्रकृति को नकारता है।

जिन 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, उनमें से पुलिस को वास्तव में एफआईआर दर्ज करने में लगने वाला समय 2 से 228 दिन था।छह मामलों में, एसएसपी / एसपी तक मामला बढ़ने के बाद और उन्होंने हस्तक्षेप किया तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तीन मामलों में, एसएचओ और / या एसएसपी / एसपी के स्तर पर पुलिस ने संघर्षशील महिला को बताया कि एफआईआर केवल प्रारंभिक जांच के बाद ही तथ्यों का सत्यापन होने के बाद होगी, जबकि यह एक सुलझा हुआ सिद्धांत है कि पुलिस के पास इस

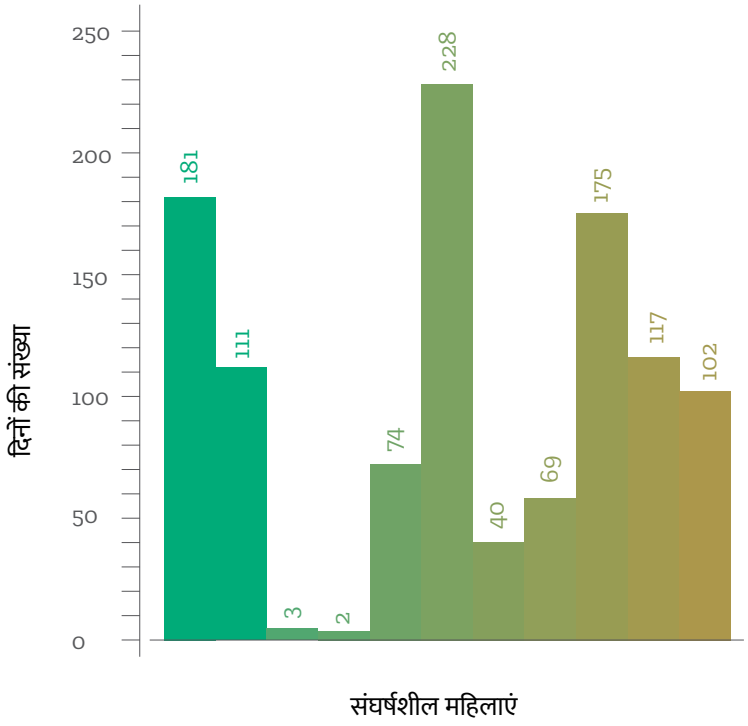

बलात्कार के 11 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा लिए गए दिन

तरह की पूछताछ करने की कोई शक्ति या विवेक नहीं है।[43] पांच मामलों में, संघर्षशील महिला के अदालत में जाने के बाद और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश पारित होने के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। केसवर्करों ने सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त करी कि पुलिस, यौन उत्पीड़न के अपराध दर्ज करने में नियमित रूप से देरी या इनकार करती है।केसवर्करों ने व्यक्त किया कि इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पुलिस यह दिखाने के लिए दबाव में है कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ नहीं रहा है, जिसके कारण शिकायतों का जानबूझकर दबाया जा रहा है। केसवर्करों ने कहा कि सरकार पुलिस पर दबाव डालती है कि वह यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को दर्ज न करें, विशेष रूप से बलात्कार, ताकि जनता के बीच "महिला सुरक्षा" की झूठी छवि बने और बनाई रखी जा सके।

लखनऊ से केसवर्कर

"पुलिस अपने क्षेत्र की अपराध दर के बारे में चिंतित हैं। वे अपराध की वृद्धि दर नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए वे बलात्कार के मामलों को तुरंत दर्ज नहीं करते हैं।"

मुज्जफरनगर से केसवर्कर

"पुलिस कम अपराध दर्ज करना चाहती है ताकि लिखित आकड़े कम रहे। दरअसल यह सरकारी नीति (उच्च अधिकारियों के आदेश पर) यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों को दर्ज नहीं करने के लिए है।"

एक पुलिस इंस्पेक्टर ने यौन हिंसा के अपराधों को कम दिखाने के बारे में एक केसवर्कर के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकारा था:

आप नहीं जानते हैं कि हम (पुलिस) कितने दबाव में हैं, हर सरकार चाहती है कि अपराध के आंकड़े कम अपराध (यौन हिंसा)हुए हैं ऐसा दिखाए।

पुलिस सरकारी दबाव के कारण यौन हिंसा के बहुत से मामले नहीं दिखाना चाहती है।

- झाँसी से केसवर्कर

मुझे लगता है कि पुलिस नहीं चाहती है कि अपराध संख्या बढ़े, इसलिए वे बलात्कार के मामलों को दर्ज नहीं करते।

- अमरोहा से केसवर्कर

एक केसवर्कर ने अपना दृष्टिकोण भी साझा किया कि संघर्षशील महिला के मामले को कमजोर करने और आरोपी को जमानत दिए जाने की संभावना को बढ़ाने के लिए पुलिस देर से मामले दर्ज़ करती है।

"मैंने खुद देखा है और एक वकील ने भी मुझे यह बताया है कि जब भी एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है तो अदालत में जमानत मिलने की संभावना (आरोपी के लिए) अधिक होती है।"

- अमरोहा से केसवर्कर

केसवर्करों, जिनके पास तंत्र को करीब से देखने का मौका रहा है, उनसे इस तरह की अंतर्दृष्टि, यह दर्शाता है कि जबकि पुलिस का कर्तव्य है कि वह यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं को एक उपाय प्रदान करे, इसके विपरीत, उनके कार्य उसी के लिए पूरी उपेक्षा दिखाते हैं।वास्तव में, एफआईआर में देरी और इनकार करने से, पुलिस जानबूझकर यह सुनिश्चित करने में योगदान देती है कि कथित अपराधियों के हितों की रक्षा हो।यौन हिंसा उपजी ही है संघर्षशील महिला और अपराधी के बीच सत्ता के अंतर से।वही प्रणाली जो संघर्षशील महिला की सुरक्षा के लिए है, उसमें पुलिस का इस तरह के मामलों को दर्ज करने से इनकार करना संघर्षशील महिला पर अपराधी की शक्ति को और पुख्ता करता है।

2. महिला पुलिस अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न के अपराध की पहली जानकारी दर्ज नहीं की

पुलिस थाने कई महिलाओं के लिए अज्ञात जगहें हैं।वे कठोरता, शत्रुता, नौकरशाही और अलगाव को दर्शाते हैं। पुलिस की छवि भय और दबदबे से जुड़ी है, जो दोनों वर्दी में सन्निहित ताक़त से रेखांकित करी गई हैं।जब केवल पुरुष अधिकारी बड़े पैमाने पर पुलिस थानों को आबाद करते हैं, तो महिलाओं के लिए ऐसे स्थान सुरक्षित और भयमुक्त महसूस ना हो कर असुविधाजनक और भयभीत करने वाले हो सकते हैं। यौन हिंसा के मामलों में संघर्षशील महिलाएं कलंक, शर्म और आघात को झेलते हुए पुलिस थाने में आती हैं और तथ्यों की जानकारी देते हुए उन्हें अपने अनुभवों को दोबारा जीना पड़ता है। एक आरामदायक जगह बनाना महत्वपूर्ण है जहां महिलाएं आश्वस्त महसूस कर सकती हैं, पुलिस से जुड़ी ताकत की छवि को बेअसर कर देती है क्योंकि ऐसी स्थितियों में कम से कम प्रतीकात्मक शक्ति बेअसर हो जाती है।महिला पुलिस अधिकारी तथ्यों को सुनें और एफआईआर दर्ज करें, ऐसा स्थान बनाने की दिशा में एक संभव कदम है, जहां महिलाएं कम से कम कुछ हद तक उन लोगों के साथ जुड़ाव महसूस कर सकती हैं, जिनके साथ वे हिंसा के अपने निजी अनुभव को साझा कर रही हैं।

12 मामलों में, शिकायतों के पहली रिपोर्ट दर्ज करने के चरण में, संघर्षशील महिला को एक महिला के बजाय एक पुरुष पुलिस अधिकारी को यौन हमले के विवरण का वर्णन करना पड़ा था। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है जिसके अनुसार संघर्षशील महिला द्वारा दिए गए यौन अपराधों की शिकायत एक महिला पुलिस अधिकारी को ही दर्ज करना ज़रूरी है।इन महिलाओं में से कोई भी नहीं जानता था कि कानून यह कहता है कि केवल एक महिला पुलिस अधिकारी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती है।

हालांकि यह शोध संघर्षशील महिलाओं द्वारा सम्पर्क किए गए पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस की संख्या की जांच और संकलन नहीं कर सका, अध्ययन से यह जानकारी निकलकर आई, पुलिस थानों में प्रणालीगत समस्याओं के निहित होने का संकेत हो सकती है -पुलिस थानों में महिला पुलिस की भारी कमी है;महिला शिकायतकर्ताओं को जवाब देने के लिए महिला पुलिस को नहीं बुलाया जा रहा है;या दोनों ही।

साक्षात्कारों के दौरान, केसवर्करों ने बताया कि संघर्षशील महिलाओं के लिए खुल कर और स्वतंत्र रूप से पुरुषों से बात करना मुश्किल और असुविधाजनक है कि उनके साथ क्या हुआ।महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एकांतप्रिय वातावरण के अभाव में, जहाँ बिना किसी डर या संकोच के यौन हिंसा के बारे में जानकारी साझा करने और बोलने में सक्षम हो सके, जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, सही नहीं होंगी या उनमें सभी प्रथम ज्ञात तथ्य नहीं होंगे।इनके मामले पर कानूनी उलझाव हैं क्योंकि यह जो परिस्थिति के लिए आवश्यक होने चाहिए उनसे कम अपराधों की ओर ले जाता है, और कानूनी प्रक्रिया के पहले चरण से, शिकायतकर्ताओं के दृष्टिकोण से मामलों को कमजोर करता है।

अलीगढ़ से केसवर्कर

“संघर्षशील महिला के साथ मुद्दा यह है कि वह खुलकर बात नहीं कर पा रही है। इसलिए उसे सुरक्षित और भयमुक्त महसूस कराना और आत्मविश्वास देना महत्वपूर्ण है ताकि वह इस घटना के बारे में खुलकर कहे।”

अमरोहा से केसवर्कर

“संघर्षशील महिला अपनी घटना के बारे में बहुत विस्तार से बात करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह सहज महसूस नहीं कर रही है। यदि बलात्कार हुआ है, तो संघर्षशील महिला इसे सीधे कहने में सक्षम नहीं है, इसके बजाय वह कहेगी कि मुझे अपमानित किया गया था या “ऐसा कुछ।”

मुजफ्फरनगर से केसवर्कर

"जब एक संघर्षशील महिला अपनी कहानी पुलिस कर्मियों को सुनाती है तो वे बहुत ही नरम तरीके से बात करती हैं और बदले में पुलिस सख्ती से बात करती है जिसके कारण वे दबाव महसूस करती हैं।"

जौनपुर से केसवर्कर

"जब संघर्षशील महिला पुलिस थाने जाती है, तो उसको कोई एकांत स्थान नहीं दिया जाता है।"

लखनऊ से केसवर्कर

"जब संघर्षशील महिला स्पष्ट रूप से वर्णन करने में सक्षम नहीं है कि क्या हुआ है, तब प्रासंगिक भाग छूट जाते हैं और एफआईआर, जो कुछ भी हुआ है, उसके अनुसार सटीक नहीं होती।"

केसवर्करों ने देखा कि पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका बहुत सीमित है, जो महिला पुलिस के लिए समान अवसर की कमी को उजागर करता है।

अमरोहा से केसवर्कर

"महिला कांस्टेबल आमतौर पर संघर्षशील महिला को मेडिकल के लिए ले जाने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयानों के लिए होती हैं। एक पुरुष सब-इंस्पेक्टर द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, महिला कर्मी केवल सहायता करती हैं। वे अक्सर मामले में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होती हैं।"

जौनपुर से केसवर्कर

"महिला पुलिस कर्मी तभी काम करती हैं जब दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान और मेडिकल के लिए कहते हैं। अन्यथा सब कुछ खुद दरोगा द्वारा पूछा जाता है।"

3. पुलिस यौन उत्पीड़न से संघर्षशील महिलाओं के प्रति अविश्वास और भेदभाव करती है

सभी जिलों में, संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों के अनुभवों से पता चलता है कि पुलिस ने संघर्षशील महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को शुरुआत से ही खारिज किया और महिला विरोधी, अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणी की।संघर्षशील महिलाओं ने महसूस किया कि पुलिस यह मान के चलती है कि उन्होंने कथित आरोपियों को किसी उद्देश्य से फंसाने की कोशिश की।केसवर्करों ने सर्वसम्मति से कहा कि महिलाओं के प्रति पुलिस का रवैया और व्यवहार बेहद रूढ़िवादी, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण था।

लखनऊ से संघर्षशील महिला

“पुलिस ने कहा कि मैं एक फर्जी मामला बना रही हूँ, महिलाएं ऐसे मामले बनाती हैं”।

“मुझे पुलिस ने कहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और पैसे के लिए यह सब कर रही थी”।

मुज्जफरनगर से संघर्षशील महिला

“मुझे बताया गया था कि समस्या यौन उत्पीड़न की नहीं है बल्कि मेरे और मेरे पति के बीच कुछ और है।”

“पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि मेरे साथ जो हुआ वह यौन हिंसा नहीं बल्कि कुछ गलतफहमी थी।”

अलीगढ़ से संघर्षशील महिला

“पुलिस ने कहा कि तुम इतनी ख़ूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हे कोई परेशान करेगा, तुम कोई लौंडिया भी नहीं हो जो तुम्हें कोई सेक्शुअली असॉल्ट करे।”

औरैया से संघर्षशील महिला

“पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की है; मैं उस व्यक्ति को झूठा फंसाना चाहती हूं।उन्होंने कहा कि कुछ विवाद हुआ होगा और जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं मामला दर्ज करा रही थी वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए वे दर्ज नहीं करेंगे।”

“मुझे यह भी बताया गया कि हर दिन कोई न कोई महिला आती है, कुछ फटे कपड़े लेकर आती है और कुछ इस तरह से।”

जौनपुर से संघर्षशील महिला

“पुलिस ने हमसे केवल यह पूछा कि हम इतने दिनों से कहां थे जबकि हम पिछले तीन दिनों से पुलिस थाने जा रहे थे ।”

औरैया से केसवर्कर

“जब एक संघर्षशील महिला पुलिस के पास जाती है तो उसे बहुत सारी टिप्पणियां और ताने सुनने पड़ते हैं जैसे कि महिलाएँ अपने ब्लाउज और कपड़े फाड़ के थाने आ जाती हैं।”

अलीगढ़ से केसवर्कर

"पुलिस को लगता है कि एक संघर्षशील महिला किसी को फंसाना चाहती है या घरेलू हिंसा जैसा कुछ और हुआ होगा और वह बढ़ा चढ़ा के मामले को बलात्कार का मामला बना के दर्ज कराना चाह रही है।कुल मिलाकर पुलिस को लगता है कि महिला झूठ बोल रही है। वह करती और कहती कुछ हैं और कारण कुछ और होता है।"

कुछ केसवर्करों ने यह भी साझा किया कि पुलिस को लगता है कि संघर्षशील महिलायें यौन उत्पीड़न कानूनों का दुरुपयोग करती हैं और अपने फायदे के लिए व्यस्था में हेर फेर करती हैं।पुलिस को लगता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होने से महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता मिली है, जिसका महिलाओं द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है।वे देखते हैं कि यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दोहराता है, और संघर्षशील महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को भी बढ़ाता है।

औरैया से केसवर्कर

"पुलिस को लगता है कि सरकार ने महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और वे अब इसका दुरुपयोग कर रही हैं और अपने झगड़े बराबर करने के लिए कर रही हैं। महिलाएं पुरुषों को फंसाती हैं;वे जान बूझकर ऐसा करना चाहती हैं।"

लखनऊ से केसवर्कर

"पुलिस को लगता है कि महिलाओं को कानून के अनुसार बहुत अधिक स्वतंत्रता है और वे निर्दोष पुरुषों को फंसाते हुए इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं।पितृसत्ता भी एक कारण है कि इस तरह का असंवेदनशील रवैया कायम है और मौजूद है।"

ये अनुभव उन महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह को रेखांकित करते हैं जो पुलिस प्रणाली में व्याप्त है।पुलिस अनजाने में महिलाओं के बारे में हानिकारक रूढ़ियों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेती है और यह खुले तौर पर फ़ैल रहा है। महिलाओं को पुलिस द्वारा स्वार्थी, दुष्ट, साठगांठ करने वाली, झूठ बोलने वाली और जोड़-तोड़ करने वाली माना जाता है।उनकी कही बातों की लगातार छानबीन की जाती है, अविश्वास किया जाता है और उनसे 'सबूत' मांगे जाते हैं, तब भी जब वे केवल अपराध दर्ज कराने के पहले चरण में होती हैं। वे महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए आघात की वास्तविकताओं के प्रति असंवेदनशील भी हैं और मामले की सूचना देने में देरी को झूठ बोलने के बराबर मानते हैं। यौन हिंसा को लेकर पुलिस ने कई

कुछ मामलों में, पुलिस ने संघर्षशील महिला को उसके मामले को दर्ज करने से रोक दिया, जवाब दिया कि पूछताछ/ जाँच किए बिना, बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यह स्थापित कानूनी मानक का उल्लंघन है।

> पुलिस ने मेरे सामने कैसवर्कर से कहा कि मैं शराब का अवैध व्यापार करती हूं, इसलिए हमें (पुलिस) शिकायत दर्ज करने से पहले एक जांच करने की आवश्यकता है।
>
> - लखनऊ से संघर्षशील महिला

> पुलिस ने मुझे बताया कि एफआईआर एक पूछताछ के बाद ही दर्ज की जाएगी;वर्ना ऐसे तो कोई भी आकर कहेगा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया है।
>
> - मुज़फ़्फ़रनगर से संघर्षशील महिला

“जब भी कोई संघर्षशील महिला पुलिस थाने जाती है, तो पुलिस कर्मी इसे फर्जी मामला कहते हैं। वे कहेंगे कि हमें पहले एक जांच करनी होगी जिसकी कानून अनुमति नहीं देता है। पुलिस कर्मी खुद संघर्षशील महिला से ही सबूत मांगेंगे, जब तक कि वे आरोपी को देखकर या उसकी चोटों को स्पष्ट रूप से देखकर आश्वस्त नहीं होते हैं या यदि यह एसिड हमले का मामला न हो। पुलिस संघर्षशील महिला की तुलना में आरोपियों पर विश्वास करती है।”

- लखनऊ से केसवर्कर

पितृसत्तात्मक धारणायें बना रखी है और ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो यह दर्शाती हैं कि इस तरह की हिंसा का कारण उम्र और रूप हैं।[44] यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणियां और दृष्टिकोण इन महिलाओं पर पहले से लगे कलंक के बोझ को दोहराते हैं।इस तरह की बातें महिलाओं को आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रवेश करने से व्यवस्थित रूप से हतोत्साहित करती हैं और यह न्याय तक पहुँचने के उनके अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करता है।

4. दलित समुदाय की संघर्षशील महिलायें लैंगिक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करती हैं

दलित समुदाय की संघर्षशील महिलाएं लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव के दोहरे बोझ का सामना करती हैं।संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों ने व्यक्त किया कि पुलिस थानों में जातिगत भेदभाव होता है और पीड़ित व्यक्ति की जाति पुलिस अधिकारियों के एफआईआर दर्ज करने के निर्णय को प्रभावित करती है।[45]

जौनपुर से संघर्षशील महिला

"मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी क्योंकि वे प्रभावशाली जाति से हैं।थाने और एसपी पद के पुलिस अधिकारी कथित अपराधी की जाति के थे।"

औरैया से केसवर्कर

"पुलिस यहां लोगों की जाति देखकर काम करती है।यदि कोई ब्राह्मण दुखी है और पुलिस कर्मी ब्राह्मण हैं तो देरी (आमतौर पर) नहीं होगी।तो, यह सब किसकी क्या जाति है इस पर निर्भर करता है।अगर दलित समुदाय का कोई भी मामला दर्ज हो जाता है, तो पुलिस उचित जांच नहीं करती है।लोगों को वहां (पुलिस थाने) बार-बार जाने से निराशा ही मिलती है।इसलिए, लोग समझौता करना चाहते हैं।दलित महिलाएँ गैर-दलितों की तुलना में अधिक दबाई जाती हैं।"

मुज़फ़्फ़रनगर से केसवर्कर

"अगर (कथित) बलात्कारी एक शक्तिशाली या प्रमुख समुदाय से है तो मामला आसानी से दर्ज नहीं किया जाएगा। एक प्रमुख जाति से संबंधित लोगों पर बलात्कार के मामलों को दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस का दबाव आम है। पुलिस पर कथित आरोपियों के इस तरह के प्रभाव को देखने से संघर्षशील महिला का मनोबल गिरता है।"

यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब जाति की बात आती है, तो ताक़त का दिखावा कई स्तरों पर होता है।पुलिस का निर्णय शिकायतकर्ता की जाति, अभियुक्तों के साथ-साथ अपने स्वयं की जाति से भी प्रभावित होता है।जैसे ही जाति का सवाल आता है, मामले में मनमानी शुरू हो जाती है और पुलिस जानबूझकर उलट पलट करने लग जाती है। जब शिकायतकर्ता दलित समुदाय से होता है और अभियुक्त एक गैर-दलित होता है, तो अभियुक्त की जाति से जुड़ी ताक़त निर्धारित करने का कारक बन जाती है। यदि आरोपी पुलिस की अपनी जाति से है तो पुलिस एकजुटता दिखाती है।कथित अपराधी की जाति कुछ भी हो, दलित महिलाओं के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और उनके लिंग, जाति और वर्ग के जटिल अंतर संबंध के कारण यह धारणा बन जाती है कि उनका यौन हिंसा के मामले दर्ज़ कराने में निहित स्वार्थ है। दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, विशेष रूप से जब प्रमुख जातियों द्वारा करी गई है, यह संकेत है गंभीर रूप से बिगड़े हुए जाति से जुड़े ताक़त के संबंध का, जो ऐसे समुदायों में मौजूद हैं। इस तरह की ताक़त महिलाओं की न्याय तक पहुँच की कोशिश में भी दिखाई देती है, क्योंकि जाति से जुड़ी ताक़त कई स्थान पर फैली हुई है, जिनमें पुलिस जैसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाभी शामिल हैं, जो यथास्थिति से समझौता नहीं करने पर जोर देती हैं।

5. पुलिस, आरोपियों के साथ मामला सुलझाने या समझौता करने के लिए शिकायतकर्ताओं पर नियमित रूप से दबाव डालती है

संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों ने बताया कि कैसे पुलिस ने नियमित रूप से संघर्षशील महिलाओं और उसके परिवार के सदस्यों को कथित अपराधी के साथ मामले को सुलझाने या समझौता करने के लिए धमकाया। इस अध्ययन में लिए गए मामलों में, पुलिस ने परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी;या गाँव के सरपंच (ग्राम प्रधान) की मिलीभगत से अपराधी और शिकायतकर्ता महिला की शादी करवाने का प्रयास किया है। संघर्षशील महिलाओं ने कहा कि रिश्वत दे कर पुलिस का झुकाव उन पर से हटा के अपराधी की सहायता के लिए किया गया।

अमरोहा से संघर्षशील महिला

“मैं आठ दिनों तक पुलिस स्टेशन नहीं गई क्योंकि ग्राम पंचायत ने मुझ पर और मेरे परिवार पर शादी करने के लिए दबाव डाला, जिससे हम सहमत हुए और आठ दिनों तक इंतजार किया।”

"साथ ही, मेरे पिता पर आरोपी के परिवार की एक महिला को छेड़ने का झूठा मामला दर्ज करके दबाव बनाया गया था। पुलिस ने दूसरे पक्ष से पैसे लिए और मामला दर्ज किया।मामले को निपटाने के लिए हमें भी पुलिस थाने में पैसा देना पड़ा था।"

"पुलिस अधिकारी ने मेरे परिवार को बोला कि यह समुदाय का मामला है; तुम दोनों की शादी करा दो। मामला दर्ज करने से कोई फायदा नहीं है।"

अमरोहा से केसवर्कर
"मैंने देखा है कि बलात्कार के मामलों में भी समझौता कराने के लिए पुलिस ग्राम पंचायत के साथ मिली भगत करती है।"

मुज़फ्फरनगर से केसवर्कर
"संघर्षशील महिला को हतोत्साहित करने के लिए, महिला के परिवार के सदस्य के खिलाफ एक क्रॉस केस भी दर्ज कर दिया जाता है। यह यहाँ आम बात है। यह अक्सर लोगों को पुलिस थाने में आने से हतोत्साहित करने और अपनी शिकायत / एफआईआर दर्ज ना कराने के लिए करते हैं।"

"पुलिस संघर्षशील महिला के लिए ऐसी बातें कहेगी कि तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी; तेरी शादी नहीं हो पाएगी; रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो, इस तरह की बातों को कहकर वे महिलाओं से बलात्कार के मामलों में समझौता करने की कोशिश करते हैं।"

झाँसी से केसवर्कर
"बलात्कार के मामलों में भी पुलिस दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का हमेशा प्रयास करती है।"

लखनऊ से केसवर्कर
"पुलिस बलात्कार के मामलों में भी समझौता करने के लिए जोर देती है। संघर्षशील महिला और उसके परिवार पर क्रॉस केस भी एक और चुनौती है जिसका सामना एक महिला को करना पड़ता है।"

"जब पुलिस गांव के सरपंच या प्रधान के प्रभाव में होते हैं, तो वे पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं।"

एक और तरीका जिससे पुलिस ने संघर्षशील महिलाओं पर दबाव डाला वह है कि उनको अपनी लिखित शिकायतों को कमज़ोर करने के लिए

मजबूर करना। केसवर्करों ने ऐसी घटनाएं सुनाईं जिनमें पुलिस ने कहा कि संघर्षशील महिला की लिखित शिकायत उनसे खो गई है;केसवर्करों का मानना है कि ये एक जानबूझकर अपनाई रणनीति है ताकि एफआईआर के लिए आधार के रूप में उपयोग किए जाने के लिए सख्त शब्दों में लिखी और विस्तार से लिखी हुई शिकायत को रोक लगा सकें।किसी भी मामले में, लिखित शिकायतों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पुलिस के पास से खो जाना बहुत गैर जिम्मेदाराना है।

जौनपुर से केसवर्कर
"थानों में पुलिस कर्मी शिकायतों को छोटी करने की कोशिश करते हैं"।

लखनऊ से केसवर्कर
"सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संघर्षशील महिलाओं के आवेदन पुलिस थानों पर जानबूझकर गुम किये जा रहे हैं।"

अमरोहा से केसवर्कर
"संघर्षशील महिला के परिवार ने मुझे बताया कि पुलिस थाने ने उनकी शिकायत आवेदन खो दिया था और उन पर सिर्फ चार से पांच लाइनों में एक नया आवेदन देने का दबाव डाला गया था। एफआईआर नए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई थी।"

मामलों में 'समझौता' करने या 'सुलह' करने का दबाव, जो संभव हो, उस तरीके का उपयोग करना इस बात की ओर इशारा करना है कि पुलिस द्वारा यौन हिंसा को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है। यौन हिंसा को लगातार 'सम्मान' के मुद्दे से जोड़ा जाता है, इसलिए ज़ाहिर है ये समुदाय और पुलिस द्वारा मिलजुल के संघर्षशील महिला और आरोपी का विवाह करा के 'सुलझा' दिया जाता है। इस तरह के कामों की अवैधता को न्यायालयों[46] ने बरकरार रखा है। ऐसी स्थितियों में जहां इस तरह के'समझौते' का प्रस्ताव या सहमति नहीं है, पुलिस की पूरी कोशिश होती है के सभी मामलों में या तो मामले को आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रवेश ही ना करने दिया जाए या उन्हें इस हद तक हल्का किया जाए कि पुलिस को उनमें अपना ध्यान और संसाधन लगाने की जरूरत ही न पड़े। इस तरह के परिणाम, जहाँ अक्सर अंतर्निहित उद्देश्य दबे होते हैं, इन बातों को मजबूती देते हैं कि महिलाएं झूठी और जोड़तोड़ कर अपना काम निकलने वाली होती हैं। ऐसी स्थितियों में संघर्षशील महिलाओं के पास न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत कम विकल्प रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समुदाय द्वारा डराया धमकाया जाता है और पुलिस द्वारा दबाव डाला जाता है और हेरफेर किये जाते हैं।

6. संघर्षशील महिलाओं को पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में विफलता को चुनौती देने के लिए तत्काल उपायों के बारे में पता नहीं था, जिससे उपाय तक पहुंचने में देरी हुई

जबकि सभी संघर्षशील महिलाओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने से इनकार के बाद एसपी को शिकायत करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, 14 में से,11 महिलाओं को एक केसवर्कर या वकील द्वारा सलाह दिए जाने के बाद ही इस अधिकार के बारे में पता चला। जागरूकता के अभाव का मतलब है कि उपाय को प्राप्त करने में समय नष्ट हो गया और संघर्षशील महिला को अधिक अनिश्चितता और चिंता का सामना करना पड़ा।इन सभी 14 मामलों में, पहली बार पुलिस थाने में आने से ले कर एसपी से शिकायत करने तक में, संघर्षशील महिलाओं द्वारा लिया गया औसत समय लगभग 1 से 111 दिन का था। 8 मामलों में, महिलाओं ने इनकार के लगभग 15 दिनों के भीतर एसपी से मुलाकात की और बाकी के मामलों में लगभग 30 से 111 दिनों तक का अलग-अलग समय लिया।

14 में से केवल 5 संघर्षशील महिलाओं ने एसपी को अपनी शिकायत के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने के अपने अधिकार का उपयोग किया। एसपी से मिलने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत करने तक का समय लगभग 3 से 74 दिन था, और पहली बार पुलिस थाने आने के समय से लगभग 4 से 146 दिन था। संघर्षशील महिलाओं को अदालत का दरवाजा खटखटाने का सहारा लेना पड़ा, इस तथ्य से पता चलता है कि उन्हें पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों से या एसपी से सहायता नहीं मिली।

7. संघर्षशील महिलाएं और केसवर्कर भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के प्रावधानों के बारे में नहीं जानते थे और यह पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए लागू किया जा सकता था।

संघर्षशील महिलाओं और केसवर्करों ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वे यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब वे इस संभावना के बारे में जान गए, तो संघर्षशील महिलाओं ने शिकायत दर्ज करने की इच्छा तो दिखाई, लेकिन पुलिस की तरफ से होने वाली प्रतिक्रियाओं से डर गए।

अमरोहा से संघर्षशील महिला

“हमें नहीं पता था कि हमारा मामला दर्ज करने से इनकार करने पर हम पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम पुलिस के

खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी फिर भी हम कोशिश कर सकते थे।"

"पुलिस अधिकारी ने हमें थाने में बैठने के लिए मजबूर किया था। हम पुलिस से डरते हैं इसलिए हम उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते।"

लखनऊ से संघर्षशील महिला

"हाँ, अगर यह एक ख़ास पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ है तो मैं इसे करूँगी। लेकिन इसे आगे बढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। "

"मेरे वकील ने मुझे बताया कि हम पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर मुझे (अदालत से) न्याय मिले तभी मैं पुलिस के खिलाफ कोई आवेदन डालूंगी।"

अलीगढ़ से केसवर्कर

"अब से, मैं संघर्षशील महिलाओं को धारा 166ए(सी) के तहत कार्रवाई करने की सलाह ही दूंगी। हालांकि मुझे यकीन है कि पुलिस दबाव डालेगी और महिला और केसवर्कर दोनों को धमकाएगी।"

औरैया से केसवर्कर

"अगर हम किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसके परिणाम होंगे। संघर्षशील महिला और केसवर्कर को पुलिस से धमकियां मिलेंगी।"

अमरोहा से केसवर्कर

"पुलिस के खिलाफ इस धारा का उपयोग करने की चुनौती यह है कि पुलिस कर्मी किसी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर सकते हैं। एक और बात यह है कि ऐसे पुलिस दलाल भी हैं जो आपको धमका सकते हैं या आपकी जान जोखिम में डाल सकते हैं।"

झाँसी से केसवर्कर

"संघर्षशील महिलाओं का कहना है कि वे पुलिस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती हैं, खासकर जब उनका मामला चल रहा हो। महिलाएं डर की वजह से भी, शिकायत नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें मुसीबत में डाल सकती है या उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसा सकती है। "

मुझे नहीं पता था कि मैं पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत कर सकती हूं। अब मैं उनमें से हर एक के खिलाफ शिकायत करना चाहूंगी क्योंकि वे मुझे बताते रहे कि आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

- औरैया से संघर्षशील महिला

मैं उनके खिलाफ शिकायत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पीछे कोई सहारा नहीं है। मुझे इसी शहर में रहना है, मेरा बेटा भी यहीं है। अगर मैं शिकायत करूँ तो मुझे नतीजों का डर है। मुझे लगता है कि यह मेरे खिलाफ जा सकता है।

- मुज़फ्फरनगर से संघर्षशील महिला

पुलिस से उलट कार्रवाई के अलावा, संघर्ष शील महिलाओं और केसवर्करों ने ये संदेह भी दिखाए कि पुलिस के खिलाफ जांच न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पक्षपात के बिना होगी भी या नहीं। उन्हें आशंका है कि जांच अधिकारी फंसे हुए पुलिस कर्मियों की तरफदारी करेंगे जोकि उनके ही विभाग के हैं।

जौनपुर से संघर्षशील महिला
"मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसलिए मैं कैसे सोच सकती हूं कि मैं उनके खिलाफ शिकायत कर पाऊँगी क्योंकि उनके अपने लोग ही एफआईआर दर्ज कर रहे होंगे।"

लखनऊ से केसवर्कर
यदि इस धारा का उपयोग किया जाता है तो "पूरा पुलिस विभाग अपने लोगों को वरीयता देगा या अपने लोगों का पक्ष लेगा।"

मुज़फ्फरनगर से केसवर्कर
"भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए (सी) के तहत जांच उसी पुलिस विभाग द्वारा ही की जाएगी आख़िर, इसलिए कुछ नहीं होगा"।

"इस धारा का उपयोग करने की चुनौती यह है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ उसी पुलिस विभाग द्वारा ही जांच की जाएगी"।

केसवर्करों ने यह बताया कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत की जाती है और सामान्य शिकायतकर्ताओं द्वारा नहीं तो निष्पक्ष जांच की अधिक संभावना है।

मुज़फ्फरनगर से केसवर्कर
"यह केवल तभी हल किया जा सकता है जब कोई उच्च अधिकारी धारा 166ए (सी) दाखिल करने और जांच, किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवाने का आदेश करे।"

लखनऊ से केसवर्कर
"अगर ऐसी कोई शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो उन्हें खुद पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।"

यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि जब एक एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अपने आप में ही इतनी लंबी है, तो पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए

एक और कार्यवाही शुरू करने की संभावना मुश्किल है क्योंकि संघर्षशील महिलायें और उनके परिवार पहले से ही शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं। संघर्षशील महिलाओं ने व्यक्त किया है कि वे शुक्रगुज़ार हैं कि पहली बात तो, यौन हिंसा की एफआईआर इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद दर्ज हो गई, और यह कि पुलिस अधिकारियों को फंसाने के लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना एक कठिन काम होगा।उनका यह भी मानना है कि यौन हिंसा का मामला जो इतनी मुश्किलों से दर्ज कराया है उसको इस तरह का कदम खतरे में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस की छवि से जुड़ा डर जो एफआईआर कराने के अपने प्रयासों के दौरान व्यस्था की तरफ से भेदभाव और उत्पीड़न के उनके अनुभवों से और भी बढ़ चुका है, भी पुलिस के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के फैसलों में महत्वपूर्ण कारक हैं

धारा 156(3) के तहत दर्ज मामलों में से जिन दो मामलों की हमें जानकारी मिल पाई थी, हमने पाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 166ए(सी) को लागू नहीं किया।साथ ही, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वकील ने इस धारा के तहत मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना नहीं करी थी।

एक मामले में, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना की और देरी करते रहे। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 29 दिनों की देरी करी।

8. एफआईआर दर्ज न होने से पनपता उत्पीड़न और अविश्वास; संघर्ष शील महिलाओं में पीड़ा और आघात देता है

सभी संघर्षशील महिलाओं ने महसूस किया कि पुलिस ने उनकी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज न करके उन्हें परेशान किया और फिर से पीड़ित किया।उनका विचार था कि पुलिस उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा नहीं करती है।उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस थाने के कई चक्कर लगाने पड़े और अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इधर से उधर बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। दो मामलों में संघर्षशील महिला,कथित आरोपियों द्वारा फिर से मारपीट और बलात्कार का शिकार हुई, क्योंकि पुलिस ने पहली बार में उनके मामलों को दर्ज करने से इनकार कर दिया था। महिलाओं ने साझा किया कि इसी कारण पुलिस पर उनका भरोसा हिल गया।उन्हें लगा कि पुलिस ने उनका या उनके परिवार का भला नहीं किया है; बल्कि उनमें भय पैदा किया है।

अलीगढ़ से संघर्षशील महिला

"सबसे बड़ी चुनौती अपनी शिकायत दर्ज कराने की है।लेकिन एक पुलिस थाने के होने का क्या मकसद है जब पुलिस केस ही ना दर्ज कर रही हो।"

अमरोहा से संघर्षशील महिला

"जब मैं पुलिस थाने गई थी, मैंने सोचा था कि मेरी रिपोर्ट आसानी से लिखी जाएगी और मुझे लगता है कि एक पुलिस थाना इसी लिए है।मुझे लगा कि पुलिस एक जांच करेगी। "

लखनऊ से संघर्षशील महिला

"मुझे लगा कि मेरी शिकायत दर्ज हो जाएगी।मुझे वाकई लगा कि पुलिस आरोपी को पकड़ लेगी।मुझे लगा कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है।"

"मैं पुलिस थाने यह सोचकर गई थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा।अब इतने उत्पीड़न के बाद, मुझे नहीं लगता कि पुलिस कर्मी और पुलिस थाना मुझे न्याय देंगे। "

झाँसी से संघर्षशील महिला

"मैं बहुत परेशान हुई और पीड़ित महसूस किया क्योंकि महीनों बीत गए, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई।"

मुजफ्फरनगर से संघर्षशील महिला

"पुलिस के साथ मेरा अनुभव बहुत बुरा था।मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं।मुझे लगा कि पुलिस पीड़ित की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की।"

संघर्षशील महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में शारीरिक और मानसिक थकान को सहन किया। इतना सब लगातार झेलने से हुई चिंता के कारण उन्हें नींद और भूख कम लगी।इस सब से उनमें इस हद तक बेबसी की भावना महसूस हुई कि उनमें से कुछ ने आत्महत्या करने के विचार व्यक्त किए।

अलीगढ़ से संघर्षशील महिला

"मैं रोती थी और बहुत गुस्सा आता था कि मेरी शिकायत पर कुछ भी नहीं हो रहा है।तनाव के कारण मेरी भूख मर गई थी।मेरे साथ जो हुआ उसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी।"

सबसे बड़ी चुनौती अपनी शिकायत दर्ज कराने की है।लेकिन एक पुलिस थाने के होने का क्या मकसद है जब पुलिस केस ही ना दर्ज कर रही हो।

- अलीगढ़ से संघर्षशील महिला

"इस दौरान मुझे बहुत बीमार सा महसूस हुआ। मैं खाना ठीक से नहीं खाती थी, मैंने पुलिस और मेरी स्थिति पर इतना गुस्सा महसूस किया।"

अमरोहा से संघर्षशील महिला

"मैं हमेशा इस बात को लेकर तनाव में रहती थी कि मेरे मामले में क्या होगा।मैं खाना नहीं खा पा रही थी और रातों को नींद नहीं आती थी।"

औरैया से संघर्षशील महिला

"जब कुछ भी नहीं हो रहा था (उसके मामले में), मैंने सोचा कि मरना अच्छा है।यहां तक कि मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बुरा भला कहा और अब मेरे पति तलाक मांग रहे हैं।"

लखनऊ से संघर्षशील महिला

"मैं अभी भी ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे पैर भी कांपते हैं।कई बार मैं पूरी रात जागती हूं।मैं दवाओं के भरोसेहूं और ऐसे ही मैं जी रही हूं।"

झाँसी से संघर्षशील महिला

"जब मैं इधर-उधर दौड़ भाग कर रही थी, उस दौरान मैं अस्वस्थ रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी और भूख नहीं लगती थी।मैंने केसवर्कर को बताया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मेरे मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है।"

संदर्भ

[43] ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य AIR 2014 SC 187

[44] पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य (AIR 1996 SC 1393), भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि महिलाओं के बलात्कार के मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तुरंत पुलिस थाने न जाने के कई कारण हो सकते हैं। प्रतिष्ठा और सम्मान के बारे में जुड़े सवालों के कारण ही, बहुत सोच विचार के बाद महिला को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ सकता है।

[45] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 के तहत, एक दलित पीड़ित के पास एफआईआर दर्ज न होने की शिकायत करने के समान उपाय है यदि सूचित किया मामला "अत्याचार" की श्रेणी में आता है तो।

[46] मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल 2015(2) ACR2162(SC)

निष्कर्ष और सुझाव

6

शोध के निष्कर्ष, न्याय के लिए अपनी खोज में यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं द्वारा झेले गए संघर्ष के मजबूत सबूत देते हैं।

उनको सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार और समुदाय द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली के निकट आने से हतोत्साहित किया जाता है,और आपराधिक प्रक्रिया के पहले और उसके दौरान उनसे अवैध समझौते और सुलह करने की पेशकश की जाती है या उसके लिए मजबूर किया जाता है।

इस तरह की प्रथाएं संघर्षशील महिला द्वारा झेले जा रहे कलंक को पुख्ता करती हैं, जो अक्सर न्याय प्रणाली में सहारा लेने के उसके निर्णय में देरी कराता है।हालाँकि, कानून के तहत अपने दायित्वों को निभाने में यौन हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पुलिस का इंकार और देरी कराता है, संस्थागत है, पर महिला पर इसका गंभीर असर होता है।इस तरह के इनकार लिंग और जाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव और लगातार अपमान और दबाव डालने से जुड़े हुए हैं।यह महिलाओं द्वारा पहले से ही झेले जा रहे आघात को और बढ़ाता है और इसका उनकी सेहत और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

एफआईआर दर्ज करने और जांच की प्रक्रिया शुरू करने में पुलिस द्वारा देरी को अक्सर मुकदमे के दौरान अनदेखा किया जाता है। इसका न केवल सबूतों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि कथित अपराधी को धमकी देने, उत्पीड़न और यहां तक कि कभी-कभी यौन हिंसा को दोहराने का अवसर भी मिल जाता है।
संघर्षशील महिलाओं के मामले दर्ज नहीं होने कि स्थिति में उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी नहीं है और इस तरह के उपाय शायद हमेशा कारगर नहीं हों। संघर्षशील महिलाओं और उनके सहयोगी व्यक्ति कानून में मौजूद धारा 166ए(सी) के दंडात्मक प्रावधान नहीं जानते हैं ताकि पुलिस को जवाबदेह ठहराया जा सके। हालांकि, संघर्षशील महिलायें भी इस तरह के प्रावधान का उपयोग करने से डरती हैं क्योंकि इससे उन्हें सक्रिय रूप से एक बहुत अधिक शक्तिशाली प्रणाली, जो पहले ही उन्हें बहुत पीड़ित कर चुकी है,के “ख़िलाफ़ खड़े होने” की आवश्यकता होती है।वे यौन हिंसा के मूल मामले में न्याय पाने की अपनी संभावनाओं को खतरे में डालने से भी डरती हैं।

ये सभी कारक महिलाओं के न्याय पाने के अधिकारों को शुरुआत में ही अवरुद्ध करते हैं; जबकि इसके विपरीत कानून द्वारा, यौन अपराधों के सभी मामलों में बिना रुकावट, न्यायपूर्ण तरीके से शिकायतों की एफआईआर दर्ज करने की गारंटी दी जाती है।पहले चरण में ही निरंतर बाधाओं की वास्तविकता

एफआईआर दर्ज करने और जांच की
प्रक्रिया शुरू करने में पुलिस द्वारा देरी को
अक्सर मुकदमे के दौरान अनदेखा किया
जाता है। इसका न केवल सबूतों पर प्रभाव
पड़ता है, बल्कि कथित अपराधी को
धमकी देने, उत्पीड़न और यहां तक कि
कभी ... यौन हिंसा को दोहराने का
... मिल जाता है।

पुलिस द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी और व्यापक उपाय करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत है। इसके लिए पुलिस विभागों को यह पहचानने की ज़रुरत है कि महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव उनके सभी पदों में मौजूद है और यह एक प्रमुख कारक है जो महिलाओं के कानूनी अधिकारों को नकारता है। यह बदलाव करने की ज़रुरत है जहां पुलिस कर्मी कानून के एक समान संरक्षण के लिए संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हैं और कानूनी प्रणाली के माध्यम से महिलाओं को न्याय पाने के अधिकार में सहायक बनाते हैं। सीएचआरआई और आली का मानना है कि न्यायिक संस्थाओं के लिए ये एक अच्छी शुरुआत होगी कि एक तय व्यवस्था के अनुसार मामलों में प्रतिक्रिया दी जाये, जो संघर्षशील महिला केंद्रित हो और उनकी पीड़ा को समझती हो,और इसकी शुरुआत पुलिस से शुरू हो। इस व्यवस्था को संस्थानों में आवश्यक विशेषज्ञों और संस्थानों के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है ताकि पुलिस में यौन हिंसा की शिकायत दर्ज करने की कठिन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और सभी संघर्षशील महिलाओं के मामलों में शिकायत दर्ज करी जा सके।

पुलिस का कानूनी कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे किए एफआईआर, न्यायपूर्ण और बिना रुकावट दर्ज हों।यह सुनिश्चित करना न केवल अच्छे पुलिस कार्य का एक उपाय है, बल्कि इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बनेगा। इस कानूनी जनादेश को कायम रखने और इस कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए संस्थागत प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।

सिफ़ारिशें

इस अध्ययन के विवरण में लिखे संघर्षशील महिलाओं के अनुभवों और चुनौतियों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, और एफआईआर रिपोर्टों का न्यायपूर्ण तरीके से दर्ज होना, पुलिस की जवाबदेही, और भेदभाव नहीं करने के बड़े लक्ष्यों को संबोधित करने की दिशा में निम्नलिखित ठोस और कार्रवाई योग्य सिफारिशें विभिन्न हित धारकों को निर्देशित की जाती हैं।

गृह मंत्रालय

1. अपराध के आंकड़ों के आधार पर पुलिस के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एक सलाह जारी करें।

अपराध के आंकड़ों के आधार पर पुलिस के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर रोक लगाने के लिए
महिला की पीड़ा के प्रति संवेदनशील और उस पर केंद्रित एक मार्गदर्शन और कार्यवाही योग्य उपाय निर्धारित करें
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को दर्ज न करने के लिए जो एफआईआर दर्ज़ हुई हैं उनके राज्य-वार आंकड़े इकट्ठे करें और प्रकाशित करें
यौन अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की विफलता के कारण अवैधताओं को उजागर करें।
FIRST INFORMATION R
पहिली खबर
शिकायतों को एफआईआर में न्यायपूर्ण और तुरंत दर्ज़ करना

2. सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से गृह मंत्रालय की सलाह के कार्यान्वयन की स्थिति की एक व्यापक राष्ट्रीय समीक्षा का आरंभ करें ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, और उन अपराधों पर पुलिस की प्रतिक्रिया के मुद्दे का समाधान हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

1. इस वर्ष से ही, पुलिस द्वारा प्राप्त मौखिक और लिखित शिकायतों के प्रकार और संख्या के आंकड़ों के राज्य-वार विभाजन को और उनसे जुड़े भारतीय दंड संहिता और विशेष कानूनों के तहत दर्ज अपराधों को "क्राइम इन इंडिया" की वार्षिक रिपोर्ट[47] में पुनः प्रकाशित करें। इन आंकड़ों के महत्व को देखते हुए, यह सिफ़ारिश है कि उन्हें न केवल राज्य-वार, बल्कि जिले-वार भी उपलब्ध कराया जाए।

2. 'क्राइम इन इंडिया' के वार्षिक रिपोर्ट में, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) जो भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को दर्ज न करने के लिए दर्ज हुई हैं उनके राज्य-वार आंकड़े इकट्ठे करें और प्रकाशित करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

दिशानिर्देशका प्रारूप बनायें और एक मसौदा तैयार करें, गृह मंत्रालय के सहयोग से, जो सभी संबंधित आपराधिक न्याय दिलाने के सहयोगियों - पुलिस, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अभियोजन पक्ष और वकीलों – से ले कर यौन हिंसा से संघर्षशील महिला तक के लिए, महिला की पीड़ा के प्रति संवेदनशील और उस पर केंद्रित एक मार्गदर्शन और कार्यवाही योग्य उपाय निर्धारित करें। दिशानिर्देशों के निर्धारण और प्रारूपण में नागरिक समाज समूहों, तकनीकी विशेषज्ञों और विशेषज्ञ संस्थानों को शामिल करें। प्रत्येक संबंधित विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों के अनुसार इन पर जानकारी देने के सत्र चलायें और उन्हें सुविधाजनक बनाएं।

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग

1. सभी स्थापित वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का राज्य-वार हिसाब-किताब रखना कि केंद्र अपने पूर्ण स्वीकृत कर्मचारी संख्या के साथ, आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ काम कर रहे हैं ताकि यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं को वे सभी सेवाएं प्रदान कर सकें जिनकी वे गारंटी लेते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर और सभी सार्वजनिक इंटरनेट डोमेन में इस जाँच की रिपोर्ट रखें।सुनिश्चित करें कि ये जांचें नियमित अंतराल पर होते रहें।

2. अप्रैल 2013 से वर्तमान तक प्रत्येक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में पुलिस सुविधा अधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लाए गए मामलों की संख्या की राज्यवार समीक्षा करें।[48]

3. सभी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को एक सलाह जारी करें, जो कि दर्ज नहीं किये गए मामलों की संख्या और भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के तहत शिकायतें जो पुलिस को भेजी गई और उन पर हुई कार्यवाही की छह मासिक रिपोर्ट को व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रचारित करें।

4. सभी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरों को एक सलाह जारी करें जिसमें कहा गया हो कि पुलिस सुविधा अधिकारी द्वारा स्थानीय पुलिस को भेजी गई धारा 166ए(सी) के तहत हर शिकायत को जिला पुलिस अधीक्षक और स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाना चाहिए, उसके आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देशों के साथ।

5. यौन हिंसा के मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया और आपराधिक न्याय प्रणाली के चरणों से निकलने में महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियां, पर नियमित और समय-समय पर विशेष अध्ययनों का संचालन करना, जिनमें शिकायतों की सूचना देना और एफआईआर को दर्ज कराने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

संसद

भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के तहत यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज न करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कुल, राज्यवार मामलों पर सांसद नियमित रूप से सवाल पूंछे।

राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग

सुनिश्चित करें कि यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज न होने की शिकायतों की विशेष गड़ना कर के संघ की वार्षिक रिपोर्टों में सम्मिलित और सूचित की गई हों, एफआईआर दर्ज न होने की कुल शिकायतों की एक अलग खंड की तरह।

राष्ट्रीय एवं राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

1. महिलाओं के खिलाफ अपराधों का लिंग आधारित दृष्टिकोण पर कानूनी सहायता वकीलों और सहयोगी स्वयंसेवकों (पीएलवी) के स्वतंत्र विशेषज्ञों या संस्थानों के सहयोग से परिचयात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट

प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करें और चलायें। इसमें कानूनी प्रक्रिया में यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों और उपायों को शामिल किया जाये। यह सुनिश्चित करें कि नागरिक समाज, महिला अधिकारों के समूहों और प्रत्यक्ष में लिंग आधारित मामलों पर काम करने वाले वकीलों की भागीदारी के साथ नियमित अंतराल पर बार बार प्रशिक्षण दिया जाए।

2. निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित विषयों पर, स्थानीय कानूनी सहायता वकीलों और सहयोगी स्वयंसेवकों (पीएलवी) की सहायता से तालुका / जिला स्तर पर लगातार कानूनी जागरूकता शिविरों का संचालन करें। शिविर महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा और उसे पाने के उपायों के बारे में सामुदायिक स्तर पर व्यापक जागरूकता फैला सकते हैं।

3. सीआरपीसी की धारा 24(8) में निर्दिष्ट हर पीड़ित के अधिकार की गारंटी के लिए उसकी पसंद के वकील का चयन करने के लिए चर्चा करने और कार्यवाही करने के उपायों, जो महिला पीड़ितों पर विशेष जोर दे, की रूपरेखा तैयार करें। अभियोजन की सहायता के लिए सरकारी वकीलों और कानूनी सहायता वकीलों के साथ लगातार संयुक्त सत्र आयोजित करना।

4. यौन उत्पीड़न से संघर्षशील महिलाओं के अधिकारों के संबंध में पुलिस थाने पर कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, *दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अदर्स*[49] के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का पालन बार और पुलिस विभाग के सहयोग से किया जाए।

राज्य गृह विभाग

1. राज्य सुरक्षा आयोग के सहयोग से, जहां कार्य कर रहे हैं, जिला और राज्य स्तरों पर व्यवस्थित रूप से पुलिस के काम का मूल्यांकन करने के लिए नापे जा सकने वाले कार्य के संकेत कों रेखांकित करें और पहचानें।

2. पुलिस सेवा और प्रदर्शन का एक प्रमुख प्रमाण, शिकायतों को एफआईआर में न्यायपूर्ण और तुरंत दर्ज करना।

राज्य सुरक्षा आयोग[50]

1. राज्य के गृह विभाग के सहयोग से, जिला और राज्य स्तर पर पुलिस के काम का व्यवस्थित मूल्यांकन करने के लिए नापने योग्य कार्य के संकेतकों प्रारूप तैयार करें।

2. पुलिस सेवा और प्रदर्शन का एक प्रमुख प्रमाण, शिकायतों को एफआईआर में न्यायपूर्ण और तुरंत दर्ज़ करना।

राज्य पुलिस विभाग

1. किसी भी परिस्थिति में बिना किसी अपवाद के सीआरपीसी की धारा 154 की आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करने का आह्वान करने वाले सख्ती से लागू करें। यौन अपराधों के मामलों के संबंध में परिपत्र में निम्नलिखित निर्देश शामिल होने चाहिए:

• एसपी या कोई भी पर्यवेक्षक अधिकारी जिसके पास किसी पुलिस थाने में यौन अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार की शिकायत आये, वे आदेश दें, और व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। थाना प्रभारी और अन्य कोई भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल समयबद्ध जांच, और इस आधार पर धारा 166ए(सी) के तहत कार्यवाही शुरू करें।

• थाना प्रभारी और जिला एसपी, सीआरपीसी की धारा 157(1) के तहत ज़रूरी आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए तुरंत स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजें, ख़ास तौर पर यौन अपराधों के एफआईआर।

• राज्य, जिला, और पुलिस थानों के स्तर पर आईपीसी की धारा 166ए(सी) के तहत यौन अपराधों के मामलों को दर्ज न करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कुल संख्या, और तारीख की स्थिति के बारे में छह-मासिक रिपोर्ट, पुलिस महानिरीक्षक पद के या उस से ऊपर के, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए निकालें।

• *दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अदर्स* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक थाना प्रभारी, या नामित जांच अधिकारी, हर यौन हिंसा से संघर्षशील महिला से कोई भी प्रश्न पूंछने से पहले, उसके कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकारों के बारे में सूचित करें।

• एसएचओ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति (जो लागू हो) से मिल कर के अपने पुलिस थाने के लिए नामित या उससे जुड़े हुए कानूनी सहायता वकील की पहचान करें; और हर पुलिस थाने के बाहर कानूनी सहायता वकीलों के नाम और संपर्क विवरण रखें।

• ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[51] में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी आईओ को प्रारंभिक जांच करने से, या संघर्षशील महिला को यह बताना कि यौन अपराध के मामलों में प्रारंभिक जांच करनी ही है,से स्पष्ट रूप से रोकना है।

2. प्रशिक्षण:

• पितृसत्तात्मक व्यवहार से लड़ने के लिए और महिलाओं के प्रति हानिकारक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिए, भेदभाव ना करने और समानता रखने पर पुलिस सेवा में भरती के समय प्रशिक्षण चलाना और पूरी पुलिस सेवा के दौरान, समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण चलाना।

• स्वतंत्र विशेषज्ञों या संस्थानों के सहयोग से, यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए आघात-सूचित और संघर्षशील महिला केंद्रित प्रतिक्रिया के लिए दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण की प्रारंभिक रूपरेखा बनाना और चलाना।

• प्रशिक्षण की रूपरेखा बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से बनायें ताकि यह सुनिश्चित करा जा सके कि यह ज़रूरी और उचित अवधि का हो, परस्पर संवादात्मक तरीके का प्रयोग हो, और सटीक और अनिवार्य पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग हो।

• पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को पहचानने और हटाने के तरीकों पर प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम सामग्री बनाएँ और शामिल करें।

• पुलिस प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करें।

• सुनिश्चित करें कि सभी स्तरों पर प्रशिक्षण पुलिस के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

• शुरुआती और समय समय पर होने वाले दोनों प्रशिक्षण में एफआईआर दर्ज़ करने पर, यौन अपराधों पर ख़ास ध्यान रखते हुए, विशिष्ट पाठ्यक्रम बनायें और प्रशिक्षण में अपनायें।

• नई प्रशिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम सामग्री के प्रभाव को मापने के लिए वैज्ञानिक साधनों को अपनाना, और नियमित रूप से प्रतिक्रिया लेना।

3. भर्ती:

• समयबद्ध तरीके से महिला प्रतिनिधित्व का उचित अनुपात पाने के लक्ष्य से सभी स्तरों पर राज्य पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हों।

• संभावित महिला उम्मीदवारों की बराबरी करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कौशल और रणनीति सिखाने के लिए भर्ती के पहले विशेष ट्रेनिंग आयोजित करें।

• सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जहाँ संभव हो भर्ती अभियान चलाएं।

4. पुलिस की पहुँच:

• पुलिस में भर्ती होने के लिए महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को समझने के लिए उन तक पहुँचनें के कार्यक्रम चलाएं और बाधाओं को दूर करने के लिए भर्ती रणनीतियों की समीक्षा करें।

• जिला और तालुका स्तर पर महिलाओं तक पहुंच कर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जानकारी देना, और किस पुलिस थाने और कर्मियों को संकट के समय में संपर्क करना है उनके नाम और विवरण के साथ की जानकारी दें।

राज्य न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

1. स्वतंत्र विशेषज्ञों या संस्थानों के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनायें और चालू करें जो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण से न्यायिक प्रतिक्रिया और न्यायिक कार्यों के साथ आईपीसी की धारा 166ए(सी) को एक मुख्य केंद्रबिंदु के रूप में लागू करने के लिए हो।

2. स्वतंत्र विशेषज्ञों या संस्थानों के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनायें और चालू करें जो, एक आघात सूचित और संघर्षशील महिला पर केन्द्रित प्रतिक्रिया के दिशानिर्देशों पर हो।

उच्च न्यायालय

1. आघात सूचित और संघर्षशील महिला पर केन्द्रित दिशानिर्देशों को सभी जिलों और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को अनुपालन के लिए परिचालित करें।

2. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को एक परिपत्र निर्देश जारी करें कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत यौन अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की

मांग करते हुए कोई आवेदन प्राप्त होने पर आईपीसी की धारा 166ए(सी) को तुरंत लागू किया जाये।

सिविल सोसायटी समूह

1. सरल गैर-तकनीकी भाषा में, सभी संबंधित हितधारकों के लिए आईपीसी की धारा 166ए(सी) पर जानकारी प्रसारित करें।

2. क्षमता वाले संगठनों के लिए, नियमित रूप से महिलाओं के लिए उनके आस पास कानूनी जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करें।

3. उन संगठनों के लिए जो सीधे संघर्षशील महिलाओं के साथ काम करते हैं, दस्तावेजीकरण के लिए विशिष्ट प्रारूप प्रस्तुत करें i) देरी, और ii) यौन अपराध की शिकायत को एफआईआर में दर्ज करने में पुलिस द्वारा इनकार। दस्तावेज़ में थाने का नाम, सूचना मिलने की तारीख और समय, संघर्षशील महिला द्वारा उठाए गए सभी कदम और / या उसे सहायता देते व्यक्तियों का और इसमें लगाया गया समय और जहाँ कहीं भी बात करी हो उन पुलिस कर्मियों के नाम और पद के साथ विवरण शामिल होना चाहिए।

4. ऐसे संगठन जो सीधे संघर्षशील महिलाओं के साथ काम करते हैं, समर्थन व्यक्तियों, केसवर्करों, वकीलों और स्वयं संघर्षशील महिलाओं के लिए, पुलिस के पहली बार में इनकार करने पर जहां तक संभव हो, एफआईआर दर्ज कराने के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों पर और आईपीसी धारा 166ए(सी) के तहत जो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है उस पर नियमित रूप से जागरूकता सत्र आयोजित करें।

5. धारा 166ए(सी) के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संघर्षशील महिलाओं को कानूनी प्रतिनिधित्व या सहायता प्रदान करने के लिए वकील, चाहे पहचान के या सरकारी, के साथ मिलाप करें।

6. कोई भी संघर्षशील महिला, जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए(सी) के तहत एफआईआर दर्ज कराना चाहती हो, को सीधी सहायता प्रदान करें।

7. यौन अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की विफलता के कारण अवैधताओं और / या अत्याचार को उजागर करें।

8. भेदभाव नहीं करने / समानता पर प्रशिक्षण और प्रभावी सामुदायिक पहुँच के कार्यक्रमों को बनाने में पुलिस विभागों को विशेषज्ञता दें।

संदर्भ

[47] राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया (CII) *ने "नेचर एंड नंबर ऑफ़ कोम्प्लैंट्स रिसीव्ड बाय पुलिस एंड केसेस रजिस्टर्ड अंडर* IPC *और* SLL"को प्रकाशित किया और इसे राज्य-वार प्रदान किया। हालाँकि, अंतिम तीन प्रकाशन - CII 2016, CII 2017 और CII 2018 - केवल अखिल भारतीय आँकड़े प्रस्तुत करते हैं, न कि राज्य-वार विभाजन। राज्य-वार आँकड़े विभिन्न प्रमुख कारकों का संकेत था। सबसे पहले, क्या पुलिस के पास शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है (जो न केवल अपराध के आयोग का प्रतिबिंब है, बल्कि पुलिस पर आत्मविश्वास और भरोसा भी है) या हर राज्य में कम हो गये हैं।चाहे शिकायतों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ हो, समान और असमान अपराध दर वाले राज्यों के बीच तुलना; और प्राप्त शिकायतों की संख्या और वास्तव में प्रत्येक राज्य में पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की संख्या के बीच मूल्यवान पारस्परिक संबंध।

[48] महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2017 में जारी किए गए केंद्रों के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केंद्र में पुलिस सुविधा अधिकारी का कर्तव्य उन मामलों में धारा 166ए(सी) के तहत कार्यवाही शुरू करना है जहां यह पाया जाता है कि पुलिस यौन हिंसा की शिकायत में एफआईआर दर्ज करने में विफल रही है: महिला और बाल विकास मंत्रालय, वन स्टॉप सेंटर योजना, *राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासकों के लिए कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश* (2017), पृष्ठ 7;https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf

[49] 1995 SCC (1) 14

[50] सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 2006 के फैसले में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस सुधार के लिए सात निर्देश दिए गए [प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ 2006 (8) SCC 1]। एक निर्देश के रूप में, SSC का उद्देश्य नीति-निर्धारण और सलाहकार मध्यवर्ती निकाय होना है, ताकि पुलिस कार्य में अवैध राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके। इसकी सदस्यता द्वि-पक्षीय होनी है और इसमें स्वतंत्र गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके मुख्य कार्य पुलिस के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना और पुलिस के कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।

[51] AIR 2014 SC 187

एनेक्सचर 1

ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या 36/2019
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकः अगस्त 19, 2019

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-३३/२०१९ दिनांक २९ जुलाई २०१९ के द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है, किन्तु विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है, कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के पंजीकरण में कतिपय जनपदों में अपेक्षित संवदेनशीलता एवं त्वरापूर्ण कार्यवाही नही हो रही है, यह स्थिति अनपेक्षित एवं अग्राह्य है।

उक्त के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहें हैः-

1. <u>महिला सम्बन्धी अपराधों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करना</u>:- महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध का अविलम्ब पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये एवं अभियोग पंजीकृत नही होने की दशा में सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के विरूद्ध केवल विभागीय कार्यवाही न की जाये वरन् उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाये।
2. <u>थानों पर महिला अपराधों के पंजीकरण हेतु दृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड लगाया जाना</u>:-प्रदेश के समस्त थानों पर इस आशय का नोटिस बोर्ड लगाया जाये, जिसमें यह अंकित हो कि थाने पर महिला अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम न होने की दशा में पीड़िता एवं उसके परिजन जनपद के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करेंगे। यदि पुलिस अधीक्षक के स्तर से भी तद्विषयक अपराध का पंजीकरण नही कराया जाता है,तो पीड़िता एवं उसके परिजन परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक से सम्पर्क कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत करायेंगे। इस नोटिस बोर्ड पर जनपद के पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक का सीयूजी नम्बर भी प्रदर्शित किया जाये तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे तत्काल सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत करायें एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्गत संगत निर्देशों के अतिरिक्त उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर कड़ाई से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई भी लापरवाही अक्षम्य एवं अग्राह्य होगी।

भवदीय,
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद-उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः-
१. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

एनेक्सचर 2

दिनांक : XXXX
सेवा में,
राज्य लोक सूचना अधिकारी
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, XXXX
.....
.....

विषय: धारा 6 (1)**, सूचना का अधिकार अधिनियम,** 2005 **के तहत सूचना के लिए आवेदन**

प्रिय महोदय / महोदया,
1. कृपया स्पष्ट करें:

क) भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376इ, 509के अपराधों के आरोपों की शिकायत दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कुल प्राप्त शिकायतें।

ख) सभी प्राप्त शिकायतों में से, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से पहले कितने मामलों में प्रारंभिक जांच की गई थी।

ग) सभी दर्ज शिकायतों में से कितनी में पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

i) सभी एफआईआर में, पुलिस अधीक्षक या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी एफआईआर का आदेश दिया गया था।
ii) स्वयं पुलिस विभाग द्वारा ही दर्ज किए गए मामलों की संख्या।

कृपया नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित स्पष्ट करें।

	1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016	1 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017	1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018
प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या			
मामले जिनमें प्रारंभिक जांच हुई उनकी संख्या			
दर्ज हुई एफआईआर की संख्या			
एसपी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज एफआईआर की संख्या			
उन मामलों की संख्या जिनमें स्वयं पुलिस द्वारा ही संज्ञान लिया गया			

***भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी)बताती है:**

i) धारा 326ए, 326बी, 354,354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376सी, 376इ, 509, के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को की गई किसी भी सूचना / शिकायत को दर्ज नहीं करने पर, कठोर कारावास जो कम से कम छह महीने का होगा, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने का हक़दार भी होगा।

2. कृपया दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट करें:

एफआईआर सं.	संज्ञेय अपराध जो पुलिस कर्मियों ने दर्ज करने से इनकार कर दिया (आईपीसी की धारा 166ए(सी) के तहत सूचीबद्ध अनुभाग)	उन पुलिस कर्मियों की पद जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई	जिला, जहां एफआईआर दर्ज की गई

3. कृपया 31 अगस्त 2018 तक दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट करें:

एफआईआर सं.	एफआईआर की तिथि	लंबित जांच (हां या नहीं)	चार्जशीट दाखिल करने की तिथि	अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	दोषी पाए गए पुलिस कर्मी	बरी किये गए पुलिस कर्मी

4. कृपया स्पष्ट करें कि निम्नलिखित समय अवधि में, एफआईआर दर्ज करने के बाद कितने पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया:

क) 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016: _____
ख) 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017: _____
ग) 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018: _____

5. प्राप्त सभी शिकायतों में से, कृपया कुल संख्या स्पष्ट करें जो कि:

	1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016	1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017	1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018
क) विभागीय जांच के लिए जमा कराया गया			
ख) विभागीय जांच के बिना बंद करा गया			
ग) विभागीय जाँच शुरू की गई			

6. कृपया निम्नलिखित स्पष्ट करें कि विभागीय / पूछताछ कहाँ शुरू की गई थी:

पूछताछ शुरू करने की तिथि	क्या जाँच लंबित है, (हाँ या नहीं)	यदि जांच पूरी हो गई है, तो पूरा होने की तारीख या अंतिम निर्णय	यदि जांच पूरी हो गई है, तो कृपया प्रस्तावित कार्रवाई बताएं।

मैं भारत का नागरिक हूं और मैं उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। यदि संभव हो तो, मैं यह जानकारी अंग्रेजी में चाहूंगा। मैं इस निवेदन के साथ भारतीय पोस्टल ऑर्डर नंबर XXXXX के माध्यम से १०/- रुपये का आवश्यक शुल्क संलग्न कर रहा हूं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए देय किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बारे में कृपया मुझे सूचित करें।

आवेदक का हस्ताक्षर
XXXX

एनेक्सचर 3

केसवर्करों के लिए प्रश्न

साक्षात्कार की तिथि:
साक्षात्कार का स्थान:
मूलभूत जानकारी
नाम:
आयु:
व्यसाय:
आली के साथ एक केसवर्कर के तौर पर कब से कार्यरत हैं:
जिला, जहां एक कैसवर्कर के रूप में काम कर रही हैं (जिन क्षेत्रों में पहुँच बनाई उनको सूचीबद्ध करें):
यदि जानकारी हैतो बताएं, आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहां कितने पुलिस थाने हैं?

1. मामले की जानकारी

संघर्षशील महिला से पहला संपर्क
• आप पहली बार संघर्षशील महिला से कैसे मिलीं?
• कथित यौन हमले के कितने समय बाद आप संघर्षशील महिला के संपर्क में आए? [घंटे या दिन जो उचित हो स्पष्ट करें]
• क्या संघर्षशील महिला पुलिस से मिलने से पहले आपसे मिली थी? [लिखें कि वह रिपोर्ट करने के लिए पहले पुलिस थाने गई या पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास गई]
• पुलिस के साथ उसके पहले संपर्क का संक्षिप्त विवरण दें और वहां क्या हुआ

पहले से लिखी शिकायत
• क्या आपने संघर्षशील महिला के लिए पुलिस में जाने से पहले शिकायत लिखी थी?
• क्या आपने और संघर्षशील महिला ने मिलकर शिकायत लिखी थी?
• क्या आपने उन कानूनी धाराओं को शामिल किया है जिन्हें लागू किया जाना है?

पुलिस को सूचना देना
पुलिस अधिकारी जिससे सबसे पहले संपर्क किया (स्थानीय पुलिस थाना, विशेष पुलिस थाना, डीएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय या कोई अन्य): *कार्यालय का पूरा नाम लिखें*
** यदि यह पुलिस थाना है, तो नीचे दिए गए अगले भाग पर जाएं*
मिलने की तिथि और समय:

यदि पुलिस थाना नहीं है, तो संक्षेप में बताएं कि क्या हुआ
पुलिस थाने को सूचित करना:
पुलिस थाने का नाम:
तिथि और समय जब आप पहली बार पुलिस थाने गए:
संघर्षशील महिला के साथ HRD / केसवर्कर था या नहीं: हाँ ना
कर्मियों में से किससे संघर्ष शील महिला और / या केसवर्कर ने बात करी (सूची यदि एक से अधिक है, तो उनके पद और लिंग, यदि मालूम हो तो लिखें):
जिन्होंने शिकायत दर्ज की उन पुलिस कर्मियों का पद और लिंग (संभव हो तो उनके नाम के साथ):

क्या जिस दिन आप पुलिस थाने गए उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई: हाँ ना

क. यदि हाँ :
• एफआईआर की तारीख:
• एफआईआर किस समय दर्ज की गई थी:
• एफआईआर दर्ज करने में कितना समय लगा:
• अगर देरी हुई, तो क्या कारण दिए गए:
• एफआईआर में दर्ज धाराएँ
• एफआईआर की प्रति मुफ्त में दी गई: हाँ / ना
क . यदि ना,
• संघर्षशील महिला / केसवर्कर द्वारा अपनाया गया तरीका क्या था
• पुलिस कर्मियों का रवैया (वर्णन करें)

ख. यदि ना:
• पुलिस अधिकारी का नाम और पद जिन्होंने दर्ज करने से इनकार कर दिया
• दर्ज करने से इनकार के दिए गए कारण यदि हैं तो:
• पुलिस कर्मियों का रवैया (यदि संभव हो तो, उनकी कही टिप्पणी लिखें या वर्णन करें)

जिला एसपी, या किसी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है: विवरण दें

• बाद में संपर्क किए गए पुलिस अधिकारी का नाम, पद और कार्यालय
• संपर्क करने और / या मिलने की तारिख
• पुलिस कर्मियों का रवैया (यदि संभव हो तो, उनकी कही टिप्पणी लिखें)
• दस्तावेज जमा किए
• शिकायत में आईपीसी की धारा 166ए(सी) शामिल है या नहीं
• वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कदम उठाये या कार्रवाई की?
• इस बैठक के बाद संघर्षशील महिला / केसवर्कर को क्या कदम उठाना पड़ा?

अंतत: एफआईआर दर्ज होने की तिथि:
एफआईआर में सूचीबद्ध कानूनी धाराएं:

2. विचार

• बलात्कार की शिकायतें दर्ज करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
• दर्ज करने में देरी क्या आम और सामान्य बात है?
• कितनी बार आप बलात्कार की शिकायत दर्ज करने से इनकार का सामना करते हैं? 1) बहुत बार, 2) कभी-कभी, 3) शायद ही कभी
• पुलिस देरी क्यों करती है?
• पुलिस इनकार क्यों करती है?
• हमारे मिलने और इसके बारे में बात करने के पहले, क्या आप भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए(सी) के बारे में और इसमें क्या शामिल है उसके बारे में जानती थी?
• क्या आप एफआईआर दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस कर्मियों को जवाबदेह ठहराने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करना चाहेंगी?
• इसका उपयोग करने की संभावित चुनौतियाँ क्या हैं?
• एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या आसान बना सकता है?
• आप पुलिस के बारे में कैसा महसूस करते हैं?

संघर्षशील महिलाओं के लिए प्रश्न

मूलभूत जानकारी

आयु:
शैक्षणिक योग्यता :
व्यसाय:
जाति:
धर्म :
निवास की जगह:

सामान्य जानकारी

• यौन हमला कब हुआ?
• आप केसवर्कर के पास कब गईं?
• वो क्या था जिसने आपको केसवर्कर से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया?

1. मामले की जानकारी

सूचना देना:

- आपने पहली बार पुलिस थाने में कब संपर्क किया?(घटना के कितने समय बाद)
- जब आपने पहली बार पुलिस थाने में संपर्क किया तब आप अकेले गईं या कोई और भी साथ में गया था?
- क्या आप किसी महिला पुलिस कर्मी से मिलीं थीं और वो किस पद पर थीं?(यदि हाँ, तो अगला प्रश्न छोड़ें)
- यदि नहीं,तो कर्मियों में से आपने किनसे बात करी और वो किस पद पर थीं?(शिकायत लिखने वाले अधिकारी से मिलने से पहले आपको कितने कर्मियों से मिलना पड़ा और घटना को बताना पड़ा था)
- जब आप अपना मामला सुना रही थीं तब पुलिस अधिकारियों का आपके साथ व्यवहार(मौखिक और गैर मौखिक संकेत) कैसा था?

अपराध का दर्ज़ होना:

क्या आपकी एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई थी जब आप इसे लिखवाने गईं थीं?
यदि हाँ, तो क्या आपने उस पुलिस अधिकारी का नाम और पद पता किया जिसने उसे दर्ज़ किया था?
क्या उसने आपकी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आपको समझाई थी?
क्या पुलिस ने आपको इसकी एक प्रति मुफ्त दी थी?

अपराध दर्ज करने से इनकार:

यदि ना:
- पुलिस कर्मियों ने क्या कहा?
- उनका रवैया (टिप्पणी आदि) कैसा था?
- क्या पुलिस कर्मियों ने आपको किसी अन्य पुलिस कार्यालय (उदाहरण के लिए महिला थाना या एजेके) में जाने के लिए कहा था?
- आपने क्या कदम उठाए?

2. विचार

- जब आप अपनी शिकायत दर्ज कराने गई थीं, तब आपको क्या उम्मीदें थी?
- पुलिस के साथ अनुभव आपको कैसा लगा?
- अगर पुलिस ने आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो क्या आप जानती थीं कि पुलिस के इनकार करने पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थीं?
- *यदि हाँ, तो पूछें कि क्या वह 166ए(सी), या आमतौर पर, क्या वह जानती है कि कोई कानूनी प्रावधान है? या क्या वह कहती है कि एकमात्र सहारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करना ही है?*
- *क्या आप पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं?*
- क्या आपको पुलिस पर भरोसा है?

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सीएचआरआई राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को मानवाधिकारों सम्बंधी उच्च स्तरीय व्यवहार, पारदर्शिता और सतत विकास उद्देश्यों (SDGs) की पूर्ति का प्रयास करता है। सीएचआरआई खासकर मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच और सूचना तक पहुंच पर रणनीतिक पहलकदमियों और परामर्शों पर काम करता है। इसके अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाएं, विश्लेषण, लामबंदी, प्रसार और परामर्श निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं:

1. इंसाफ तक पहुंच (ATJ)

• **पुलिस सुधार:** बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाय राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन और न्याय का खंडन होता है। सीएचआरआई सुनियोजित सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाय कानून की हुक्मरानी के समर्थक के बतौर काम करे। भारत और दक्षिण एशिया में सीएचआरआई के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता के सहयोग को प्राप्त करना और नागरिक समाज को उन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। तंज़ानिया और घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही और नागरिक वर्ग से उसके जुड़ाव का परीक्षण करता है।

• **जेल सुधार :** सीएचआरआई पारंपरिक रूप से जेलों की अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कुप्रथाओं को बेनकाब करने का काम करता है। मुकदमों की संख्या, अस्वीकार्य रूप से परीक्षणपूर्व लम्बी कैद और जेल में कैद रखने जैसी व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने के अलावा यह कानूनी सहायता का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करता है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन जेल के प्रशासन और न्याय की स्थिति में प्रगति की चिंगारी भड़का सकता है।

2. सूचना तक पहुंच

• **सूचना का अधिकार:** सीएचआरआई को सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के मामले में विशेज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। यह देशों को प्रभावी सूचना के अधिकार कानून पारित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून (आर0टी0आई0 कानून) और व्यवहारिक रूप को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, घाना और हाल ही में कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में सीएचआरआई ने कानून पारित करने के लिए प्रयासों को संगठित किया, लम्बे संघर्ष के बाद 2019 में कामयाबी मिली। सीएचआरआई नियमित रूप से नए कानूनों की समीक्षा करता है और सबसे बेहतर पद्धति को सरकार तथा नागरिक समाज दोनों के संज्ञान में लाने के काम में हस्तक्षेप करता है, जब कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा होता है,उस समय भी और उसे पहली बार लागू करते समय भी।सीएचआरआई को विपरीत वातावरण और सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्रों में काम करने अनुभव है जो इसे नए सूचना अधिकार कानून बनाने के इच्छुक देशों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि लाने में सक्षम बनाता है।

• **दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों का नेटवर्क (SAMDEN)**

सीएचआरआई ने दक्षिण एशिया में 'मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेशेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित किया है।इस नेटवर्क, दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क (SAMDEN) का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती है। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवरों के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन ने मीडिया पर दबाव, मीडिया की सिकुड़ती गुंजाइश और प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को बेनकाब करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। यह मीडिया को लामबंद करने के लिए भी काम कर रहा है ताकि सहयोग और संख्या बल के माध्यम से ताकत में इज़ाफा हो। सहक्रियता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन को आरटीआई आंदोलन और कार्यकर्ताओं से जोड़ने में निहित है।

3. अंतरराष्ट्रीय य वकालत और कार्यरचना

अपनी प्रमुख रिपोर्ट'इज़ियर सेड दैन डन' के माध्यम से सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन, खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, की निगरानी करता है। यह मानवाधिकार चुनौतियों की वकालत करता है और रणनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह और मानवाधिकार एवं जन अधिकारों के लिए अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान रणनीतिक पहलकदमियों में एसडीजी 16, एसडीजी 8.7 के लिए वकालत करना, जवाबदेही और वैश्विक सामयिक समीक्षा के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों को एकजुट और नियंत्रित करना शामिल है। हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के विस्तार की वकालत और हिमायत करते हैं।

4. एसडीजी 8.7: दासता के समकालीन स्वरूप

2016 से सीएचआरआई ने राष्ट्रमंडल पर संयुक्त राष्ट्र कायमी विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7, की प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए दबाव बनाया है। इसमें बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करने और बाल सैनिकों की भर्ती और प्रयोग समेत अत्यंत कुरूप बाल मज़दूरी को मिटाना और उसको प्रतिबंधित करना और 2025 तक बाल मज़दूरी के हर स्वरूप को समाप्त करना शामिल है। जुलाई 2019 में सीएचआरआई ने राष्ट्रमंडल 8.7 नेटवर्क का शुभारंभ किया, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे उन गैरसरकारी संगठनों के बीच भागीदारी को सहयोग करता है जो राष्ट्रमंडल देशों में दासता के समकालीन स्वरूप को खत्म करने का साझा दृष्टिकोण रखते हैं। सभी पांच क्षेत्रों से करीब 60 गैरसरकारी संगठन की सदस्यता वाला नेटवर्क देश के विशिष्ट और विषयगत मुद्दों और बेहतर पद्धति के लिए सूचना साझा करने और सामूहिक वकालत को शक्ति प्रदान करने वाले मंच के बतौर सेवा देता है।

यह रिपोर्ट, यौन उत्पीड़न से संघर्ष शील महिलाओं की शिकायत दर्ज करने में पुलिस के इनकार और विफलता के मामलों का लिखित प्रमाण है। ये 14 मामले, यौन हिंसा से संघर्षशील महिलाओं के शिकायतें दर्ज कराने के अनुभवों - पहली बार में इनकार और / या देरी, उपाय के लिए प्रयासरत रहना, और अंतिम परिणाम, का वर्णन है।यह विभिन्न हितधारकों को निर्देशित सिफारिशों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संपन्न होता है।

Hanns Seidel Foundation

हन्स साइडल फाउंडेशन
4/ 6, सीरी फोर्ट इंस्टिट्यूटनल एरिया
नयी दिल्ली – 110049, भारत
फ़ोन : +91 – 11 – 41680400
इ-मेल : delhi@hss.de
वेबसाइट: https://india.hss.de/

CHRI

55ए, थर्ड फ्लोर, सिद्धार्थ चैम्बर्स - 1, कालू सराय, नयी दिल्ली – 110016, भारत
फ़ोन: +91 11 43180200, **फैक्स:** +91 11 23180217, **इ-मेल:** info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइट: www.humanrightsinitiatitve.org, **ट्विटर:** @CHRI_INT